Springboard ACADEMY

AN INSTITUTE FOR IAS & RAS

RAS PRELIMS

2024 - 2025

राजस्थान की राजव्यवस्था

प्रारम्भिक परीक्षा

दिलीप सर

पाठ्यक्रम

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

- ☑ **राज्य की राजनीतिक व्यवस्था –**
  - ✓ राज्यपाल
  - ✓ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्
  - ✓ विधानसभा
  - ✓ उच्च न्यायालय।
- ☑ **प्रशासनिक व्यवस्था –**
  - ✓ जिला प्रशासन
  - ✓ स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएँ।
- ☑ **संस्थाएँ –**
  - ✓ राजस्थान लोक सेवा आयोग
  - ✓ राज्य मानवाधिकार आयोग
  - ✓ लोकायुक्त
  - ✓ राज्य निर्वाचन आयोग
  - ✓ राज्य सूचना आयोग
- ☑ **लोक नीति एवं अधिकार –**
  - ✓ लोक नीति
  - ✓ विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार–पत्र

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	राज्यपाल	1-18
2.	मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	19-33
3.	महाधिवक्ता	34-36
4.	राज्य विधानमण्डल	37-53
5.	उच्च न्यायालय	54-64
6.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	65-82
7.	राज्य निर्वाचन आयोग	83-88
8.	लोकायुक्त	89-96
9.	राज्य मानवाधिकार आयोग	97-104
10.	राज्य सूचना आयोग	105-109
11.	जिला प्रशासन	110-127
12.	स्थानीय स्वशासन	128-142
13.	लोकनीति	143-145
14.	विधिक अधिकार	146-147
15.	नागरिक अधिकार पत्र	148-149

राज्यपाल

राज्यपाल राज्य का –

- संवैधानिक प्रमुख
- कार्यपालक प्रमुख
- लोक सेवाओं का प्रमुख
- प्रथम नागरिक
- केंद्र सरकार का प्रतिनिधि

☑ **राज्यपाल के अन्य नाम –**

✓ दिल्ली, पुदुचेरी, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह – उपराज्यपाल
✓ लक्ष्यद्वीप, दादरा, नगर हवेली, दमन दीव तथा चंडीगढ़ – प्रशासक
✓ राजस्थान में राज्यपाल को पूर्व में "राजप्रमुख" नाम से जाना जाता था। (1956 तक)

- राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी क्षमता से कार्य करता है।
- राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है।

☑ **संवैधानिक प्रावधान –**

अनुच्छेद 153 – राज्यपाल पद का प्रावधान

नोट –

- 7वें संविधान संशोधन, 1956 की धारा–6 के तहत :– दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है।
- अनुच्छेद 151(2) इसमें राज्यपाल पद का अनुप्रयोग हुआ है।

अनुच्छेद 154 – राज्यपाल राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता है।

अनुच्छेद 155 – नियुक्ति

- राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की सिफारिश पर। (यह प्रक्रिया कनाडा से ली गई है।)

अनुच्छेद 156 – कार्यकाल

156(1) – राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करेगा।
156(2) – राज्यपाल, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा।
156(3) – राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। (सामान्यत:)

नोट –

- राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान में नहीं है।
- राज्यपाल का स्थानान्तरण – राष्ट्रपति द्वारा। (शेष कार्यकाल के लिए)
- कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  (कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी शपथ लेता है)
- राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।
- राज्यपाल का निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हमारा संविधान निष्कासन प्रक्रिया को लेकर मौन है।
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें निष्कासित किया गया था – रघुकुल तिलक।

✪ **उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निणय –**

1. उच्चतम न्यायालय के के.जी. बालाकृष्णन के नेतृत्व में बनी संवैधानिक पीठ ने बी.पी.सिंघल बनाम भारत संघ (2010) वाद में राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाने पर रोक लगाई।
2. रघुकुल तिलक वाद 1979 – राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार का पद नहीं है।
3. रामेश्वर प्रसाद वाद 2006 – राज्यपाल की नियुक्ति हेतु निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 157 – योग्यता

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

नोट – राज्यपाल हेतु कोई भी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताएँ निर्धारित नहीं है।

परम्परा –

- जहाँ उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
  अपवाद – पंजाब – सरदार उज्ज्वल सिंह
  पश्चिम बंगाल – हरीश कुमार मुखर्जी
- राज्यपाल को सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। (पुंछी आयोग के अनुसार अंतिम 2 वर्ष से सक्रिय राजनीति में न हो।)

अनुच्छेद 158 – सेवा शर्तें

158(1) – राज्यपाल को सांसद/विधायक/विधान परिषद् सदस्य नहीं होना चाहिए।

158(2) – राज्यपाल कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा।

158(3) – राज्यपाल निःशुल्क आवास, वेतन, भत्तें, अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा।

158(3) 'क' – यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है तो उसे वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। (7वाँ संविधान संशोधन 1956 की धारा–7 द्वारा अन्तः स्थापित)

158(4) – नियुक्ति के पश्चात् राज्यपाल के वेतन–भत्तों, सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

नोट –

वेतन –

- वर्तमान वेतन – 3.5 लाख मासिक
- संसद विधि द्वारा निर्धारण।
- राज्य की संचित निधि से प्राप्त।

पेंशन –

- केंद्र की संचित निधि से।

अनुच्छेद 159 – शपथ

- राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
- मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाता है।

- राज्यपाल संविधान व विधि के 'परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण' की शपथ लेते हैं।

नोट –

- राज्य का मुख्य सचिव राज्यपाल का नियुक्ति पत्र शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पढ़कर सुनाता है।
- राजभवन में सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिव (IAS) होता है।
  वर्तमान सचिव – डॉ. पृथ्वीराज
- राज्यपाल सहायता कोष – 14 मार्च, 1973 ई. को स्थापित।
  कोष का उपाध्यक्ष – मुख्यमंत्री

☑ राज्यपाल की विभिन्न शक्तियाँ –

1. कार्यपालिका शक्तियाँ –

✪ विभिन्न नियुक्तियाँ –

1. मुख्यमंत्री, मंत्रियों की नियुक्ति – अनुच्छेद 164(1)
2. महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)
3. आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य
4. मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।
5. लोकायुक्त व उपलोकायुक्त
6. विश्वविद्यालयों के कुलपतियों
7. राज्य निर्वाचन आयुक्त
8. मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त

नोट – राज्य में संसदीय संचिवों की नियुक्ति व शपथ मुख्यमंत्री दिलवाता है।

- राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देना।
- राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि व नियम बनाना। अनुच्छेद – 166(2)
- विभिन्न राज्यों में जनजाति व ओ.बी.सी. कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति करना – मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा।
  (94वें संविधान संशोधन 2006 में बिहार राज्य को बाहर कर दिया गया।)

✪ राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड/आयोग/समिति के अध्यक्ष व संरक्षक के रूप में कार्य करता है–

- **अध्यक्ष –** राजस्थान रेडक्रॉस सोसायटी। (उपाध्यक्ष – मुख्यमंत्री)
- **अध्यक्ष –** राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड।
- **अध्यक्ष –** राज्यपाल सहायता कोष
- **अध्यक्ष –** अरावली विकास बोर्ड।
- **अध्यक्ष –** पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,उदयपुर।
  (प्रादेशिक कार्यालय – राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा)
- **अध्यक्ष –** भूतपूर्व सैनिक कल्याण से संबंधित प्रबंधन समिति।
- **कुलाधिपति –** राजस्थान के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के
  (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित)
- **संरक्षक –** राजस्थान स्काऊट गाईड एसोसिएशन।

- **अन्य कार्यपालक शक्तियाँ –**

  अनुच्छेद 166(1) – राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाएगी।

  अनुच्छेद 166(2,3) – राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्य विधि और नियम बनाना एवं मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा।

  अनुच्छेद 208(3) – राज्यपाल विधानपरिषद् वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधानपरिषद् के सभापति से परामर्श के पश्चात् दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

  अनुच्छेद 244 – विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के क्रम में संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास कतिपय विशिष्ट शक्तियाँ होती है।

2. विधायी शक्तियाँ –

अनुच्छेद 160 – कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन।

अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्।

अनुच्छेद 164(3) – मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

अनुच्छेद 168 – राज्यपाल विधानमंडल का महत्वपूर्ण भाग है।

अनुच्छेद 171 – विधानपरिषद् में सदस्यों का मनोनयन।

- विधान परिषद् में $\frac{1}{6}$ सदस्यों को मनोनित करना – साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता व समाज सेवा से संबंधित।

अनुच्छेद 174(1) – विधानसभा का सत्र आहूत।

अनुच्छेद 174(2) – विधानसभा का सत्र अवसान।
विधानसभा का विघटन (भंग करना)।

नोट – विधानसभा सत्र का स्थगन, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 175 – राज्यपाल का अभिभाषण

अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

अनुच्छेद 180 – विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष की नियुक्ति करना।

अनुच्छेद 188 – राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल सदस्यों को शपथ।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति।

नोट –

- प्रथम प्रोटेम स्पीकर – महारावल संग्राम सिंह।
- वर्तमान प्रोटेम स्पीकर – कालीचरण सर्राफ। (16वीं विधानसभा)
- तीन बार प्रोटेम स्पीकर – पूनमचंद बिश्नोई ।
- एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर रहे – भैरोसिंह शेखावत।
- प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – पूनमचंद बिश्नोई।

अनुच्छेद 192(1) – सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में निर्णय लेना।
अनुच्छेद 192(2) – राज्यपाल को भारत के निर्वाचन आयोग से विमर्श करना होगा।
नोट – दल–बदल के मामलों में अयोग्यता संबंधी निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है। (अनुच्छेद – 191(2)

अनुच्छेद 200 – विधेयकों संबंधित शक्तियाँ –
- विधेयकों को अनुमति प्रदान करना।
- विधेयकों को विधानमंडल में पुनर्विचार हेतु लौटाना।
- विधेयक को अनुमति प्रदान करने से इंकार करना।
  (निजी विधेयकों को राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर।)

अनुच्छेद 201 – राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयक–
- यदि विधेयक असंवैधानिक हो।
- यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो।
- यदि विधेयक समवर्ती सूची से संबंधित हो, जिस पर संसद पूर्व में कानून बना चुकी है।
- यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो।
- यदि विधेयक का संबंध संपत्ति के अधिकार से हो।
- यदि विधेयक नीति निर्देशक तत्वों व मूल अधिकारों के विरूद्ध हो।

अनुच्छेद 213 – मंत्रिपरिषद् की सलाह पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति
(अध्यादेश की आयु अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह होती है)।

- **राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश व स्वीकृत विधेयक –**

वर्ष	अध्यादेश	विधेयक
2019	3	37
2020	8	37
2021	0	20
2022	0	15
2023	0	34

- विधानसभा में विभिन्न प्रतिवेदन रखना (राज्य वित्त आयोग, RPSC, CAG)

3. वित्तीय शक्तियाँ –

अनुच्छेद 200 – धन विधेयक को अनुमति प्रदान करना।
अनुच्छेद 202 – बजट को अनुमोदन प्रदान करना।
अनुच्छेद 203(3) – अनुदान की मांग पर मतदान राज्यपाल की अनुमति से किया जाता है।
(वित्तीय आपातकाल में धन विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना)
अनुच्छेद 205 – अनुपूरक, अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान की मांग।
अनुच्छेद 243 'I' व 'Y' – राज्य वित्त आयोग का गठन व इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति।
अनुच्छेद 267(2) – राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण।
(राज्यपाल अप्रत्याशित व्यय को पूर्ण करने के लिए राज्य को अग्रिम राशि प्रदान करता है।)

4. न्यायिक शक्तियाँ –

अनुच्छेद 161 – क्षमादान शक्तियाँ – (लघु करण, परिहार, विराम)
(राज्यपाल को मृत्युदण्ड व कोर्ट मॉर्शल (सैन्य) के मामलों में राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है।)

अनुच्छेद 217 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना।

अनुच्छेद 219 – उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उस राज्य के रााज्यपाल या उसके द्वारा नामित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। (तीसरी अनुसूची)

अनुच्छेद 233 – 'जिला न्यायधीशों की नियुक्ति'।

अनुच्छेद 234 – न्यायिक सेवा में जिला न्यायधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती सरकार द्वारा।

5. स्व–विवेकीय शक्तियाँ –

अनुच्छेद 164(1) – गठबंधन सरकार/त्रिशंकु सरकार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति।
मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त करना।

अनुच्छेद 167 – मुख्यमंत्री से विभिन्न विधायी एवं प्रशासनिक सूचनाएँ प्राप्त करना।

अनुच्छेद 174(2) – विधानसभा को समय से पूर्व भंग करना।

अनुच्छेद 175(2) – राज्यपाल सत्ताधारी दल को बहुमत परीक्षण हेतु बुला सकता है। (फ्लोर टेस्ट)

अनुच्छेद 200 – विधेयकों से संबंधित स्व–विवेकीय शक्तियाँ –

अनुच्छेद 200('क') –

- विधेयकों को अनुमति प्रदान करना।
- विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाना।

अनुच्छेद 201 – विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना।

अनुच्छेद 356 – राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना।

- **अनुच्छेद – 371** राज्यपाल को निम्नलिखित राज्यों के संदर्भ में प्राप्त विशेष शक्तियाँ –

अनुच्छेद	राज्य
371	महाराष्ट्र व गुजरात
371 A	नागालैण्ड
371 B	असम
371 C	मणिपुर
371 D	आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना
371 E	आंध्रप्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय
371 F	सिक्किम
371 G	मिजोरम
371 H	अरुणाचल प्रदेश
371 I	गोवा
371 J	कर्नाटक

- राज्यपाल की स्व–विवेकीय शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- मुख्यमंत्री के विरूद्ध FIR की अनुमति प्रदान करना।
  उदाहरण –
  - बिहार – राज्यपाल ऐ.आर. किदवई द्वारा मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के विरुद्ध।
  - कर्नाटक – राज्यपाल हंसराज भारद्वाज द्वारा मुख्यमंत्री श्री बी.एस. यदुरप्पा के विरुद्ध।
    राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विरूद्ध।

नोट – महत्वपूर्ण निर्णय जिन्होंने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को आकार दिया –

1. एस. आर. बोम्बई बनाम भारत सरकार।
2. रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार।

✪ राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में –

- राज्यपाल की नियुक्ति, निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- राज्यपाल का स्थानान्तरण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति हेतु विधेयकों को आरक्षित करता है।
- राज्यपाल अनुच्छेद 256, 257 के अंतर्गत केंद्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों का क्रियान्वयन राज्य में सुनिश्चित करता है।
- राज्यपाल राज्य में अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है।
- 2015 का नियम – राज्यपाल को विदेश यात्रा पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को देनी होगी।
- पेंशन केंद्र की संचित निधि से मिलती है।

✪ राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं है

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- राज्यपाल की शक्तियों का स्त्रोत भारतीय संविधान है।
- राज्यपाल का वेतन – राज्य की संचित निधि से।
- कार्यकाल का स्थायित्व – बी. पी. सिंघल बनाम भारत सरकार वाद 2010 ई.

☑ राज्यपाल से संबंधित विभिन्न आयोग/समितियाँ –

1. सरकारिया आयोग – 1983 ई. (रणजीत सिंह सरकारिया)
   - राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।
   - राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जानी चाहिए।
   - राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यकाल का प्रावधान किया जाना चाहिए।

2. पुंछी आयोग – 2007 ई. (मदन मोहन पुंछी)
   - राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, संबंधी राज्य का मुख्यमंत्री होंगे।
   - राज्यपाल को समय के पूर्व विधानसभा में महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए।

- राज्यपाल के कार्यकाल की निश्चितता होनी चाहिए।
- राज्यपाल को कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए।
- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो 2 वर्ष से सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो।
- राज्यपाल को साधारण विधेयक 6 माह से अधिक नहीं रोकना चाहिए।
- राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद् या मंत्री के खिलाफ कार्यवाही/मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए।

- **राज्यपाल से संबंधित विभिन्न आयोग/समितियाँ –**
  - प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966 ई.),
  - तमिलनाडु की राजमन्नार समिति (1969 ई.),
  - जम्मू और कश्मीर की भगवान सहाय समिति (1970 ई.),
  - सरकारिया आयोग (1983 ई.),
  - वैंकेटचेलैया आयोग (2000 ई.),
  - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005 ई.)
  - पुंछी आयोग (2007 ई.)

☑ **अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –**

- राजभवन की जनजाति कल्याण इकाई 2011 ई. को स्थापित की गई।
- जनजाति कल्याण सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
- राजभवन सचिवालय, विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है। (विश्वविद्यालय द्वारा गाँव गोद लेना)
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल – गुरूमुख निहाल सिंह (सर्वाधिक कार्यकाल)
  (नियुक्ति – 25 अक्टूबर, 1956)
- राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल – प्रतिभा पाटिल
- राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल – श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े (**45वें**)
- राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई –
  - ✓ दरबारा सिंह
  - ✓ निर्मलचन्द्र जैन
  - ✓ शिलेन्द्र कुमार सिंह
  - ✓ श्रीमती प्रभा राव
- 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री – हरिदेव जोशी
- 1975 के आपातकाल के समय राज्यपाल – सरदार जोगेन्द्र सिंह

- वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के सदस्य रहे –
  - ✓ कलराज मिश्र
  - ✓ मारग्रेट अल्वा
- वे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे –
  - ✓ बलिराम भगत
  - ✓ शिवराज पाटिल
- वह राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति भी रहा/रही – प्रतिभा पाटिल
- वह राज्यपाल जो किसी विधान सभा में स्पीकर रहा है – दरबारा सिंह
- वह राज्यपाल जो किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे –
  - ✓ कल्याणसिंह – उत्तर प्रदेश
  - ✓ सम्पूर्णानन्द – उत्तर प्रदेश
  - ✓ मदनलाल खुराणा – नई दिल्ली
  - ✓ एम.चेन्नारेडी – आंध्रप्रदेश
  - ✓ वसंतदादा पाटिल – महाराष्ट्र
  - ✓ गुरुमुख निहाल सिंह – नई दिल्ली

- सर्वाधिक समय तक राज्यपाल – गुरुमुख निहाल सिंह
- न्यूनतम समय तक राज्यपाल – टी.वी. राजेश्वर
- राज्यपाल पद पर महिलाएँ –
  - ✓ श्रीमती प्रतिभा पाटिल
  - ✓ श्रीमती प्रभा राव
  - ✓ श्रीमती मारग्रेट अल्वा

- प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल – जगत नारायण
- वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे है –
  - ✓ नवरंग लाल टिबरेवाल
  - ✓ वेदपाल त्यागी
  - ✓ मिलापचन्द्र जैन
  - ✓ स्वरूप सिंह

- राज्यपाल को –
  - सरोजनी नायडू ने **"सोने के पिंजरे में कैद चिड़ियाँ"** कहा।
  - विजय लक्ष्मी पण्डित ने **"वेतन का आकर्षण"** कहा।
  - पट्टाभी सीतारमैया ने **"अतिथि सत्कार करने वाला"** बताया।
  - मारग्रेट अल्वा ने **"सरदर्द"** कहा है।

- **राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय रहे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री –**

राज्यपाल	**मुख्यमंत्री**
▪ डॉ. सम्पूर्णानन्द (1967 ई.)	▪ मोहनलाल सुखाड़िया (1967 ई.)
▪ सरदार हुकुमसिंह (1967 ई.)	
▪ रघुकुल तिलक (1977,1980 ई.)	▪ हरिदेव जोशी (1977 ई.)
▪ डॉ. एम. चेन्नारेडी (1992–1993 ई.)	▪ भैरोंसिंह शेखावत (1980 ई.)
▪ बलिराम भगत (1993 ई.)	▪ भैरोंसिंह शेखावत (1992 ई.)

राजस्थान के राज्यपाल एवं कार्यकाल

क्र. सं.	राज्यपाल	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री सवाई मानसिंह (राजप्रमुख)	30.03.1949	31.10.1956	• जयपुर के पूर्व महाराजा, (राजप्रमुख पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया)। • प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी। • चैम्बर ऑफ प्रिन्सेस व बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU)की कोर्ट के वंशानुगत सदस्य। • इण्डियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष (1961 ई.) • मेयो कॉलेज (अजमेर) की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष। • जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के संरक्षक।
2.	सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	01.11.1956	15.04.1962	• सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। • पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके। • दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष। • राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा के स्थान पर राजभवन में रखा गया।
3.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	16.04.1962	15.04.1967	• उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री (1954–60 ई. तक) रहे। • असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। • जयपुर के सांगानेर की खुली जेल इन्हीं की देन है। • इनके कार्यकाल में पहली बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। • इंटर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य रहे। • अपनी **'समाजवाद'** पुस्तक के लिए ''मंगलाप्रसार'' पुरस्कार से सम्मानित। • अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए (1940 ई.)। • नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष व संरक्षक। • प्रेम महाविद्यालय (वृदांवन) तथा डूंगर कॉलेज (बीकानेर) के प्रधानाध्यापक रहे। • ज्ञानमण्डल संस्था में रहकर ''अंतर्राष्ट्रीय विधान'' लिखी और मर्यादा पत्रिका का संपादनभार भी संभाला। • सत्याग्रह आंन्दोलन में हिस्सा। • उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री रहे। • गृह एवं सूचना विभाग के मंत्री रहे तथा वित्त व श्रम मंत्री भी रहे।
4.	सरदार श्री हुकुम सिंह	16.04.1967 24.12.1970	19.11.1970 30.06.1972	• लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी (1962–1967 ई.) रहे। • 1951 ई. में दिल्ली में स्पॉक्समैन पत्रिका का प्रमोचन किया। • राज्य उच्च न्यायालय के उत्तरवर्ती न्यायाधीश भी रहे। • संविधान सभा, अंतरिम संसद, प्रथम व द्वितीय लोकसभा सदस्य। • अकाली दल के सदस्य व अध्यक्ष रहे। • राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। (लंदन 1961 ई.) • संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया (1962 – सोवियत संघ, 1963 ई. – संयुक्त राज्य अमेरिका) • 2 वर्ष राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन की संचालन परिषद् के चयनित सदस्य रहे।

				• शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सदस्य। • साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। (1928 ई.) • राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट के सचिव। • पंजाबी सूबों का हल तलाशने वाली लोकसभा समिति के सदस्य (1965 ई.)। • दो अंग्रेजी पुस्तक (i) दि सिख कॉस, (ii) दि प्रॉब्लम ऑफ सिखिज्म। • हॉकी खिलाड़ी।
5.	न्यायमूर्ति जगत नारायण (कार्यवाहक)	20.11.1970	23.12.1970	• न्यायाधीश। • प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल।
6.	सरदार श्री जोगिन्दर सिंह	01.07.1972	14.02.1977	• संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य। • नेशनल राईफल एसोसिएशन के महासचिव रहे। • प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। • जन लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के सदस्य। • कृषि आयोग के सदस्य। • राज्य सभा की गृह समिति के अध्यक्ष • ओडिसा के कार्यवाहक राज्यपाल (1971–1972)
7.	न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15.02.1977	11.05.1977	• न्यायाधीश। • कैबिनेट मंत्री रहे। • राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।
8.	श्री रघुकुल तिलक	12.05.1977	08.08.1981	• अप्रैल,1977 से जून,1977 ई. राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। • वर्ष 1958–1960 ई. तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। • काशी विद्यापीठ के वाईस चांसलर रहे। • सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल। • सरकारी नीतियों के विरोध स्वरूप राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। • उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। • असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी। • उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त। • गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार (प्रथम बार)
9.	न्यायमूर्ति के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	08.08.1981	05.03.1982	• भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। • पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे। • न्यायाधीष।
10.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	06.03.1982 01.02.1985	04.01.1985 03.11.1985	• एयर चीफ़ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेनाध्यक्ष थे। • उन्हें 1968 ई. में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। • हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स (HAL)के अध्यक्ष रहे। • पद्मविभूषण। • भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष। • इनकी आत्मकथा – 'स्वीट एण्ड सॉर' • महाराष्ट्र के 11वें राज्यपाल रहे।

				• गोल्फ के शोकीन तथा सेन्टर फॉर एयर पावर स्टडीज के सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष। • प्राथमिक उड़ान प्रशिक्षण स्कूल के कमाड़ेंट (जोधपुर) 1980–82 ई.। • एशियाई खेल महासंघ के अध्यक्ष। • राजीव रत्न पुरस्कार (1991 ई.)। • मेयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशक। • भारतीय हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष।
11.	न्यायमूर्ति पी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	05.01.1985	31.01.1985	• न्यायाधीश।
12.	न्यायमूर्ति डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	04.11.1985	19.11.1985	• न्यायाधीश। • राजस्थान के कार्यवाहक लोकायुक्त पद पर रहे।
13.	श्री वसंतराव (वसंतदादा) पाटिल	15.10.1987	19.02.1988	• महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। • महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। • लोक सभा सदस्य रहे। • पद्मभूषण • भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। • प्रथम राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया। • अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव। • महाराष्ट्र राज्य सहकारी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष। • शिवाजी विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य (1962 – 64 ई.)। • राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष भी रहे।
14.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (कार्यवाहक)	20.11.1985 03.02.1989	14.10.1987 19.02.1989	• राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई। • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। • 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामलें के बाद आपराधिक कानून में संशोधन हेतु बनी समिति के अध्यक्ष (तीन सदस्यीय आयोग) • भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश • राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश। • 2002 की गुजरात हिंसा में न्याय के लिए 'मंच तैयार करने' के लिए जाना जाता है। • इनके उल्लेखनीय निर्णय – (i) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (ii) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य।
15.	श्री सुखदेव प्रसाद	20.02.1988 20.02.1989	02.02.1989 02.02.1990	• राज्यसभा सदस्य व कैबीनेट मंत्री रहे। • कार्यकाल के बीच में विदेश में चिकित्सा हेतु गए इस दौरान जे. एस. वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • भारत छोड़ों आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। (1942 ई.) • भारतीय खेल परिषद् व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य। • अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति

				के सदस्य।
16.	श्री मिलापचन्द जैन (कार्यवाहक)	03.02.1990	13.02.1990	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे। • राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाये गये जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। • दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • राजस्थान के लोकायुक्त रहे।
17.	प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	14.02.1990	25.08.1991	• इण्डियन कांउसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष व स्थापनाकर्ता। • पद्मविभूषण। • राज्यसभा सदस्य। • भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली की स्थापना की और इसके अध्यक्ष रहे।
18.	डॉ. स्वरूप सिंह (अतिरिक्त प्रभार)	26.08.1991	04.02.1993	• दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाईस चांसलर • गुजरात व केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। • संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। • राज्यसभा सदस्य रहे। • दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के प्रिंसिपल व उप–प्रिंसिपल। • कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रमुख (1961 ई.)। • हरियाणा से राज्यसभा सदस्य।
19.	डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी (मर्री चेन्ना रेड्डी)	05.02.1993	30.05.1993	• आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। • वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। • तेलंगाना आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। • अंतिम राज्यपाल जिनके कार्यकाल में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। • राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर पुनः सक्रिय राजनीति से जुड़े। • हैदराबाद राज्य में कृषि, खाद्य, योजना व पुनर्वास मंत्री। • कृषि विशेषज्ञों के विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया (1953 ई., रोम) • इन्होंने आंध्र राज्य के साथ तेलंगाना के विलय का विरोध किया और जेंटलमैन समझौते (1956 ई.) के चार हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। • लोक लेखा समिति सदस्य व दो बार प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। • केंद्रीय मंत्रिमण्डल में इस्पात, खान और धातु, मंत्री के रूप में नियुक्ति। • पुदुचेरी के राज्यपाल।
20.	श्री धनिक लाल मण्डल (राज्यपाल हरियाणा) अतिरिक्त प्रभार	31.05.1993	29.06.1993	• राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। • लोकसभा सदस्य। • बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। • भारत छोडो आंदोलन में भाग लिया। • सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव। • जयप्रकाश नारायण के 'सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन' में शामिल हुए। • हरिजन सेवक संघ बिहार के अध्यक्ष। • शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित। • हरियाणा के राज्यपाल ;1990.95द्ध

				• मोरारजी देसाई सरकार में केन्द्रीय गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री रहे।
21.	श्री बलिराम भगत	30.06.1993	30.04.1998	• भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 2 समाचार पत्रों का संपादन किया – क्विट इंडिया, आवर स्ट्रगल • भारत सरकार में योजना राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश व्यापार आपूर्ति मंत्री, इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री रहे। • लोक सभा अध्यक्ष भी रहे। • अंतरिम संसद के सदस्य रहे। • पहली से पांचवी तक एवं सातवीं व आठवीं लोकसभा के सदस्य रहे। • केंद्रीय सरकार में विदेष मंत्री भी रहे। • राष्ट्रदूत पत्र (हिंदी साप्ताहिक) का प्रकाशन शुरु किया। • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के वैकल्पिक गवर्नर।
22.	श्री सरदार दरबारा सिंह	01.05.1998	23.05.1998 (मृत्यु)	• पंजाब विधानसभा अध्यक्ष रहे। • राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। • मृत्यु का कारण – पोकरण मे भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने से मृत्यु हुई। • पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे।
23.	श्री एन.एल. टिबरेवाल (नवरंग लाल टिबरेवाल) (कार्यवाहक)	24.05.1998	15.01.1999	• राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध व राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश रहे। • राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे ।
24.	न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह	16.01.1999	13.05.2003	• इलाहाबाद व राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे। • 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • हाल ही में कोविड–19 से मृत्यु। • इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। • राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। • गुजरात के राज्यपाल। • राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश।
25.	श्री निर्मल चन्द्र जैन	14.05.2003	22.09.2003 (मृत्यु)	• भारतीय वित्त आयोग के सदस्य • पद पर रहते हुए मृत्यु। • लोकसभा सदस्य रहे। • मध्यप्रदेश राज्य के महाधिवक्ता रहे।
26.	श्री कैलाशपति मिश्र (राज्यपाल गुजरात) अतिरिक्त प्रभार	22.09.2003	13.01.2004	• भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। • भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। (गिरफ्तार हुए) • बिहार के वित्त मंत्री। • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य।
27.	श्री मदनलाल खुराना	14.01.2004	31.10.2004	• दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री • वाजपेयी सरकार में संसदीय मामलात एवं पर्यटन मंत्री • इन्हें **'दिल्ली का शेर'** भी कहा जाता था। • राज्यपाल रहते राजस्थान में **"जनता दरबार"** लगाने के कारण

				सुर्खियों में रहे। • अपने पद से त्यागपत्र दिया।
28.	श्री टी.वी. राजेश्वर (राज्यपाल उत्तरप्रदेष) अतिरिक्त प्रभार	01.11.2004	07.11.2004	• भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी। • इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख। • सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। • भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव। • उन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। • सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे। • अरुणाचल प्रदेश के उपराज्यपाल। • आंध्रप्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर।
29.	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	08.11.2004	23.06.2007 (त्याग पत्र)	• विधायक व लोकसभा सदस्या रही। • 2007 से 2012 तक भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। • मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार **"ऑर्डेन मेक्सिकाना डेल एग्वेला एज्टेका"** (ऑर्डर ऑफ एज्टेक ईगल) से सम्मानित किया गया। • राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। • महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों में मंत्री रहीं। • राज्यसभा की उपसभापति। • लोकसभा की गृहसमिति की अध्यक्षा।
30.	डॉ. ए. आर. किदवई (अख्लाक उर रहमान किदवई) (राज्यपाल हरियाणा) अतिरिक्त प्रभार	23.06.2007	05.09.2007	• एक भारतीय रसायनज्ञ और राजनीतिज्ञ थे, जो हरियाणा, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। • किदवई 1974 से 1977 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे। • अध्यक्ष, चयन बोर्ड ऑफ साइंटिस्ट्स पूल। • राज्यसभा सदस्य भी रहे। • जम्मू एवं कश्मीर बैंक के निदेशक भी रहे। • पद्म विभूषण से सम्मानित हुए।
31.	श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह (कार्यवाहक)	06.09.2007 23.07.2009	09.07.2009 01.12.2009	• भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। • पद पर रहते हुए मृत्यु। • संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप 77 के अध्यक्ष रहे। • अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। • अतिरिक्त विदेश सचिव व सचिव रहे। • यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवानिया इंस्टिट्यूट फॉर दी एडवांस स्टडी ऑफ इण्डिया के महासचिव (दिल्ली)। • भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में निदेशक। • न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में ''परमानेंट मिशन ऑफ इण्डिया'' के सदस्य। • जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (दिल्ली) के विजिटिंग प्रोफेसर।
32.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10.07.2009	22.07.2009	• भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी। • कर्नाटक, ओडिशा और आन्ध्रप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार), मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। • सिरी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्याता। • दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर।

				• राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गाँधी पुरस्कार के साथ राजीव गाँधी सद्भावना पुरस्कार के संस्थापक सचिव। • इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (छठी परिषद्) के अध्यक्ष। • आर.बी.आई. के पूर्व संयोजक व पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक। • पूर्व निदेशक, पंजाब–हरियाणा और दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (3 वर्ष)। • केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य। • राज्यसभा के लिए निर्वाचित (दो बार)। • राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति व लोक लेखा समिति के सदस्य।
33.	श्रीमती प्रभा राव (कार्यवाहक)	03.12.2009 25.01.2010	24.01.2010 26.04.2010	• लोकसभा सदस्य रही। • पद पर रहते हुए मृत्यु। • विधानसभा सदस्य (महाराष्ट्र) • महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री। • महाराष्ट्र में विपक्ष की नेता। • हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)। • 13वीं लोकसभा की सांसद निर्वाचित। • राजस्व एवं सांस्कृतिक मामलात विभाग की मंत्री।
34.	श्री शिवराज पाटिल (राज्यपाल पंजाब) अतिरिक्त प्रभार	28.04.2010	11.05.2012	• भारत के विदेश मंत्री • भारत के गृहमंत्री रहते समय मुम्बई में आतंकवादी हमला। • CSIR के उपाध्यक्ष रहे। • लोक सभा अध्यक्ष रहते हुए इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार प्रारम्भ किया गया। (1992 ई.) • केंद्रीय सरकार में रक्षामंत्री भी रहे। • राज्यसभा सांसद भी रहे। • केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। • कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अधिकतम कार्यकाल।
35.	श्रीमती मार्गरेट अल्वा (कार्यवाहक)	12.05.2012	07.08.2014	• उत्तराखण्ड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया। • वे मर्सी रवि अवॉर्ड से सम्मानित हैं। • दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उन्हें वहाँ के स्वाधीनता संग्राम में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। • चार बार लगातार राज्यसभा सदस्या रही। • लोकसभा सदस्या रही। • राज्यसभा की उपसभापति भी रहीं। • गुजरात व गोवा की राज्यपाल रही। • इनकें प्रयासों से 1987 को सार्क देशों ने ''बालिका वर्ष'' घोषित किया।
36.	श्री राम नाइक (अतिरिक्त प्रभार)	08.08.2014	03.09.2014	• भारत सरकार में ऑयल एवं नेचुरल गैस मंत्री। • केंद्रीय सरकार में रेलमंत्री भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे। • उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे।
37.	श्री कल्याण सिंह	04.09.2014	09.09.2019	• दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

				• विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। • अगस्त 2021 में मृत्यु। • लोकसभा सदस्य भी रहे। • पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)।
38.	श्री कलराज मिश्र	09.09.2019	30.07.2024	• भारत सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे। • तीन बार राज्यसभा सदस्य। • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। • उत्तर प्रदेष विधानसभा के सदस्य व विधानपरिषद् के सदस्य भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे। • **'निमित्त मात्र हूँ मैं'** आत्मकथा लिखी। • उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा और पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री। • 16वीं लोकसभा सदस्य। • पुस्तकें प्रकाशित – (i) न्यायिक जबावदेही (ii) हिन्दुत्व एक जीवन शैली।
39.	श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े	31.07.2024	लगातार	• राजस्थान के **45वें** राज्यपाल। • पूर्व में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके। (2014) • महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके। • महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे।

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

अनुच्छेद 163(1) – राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।

अनुच्छेद 163(2) – राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ।

अनुच्छेद 163(3) – मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जाँच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 164(1) –

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा।
- मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती।
- मुख्यमंत्री द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों में से किसी भी सदन से हो सकता है।
- दोनों सदनों से सदस्य नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को छः माह में सदस्य चुना जाना आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 164(1) 'A' – मंत्रिपरिषद् का आकार (91वें संविधान संशोधन, 2003 1 जनवरी, 2004 को क्रियान्वित।

अधिकतम आकार – $29 + 1 = 30$ (विधानसभा के कुल सदस्यों का 15 प्रतिशत)

न्यूनतम आकार – $11 + 1 = 12$

नोट – राजस्थान में अधिकतम मंत्री – 30 (मुख्यमंत्री सहित)
संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद् का भाग नहीं है।
(रामनारायण विश्नोई समिति, 2008 की सिफारिश पर)
संसदीय संचिवों की प्रथम बार नियुक्ति 1967 में मोहनलाल सुखडिया द्वारा की गई।

मंत्रिपरिषद् व मंत्रिमण्डल में अन्तर –

मंत्रिपरिषद्	मंत्रिमण्डल
आकार – व्यापक (विधानसभा के कुल सदस्यों का 15 प्रतिशत)	आकार – छोटा (केवल महत्वपूर्ण विभाग शामिल)
अधिकतम सदस्य निर्धारित	अधिकतम सदस्य निर्धारित
बैठक 3 माह में एक बार(मासिक)	साप्ताहिक
सभी प्रकार मंत्री शामिल (4 प्रकार)	केवल केबिनेट मंत्री शामिल।
मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसका हिस्सा (मूल संविधान में इसका प्रावधान)	जबकि मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते है। (मूल संविधान में प्रवधान नहीं)

- मंत्रिपरिषद् शब्द को 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा अनुच्छेद–352 के संदर्भ में जोड़ा गया है।
- वर्तमान मंत्रिपरिषद् –
  - मुख्यमंत्री = 1
  - उप मुख्यमंत्री = 2
  - कैबिनेट मंत्री = 12
  - राज्य मंत्री = 4
  - राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) = 5
  - कुल मंत्री = 24 (मुख्यमंत्री सहित)
- मंत्रिपरिषद् के गठन के समय संरचना – 25 (मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने त्यागपत्र)
- वर्तमान विधानसभा में कोई भी उपमंत्री व संसदीय सचिव नहीं है।
- वर्तमान मंत्रिपरिषद् में महिला मंत्री –
  - दिया कुमारी – कैबिनेट मंत्री (विधाधर नगर से विधायक)
  - मंजू बाघमार – राज्य मंत्री (जायल विधानसभा क्षेत्र से विधायक)
- मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के आदेश – मंत्रिमंडल सचिवालय जारी करता है।

अनुच्छेद 164(1) 'b'

- विधायक जो दल–बदल के मामले में अयोग्य ठहराया गया। मंत्री पद हेतु भी अयोग्य होगा।

अनुच्छेद 164(2) –

- मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उतरदायी है।
- मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।
- नोट – मंत्री/मंत्रियों का निष्कासन – राज्यपाल द्वारा।

अनुच्छेद 164(3) –

- मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ – राज्यपाल द्वारा।
- शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में।
- मुख्यमंत्री व मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते है।

अनुच्छेद 164(4) –

- व्यक्ति जो ना विधानसभा सदस्य हो ना ही विधानपरिषद् सदस्य हो वह व्यक्ति मुख्यमंत्री, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते वह 6 माह में विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद् सदस्य चयनित/निर्वाचित/नामित हो ।

अनुच्छेद 164(5) –

- मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेत्तन भत्ते – राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण।

✪ **छाया मंत्रिमंडल –**

- विपक्ष द्वारा बनाया गया कैबिनेट।
- संकल्पना ब्रिटेन से ली गई।
- 13वीं विधानसभा से वसुंधरा राजे द्वारा शुरू।

- **किचन कैबिनेट –** मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र व्यक्ति।
- **मंत्रिपरिषद् दो सिद्धांतों का अनुसरण करती है –**

  1.गोपनीयता की सिद्धांत

  2.सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

☑ **मंत्रिपरिषद् के कार्य व भूमिका –**

1. राज्यपाल को निम्नलिखित मामलों में सलाह प्रदान करना।
   - विभिन्न नियुक्तियों में जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि।
   - क्षमादान के मामलों में
   - अध्यादेश जारी करने की सलाह
   - निजी विधेयको के मामलों में सलाह
   - सत्राहूत व सत्रावसान की सिफारिश/सलाह
2. राज्य में विभिन्न विधेयकों के प्रारूप तैयार करना।
3. नीति निर्माण के मामलों में निर्णय लेना।
4. राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न निर्णय लेना जैसे पद–स्थापन, स्थानान्तरण, निष्कासन, निलंबन आदि।
5. चलायमान कानूनों में संशोधन करना।

मुख्यमंत्री

अनुच्छेद 173 – योग्यता

- विधानसभा सदस्य के समान।
  - भारत का नागरिक हो।
  - न्यूनतम आयु 25 वर्ष।
- संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ (बुद्धिमान, विधायकों की स्वीकार्यता, चमत्कारिक व्यक्तित्व)
- द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी भी सदन से हो सकता है।
- **नियुक्ति** – राज्यपाल द्वारा।
  अपवाद – दिल्ली (राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 'A')
- **शपथ** –
  - संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेख।
  - राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाती है।
  - संविधान के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास की शपथ।
  - मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है
- **कार्यकाल** – सामान्यतया: 5 वर्ष । (राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त)
- **त्यागपत्र** – राज्यपाल को (लिखित व हस्ताक्षरित)
- **वेतन** – राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित। (75,000)

☑ **मुख्यमंत्री की शक्तियाँ – (कार्य एवं भूमिका)**

1. मंत्रिपरिषद् से संबंधित –

- मंत्रिपरिषद् का निर्माण और आकार तय करता है।
- मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रिपरिषद् का गठन करता है।
- मंत्रियों के विभागों का वितरण व फेरबदल करता है।
- किसी मंत्री से मतभेद की स्थिति में त्यागपत्र माँग सकता है। यदि त्यागपत्र नहीं देता है, तो राज्यपाल से मंत्री पद से बर्खास्त करवा सकता है। (मंत्रियों की पद मुक्ति)
- मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है, बैठक की कार्ययोजना, समय व स्थान निर्धारित करता है।
- वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों का नियंत्रण, निर्देशन व मार्गदर्शन करता है।
- स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद् को भंग कर देता है।
- राज्यपाल व मंत्रिपरिषद् के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।

2. **राज्यपाल के संदर्भ में** –

- मुख्यमंत्री, राज्यपाल व मंत्रिपरिषद् के बीच कड़ी के रूप में होता है।
- अनुच्छेद – 167 कर्त्तव्य – मुख्यमंत्री : राज्यपाल

- राज्य सरकार के प्रशासन व विधायन से संबंधित सूचना माँगे जाने पर उपलब्ध करवाएगा।
- किसी विषय पर केवल मंत्री ने विनिश्चिय किया है तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री को इस विषय को सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् के सामने रखने को कहता है।
- बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। जैसे – महाधिवक्ता

3. **राज्य विधानमण्डल के सम्बन्ध में –**

- विधानमण्डल का सत्र बुलाने हेतु राज्यपाल को सलाह देता है।
- वह राज्य विधानसभा को भंग करने की सलाह देता है। (अनुच्छेद 174)
- सदन के पटल पर राज्य सरकार की नीतियों को रखता है।
- मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। (अनुच्छेद 213)
- विधानसभा में सभी विधेयक मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति से रखे जाते है।

4. **शासन के मुखिया के रूप में –**

- सामान्यतया मुख्यमंत्री स्वयं के पास सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, गृह विभाग, प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग आदि रखता है।
- विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना।
- विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों, कार्यक्रमों, अभियानों को क्रियान्वित करना।
- विभिन्न समितियों व आयोगों के सदस्य के रूप में कार्य करना (अंर्तराज्य परिषद्, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद् इत्यादि।)
- अध्यक्ष के रूप में कार्य – राज्य आयोजना बोर्ड, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद्, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2005।
- राज्य सरकार के 6.5 लाख कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
- राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण रखना। (IAS, IPS, IFS)
- राजस्थान प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण। (RAS, RPS, RFS)
- विभिन्न नियुक्तियाँ–मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक,संसदीय सचिव इत्यादि।

5. **मुख्यमंत्री के संवैधानिक कार्य/दायित्व – (अनुच्छेद 167 के अनुसार)**

- प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह–

✓ राज्य के प्रशासन एवं विधान विषयक निर्णय जो कि राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये है, की सूचना राज्यपाल को देना।

✓ राज्य के प्रशासन व विधान विषयक निर्णय जो जानकारी राज्यपाल चाहे, वह प्रदान करें।

✓ किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर राज्यपाल के समक्ष विचार के लिए रखे।

- **विभिन्न संचार माध्यमों से समन्वय व जनसम्पर्क संबंधित कार्य–**

राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य –

मुख्यमंत्री	**विशिष्ट कार्य**
श्री टीकाराम पालीवाल	भूमि सुधार
श्री जयनारायण व्यास	दस्यु आतंक उन्मूलन
श्री मोहनलाल सुखाड़िया	इंदिरा गांधी नहर एवं पंचायती राज संस्था
श्री भैरोसिंह शेखावत	अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना
श्री हरिदेव जोशी	माही बांध
श्री अशोक गहलोत	प्रशासनिक मितव्ययता, विद्युत सुधार अतिक्रमण मुक्त अभियान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सुनवाई का अधिकार, 2012 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010
श्रीमती वसुंधरा राजे	महिला सशक्तिकरण

राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल

क्र. सं.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री हीरालाल शास्त्री	07.04.1949	05.01.1951	• वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना। • वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना (यहीं इनका समाधि स्थल है)। • 1947 ई. में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। • 1948 ई. में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • लोक सभा सदस्य रहे। • 1949 ई. में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। • जयपुर राज्य प्रजामंडल के दो बार अध्यक्ष रहे। • आत्मकथा– **'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र'** • लोकप्रिय गीत– **'प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः'** • हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें पद्म श्री व पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2.	श्री सी.एस. वेंकटाचारी	06.01.1951	26.04.1951	• उत्तर प्रदेश में नौकरशाह के बतौर सेवाएँ दी। • बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। • राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के सचिव रहे। • कनाड़ा में भारत के उच्चायुक्त रहे। • 'Witness to the Century' नामक पुस्तक लिखी। • संविधान सभा के सदस्य रहे। • राजप्रमुख के सलाहकार भी रहे। • इनके कार्यकाल की अवधि में ICS अधिकारियों का मंत्रिमण्डल कार्यरत रहा।
3.	श्री जयनारायण व्यास	26.04.1951	03.03.1952	• 1948 ई. में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • राज्यसभा के 2 बार सदस्य चुने गए। • मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव हार गए। • केंद्र द्वारा मनोनीत होने वाले तीसरे मुख्यमंत्री। • प्रथम विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में। • मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे।
4.	श्री टीकाराम पालीवाल	03.03.1952	31.10.1952	• प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री • 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव में जयनारायण व्यास के हारने पर मुख्यमंत्री बने। • प्रथम आम चुनाव में 140 निर्वाचित क्षेत्रों से 160 सीटों पर चुनाव हुए (120 निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय, 20 निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय) • जय नारायण व्यास की सरकार में मंत्री रहे। फिर मुख्यमंत्री बने। • 2 बार विधायक और एक बार लोक सभा (स्वतंत्र प्रभार मंत्री) सदस्य रहे। • राज्यसभा सदस्य भी रहे। • मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री रहे (ऐसे पहले व्यक्ति)

				• दो विधानसभा क्षेत्र मलारना चौड़ व महवा से विधायक रहे।
5.	श्री जयनारायण व्यास	01.11.1952	12.11.1954	• 'किशनगढ़' के उपचुनाव में जीतने पर पुनः मुख्यमंत्री बने (1 नवम्बर 1952)
6. .	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	11.11.1954 13.04.1957 12.03.1962 26.04.1967	11.04.1957 11.03.1962 13.03.1967 08.07.1971	• मुम्बई की छात्र राजनीति में रहते हुए अंग्रेजों का विरोध किया। • मेवाड़ प्रजामण्डल में शामिल हुए। • राजस्थान संघ के समय सिंचाई व श्रम मंत्री रहे। • जयनारायण व्यास सरकार में राजस्व, सिंचाई व श्रम जैसे विभागों में मंत्री रहे। • जयनारायण व्यास द्वारा 'राम राज्य परिषद' को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध हुआ। जिसके बाद हुए विश्वास मत में मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को 8 मतों से हराया एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम–1959 इनके समय में पारित हुआ। • तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। • इन्हें "आधुनिक राजस्थान का निर्माता" भी कहा जाता है। • 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने। जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। • पंचायती राज व्यवस्था– 1959 ई. को शुरु की। नागौर के बगदरी गांव में शुभारंभ हुआ। • सर्वाधिक अवधि (17 वर्ष) के लिए व सर्वाधिक चार बार मुख्यमंत्री रहे। • इनके कार्यकाल में पहली महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल बनी। • 1962 में 1949 से शुरु की गई संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। • मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक विधानसभाओं का सामना करने वाले नेता रहे। • इंदिरा गांधी नहर चालू हुई। • स्वतंत्रता पश्चात् किसी राज्य में सत्तारुढ़ दल के विधायक दल के नेता पद के लिए पहला मुकाबला राजस्थान में 06 नवम्बर, 1954 ई. में रहा जिसमें मोहन लाल सुखाड़िया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को हराया।
7.	श्री बरकतुल्लाह खान	09.07.1971	11.10.1973	• जोधपुर निवासी बरकतुल्लाह खान की 11 अक्टूबर 1973 को हार्ट अटैक से उनके कार्यालय में मृत्यु हुई। • 1971 के भारत–पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री थे।
8.	श्री हरिदेव जोशी	11.10.1973	29.04.1977	• बांसवाड़ा से लगातार 8 बार विधायक। • असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। • इनके नाम पर जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। • सम्पूर्ण देष में एकमात्र विधायक जो प्रथम दस

				विधानसभा चुनाव में लगातार जीते। • देश में लगे आपातकाल (1975) के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। • तीन बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। • विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक भी रहे। • विधानसभा में सती प्रथा विरोधी कानून पास करवाया। • इनके कार्यकाल में सरिस्का में केंद्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी।
9.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	22.06.1977	16.02.1980	• उपराष्ट्रपति रहे। • मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। • 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी। • 2002 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुशील कुमार शिंदे को हराया • 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल से राष्ट्रपति का चुनाव हारे। • 2 बार विपक्ष के नेता रहे। • पहली बार जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान पुलिस में निरीक्षक पद पर कार्य किया। • दस बार विधायक रहे। • इनके कार्यकाल में पहली बार विधानसभा समय से पहले भंग की गई। • राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। • प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तब राज्यसभा सदस्य थे, फिर छबड़ा से चुनाव लड़ा। • राज्य के प्रथम गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री। • पद्म विभूषण से सम्मानित।
10.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	06.06.1980	13.07.1981	• हरियाणा व बिहार के राज्यपाल रहे। • 4 बार लोक सभा सदस्य रहे एवं राज्यसभा सदस्य भी रहे। • राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री। • 25 वर्ष तीन महीने की आयु में पहली बार सांसद चुने गए। द्वितीय लोकसभा में सबसे युवा सांसद बने। • इनकी पत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया भी लोकसभा सदस्या रही। • राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू की। • कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। • जब मुख्यमंत्री बने उस समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि बयाना से लोकसभा सदस्य व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद् में वित्त राज्य मंत्री थे।
11.	श्री शिवचरण माथुर	14.07.1981	23.02.1985	• जन्म – मध्य प्रदेश • असम के राज्यपाल रहे। • लोकसभा सदस्य रहे। • राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। • विधानसभा चुनाव के दौरान डीग विधानसभा के

				निर्दलीय उम्मीदवार श्री मानसिंह की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु होने के बाद माथुर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा।
12.	श्री हीरालाल देवपुरा	23.02.1985	10.03.1985	• मुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल। (16 दिन) • विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। • राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। • मुख्यमंत्री रहते हुए कभी विधानसभा नहीं गए।
13.	श्री हरिदेव जोशी	10.03.1985	20.01.1988	• 1987 ई. में संभागीय व्यवस्था को वापस शुरु किया।
14.	श्री शिवचरण माथुर	20.01.1988	04.12.1989	
15.	श्री हरिदेव जोशी	04.12.1989	04.03.1990	
16.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	04.03.1990 04.12.1993	15.12.1992 01.12.1998	• अपनी सरकार बचाने के लिए 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक मंत्रिपरिषद् में शामिल किए।
17.	श्री अशोक गहलोत	01.12.1998	08.12.2003	• 3 बार मुख्यमंत्री। • सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक अवधि के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे। • AICC के महासचिव रहे। • केन्द्र सरकार में पर्यटन, नागरिक उड्डयन, खेल और टैक्सटाइल मंत्री रहे। • 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। • 6 बार विधायक रहे (1999 से लगातार) • NSUI के अध्यक्ष रहे। • राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। • इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के मंत्रिपरिषद् में मंत्री रहे। • शिवचरण माथुर की सरकार में गृहमंत्री रहे। • लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
18.	श्रीमती वसुंधरा राजे	08.12.2003	13.12.2008	• केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री रही। • 6 बार विधानसभा सदस्या और 5 बार लोकसभा सदस्या रही। • केंद्र सरकार में लघु उद्योग, कार्मिक, प्रशिक्षण, पेंशन प्रशासनिक सुधार, परमाणु ऊर्जा की राज्य मंत्री रही। • अंतरिक्ष विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभाला। • राजस्थान प्रदेश भाजपा की अध्यक्षा रही। • राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता रही। • वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। • 2003 से लगातार विधायक रही। 1985–90 ई. में भी विधायक रही। • राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला।
19.	श्री अशोक गहलोत	13.12.2008	13.12.2013	

20.	श्रीमती वसुंधरा राजे	13.12.2013	16.12.2018	
21.	श्री अशोक गहलोत	17.12.2018	15.12.2023	
22.	श्री भजन लाल शर्मा	15.12.2023	लगातार	• व्यक्तिगत रूप से 14वें। • भरतपुर के अटारी गाँव के निवासी। (भूतपूर्व सरपंच) • सांगानेर विधानसभा क्षेत्र (जयपुर) से निर्वाचित।

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य –**

- पहली विधानसभा में तीन मुख्यमंत्री रहे–
  1. टीकाराम पालीवाल
  2. जयनारायण व्यास
  3. मोहनलाल सुखाड़िया
- चौथी विधानसभा (मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खान) पांचवीं विधानसभा (बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी) आठवीं विधानसभा (हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर) इन विधानसभाओं में **दो–दो मुख्यमंत्री रहे।**
- 7वीं विधानसभा में तीन मुख्यमंत्री रहे–
  1. जगन्नाथ पहाड़िया
  2. हीरालाल देवपुरा
  3. शिवचरण माथुर
- 1990 या 9वीं विधानसभा से सभी विधानसभा में एक ही मुख्यमंत्री रहे।
- सबसे ज्यादा 13 सत्र 5वीं विधानसभा में हुए।
- सबसे कम 6 सत्र 6वीं विधानसभा में हुए।
- सबसे ज्यादा 306 बैठक दूसरी विधानसभा में हुई।
- सबसे कम 95 बैठक 9वीं विधानसभा में हुई।
- सबसे ज्यादा काम (1665.57 घंटे) दूसरी विधानसभा में हुआ।
- सबसे कम काम (691.52 घंटे) 9वीं विधानसभा में हुआ।

- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री – हीरालाल शास्त्री
- प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक कार्यकाल – मोहनलाल सुखाड़िया (17 वर्ष)
- न्यूनतम कार्यकाल – हीरालाल देवपुरा (16 दिन)
- प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री – बरकतुल्लाह खान
- प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- पहली महिला मुख्यमंत्री – वसुंधरा राजे

- भारत पाक युद्ध (1971) के समय मुख्यमंत्री – बरकतुल्लाह खान
- 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री – हरिदेव जोशी
- प्रथम अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री – जगन्नाथ पहाड़ियाँ
- वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे –
  1. हरिदेव जोशी
  2. मोहनलाल सुखाड़िया
  3. शिवचरण माथुर
  4. जगन्नाथ पहाडिया।
- मुख्यमंत्री जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे – शिवचरण माथुर
- वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व विधायक नहीं थे – जयनारायण व्यास, अशोक गहलोत
- मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा दो बार शपथ दिलायी गयी – मोहनलाल सुखाड़िया (गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा)
- वह मुख्यमंत्री जो कभी एम.एल.ए. का चुनाव नहीं हारे – श्रीमती वसुंधरा राजे
- वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे –
  1. जयनारायण व्यास
  2. भैरोंसिंह शेखावत
  3. जगन्नाथ पहाड़िया
  4. टीकाराम पालीवाल
- वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे –
  1. हीरालाल शास्त्री
  2. श्रीमती वसुंधरा राजे
  3. अशोक गहलोत
  4. जगन्नाथ पहाड़िया
  5. टीकाराम पालीवाल
  6. शिवचरण माथुर
- वह मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – हीरालाल देवपुरा
- वह मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री भी रहे – श्रीमती वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत

- वह मुख्यमंत्री जो उपमुख्यमंत्री भी रहे – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहे– अशोक गहलोत
- राजस्थान के प्रथम गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- राजस्थान के 'केयरटेकर सरकार' के मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे –
  1. भैरोंसिंह शेखावत
  2. हरिदेव जोशी
  3. वसुंधरा राजे
- **एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति –**
  1. श्री मोहन लाल सुखाड़िया (4 बार)
  2. श्री हरिदेव जोशी (3 बार)
  3. श्री भैरोंसिंह शेखावत (3 बार)
  4. श्री अशोक गहलोत (3 बार)
  5. श्री शिवचरण माथुर (2 बार)
  6. श्रीमती वसुंधरा राजे (2 बार)
  7. श्री जयनारायण व्यास (2 बार)
- राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं–
  1. हीरालाल शास्त्री
  2. सी.एम. वेंकटाचारी
  3. जयनारायण व्यास
- राज्य के मुख्यमंत्री जो अपने जीवनकाल में किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे – टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्लाह खान, भैरोंसिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा
- 2023 16वीं विधानसभा – नेता प्रतिपक्ष – टीकाराम जुली (कांग्रेस)

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री (गैर–संवैधानिक पद)

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	दल	मुख्यमंत्री	विशेष विवरण
1.	टीकाराम पालीवाल	1 नवम्बर 1952 से 13 नवम्बर 1954	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	जय नारायण व्यास	
2.	हरिशंकर भाभड़ा	4 दिसम्बर 1993 से 30 नवम्बर 1998	भारतीय जनता पार्टी	भैरोंसिंह शेखावत	• उपमुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल। • राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। • हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान विधानसभा के चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा से विधायक रहे। • निधन – 25 जनवरी, 2024
3.	बनवारीलाल बैरवा	19 मई 2002 से 4 दिसम्बर 2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत	• टोंक से संसद सदस्य थे।
4.	कमला बेनीवाल	12 जनवरी 2003 से 4 दिसम्बर 2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत	• त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात की पूर्व राज्यपाल। • किसी भी पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। • गृह, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि मंत्री रही। • राजस्व मंत्री व कैबिनेट मंत्री रही। • महासचिव, राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर। • इफको द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ सहकारी पुरस्कार प्राप्तकर्ता (1994–95)। • 1954 में चिुनाव जीतकर राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री बनी। • 15 मई 2024 को निधन।
5.	सचिन पायलट	24 दिसम्बर 2018 से 14 जुलाई 2020	भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस	अशोक गहलोत	• 15वीं लोकसभा के मंत्रिमण्डल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे।
6.	दीया कुमारी	15 दिसम्बर 2023 से लगातार	भारतीय जनता पार्टी	भजन लाल शर्मा	• राजसमन्द से लोकसभा सांसद रही। (2019 – 2023) • सवाईमाधोपुर से विधायक थी। (2013 – 2018) • इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा "सेव द गर्ल चाइल्ड" के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था।
7.	प्रेमचन्द बैरवा	15 दिसम्बर 2023 से लगातार	भारतीय जनता पार्टी	भजन लाल शर्मा	• 2013 के बाद 2023 में दूसरी बार दूदू सीट से विधायक बने।

❖ उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है।

- ✓ राजस्थान में अब तक उपमुख्यमंत्री – 7
- ✓ राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री – श्रीमती कमला बेनीवाल
- ✓ राजस्थान के एक मात्र उपमुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – हरिशंकर भाभड़ा
- ✓ उपमुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – हरिशंकर भाभड़ा
- ✓ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय उपमुख्यमंत्री रहे –
    - बनवारी लाल बैरवा
    - श्रीमती कमला बेनीवाल
    - सचिन पायलट

महाधिवक्ता

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 165 में प्रावधान किया गया।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ई. में भी महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया।
- यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- इसका पद राज्य सरकार के अधीन रोजगार का पद नहीं है।

☑ **संवैधानिक प्रावधान –**

अनुच्छेद 165(1) – योग्यता

- राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।
- भारत का नागरिक हो।
- उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का वकालात का अनुभव।

या

- 10 वर्ष तक जिला न्यायालय में न्यायाधीश पद पर कार्य का अनुभव हो।

नियुक्ति

- राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर।

नोट –

- राजस्थान में प्रथम महाधिवक्ता की नियुक्ति 1957 ई. में की गई।
  (प्रथम महाधिवक्ता – जी.सी. कासलीवाल)
- नियुक्ति के आदेश विधि विभाग द्वारा जारी किए जाते है।

अनुच्छेद 165(2) – महाधिवक्ता के कार्य।

अनुच्छेद 165(3) –

- ✓ **वेतनभत्ते** – राज्यपाल द्वारा निर्धारित।
- ✓ **कार्यकाल** – राज्यपाल के प्रसादपर्यंत तक।
- **त्यागपत्र** – राज्यपाल को देता है।
- **बर्खास्त** – राज्यपाल द्वारा
- **शपथ** – शपथ का कोई प्रावधान नही।
- महाधिवक्ता की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।
- महाधिवक्ता कार्यालय – जयपुर

☑ **कार्य –**

- राज्य सरकार को वैधानिक मामलों में सलाह प्रदान करना।
- राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखना।
- राज्य विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेना व अपना पक्ष रखना। (अनुच्छेद 177)

- राज्य विधानसभा समितियों की बैठक में भाग लेना।
- **नोट** – महाधिवक्ता विधानमण्डल की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन उसे विधानमण्डल में मतदान करने का अधिकार नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य –

- वर्तमान महाधिवक्ता (19वें) – राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (3 फरवरी 2024 से)
- प्रथम महाधिवक्ता – जी. सी. कासलीवाल (सर्वाधिक कार्यकाल – 15 वर्ष)
- महाधिवक्ता के रूप में 3 कार्यकाल – बी. पी. अग्रवाल
- महाधिवक्ता के रूप में 2 कार्यकाल – एस. एम. मेहता, नरपतमल लोढ़ा।
- प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता – ए. के. माथुर।
- महाधिवक्ता जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे– एल. एम. सिंघवी।

- **महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण वाद –**
  1. जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य।
  2. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विधि अधिकारी संघ।

राजस्थान के महाधिवक्ता

1. जी.सी. कासलीवाल – सर्वाधिक कार्यकाल रहा। (15 वर्ष)
   - जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष रहे।
   - विधायक रहे।
2. लक्ष्मीमल सिंघवी (लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रहे, हाई – कमीश्नर यू.के में, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित)
3. एस.के. तिवारी
4. पी.के. रस्तोगी
5. एस.के. तिवारी
6. ए.के. माथुर (एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता)
7. एन.एल. जैन
8. डी.सी. स्वामी
9. एम.आर. काला
10. बी.पी. अग्रवाल (महाधिवक्ता के रूप में तीन कार्यकाल)

11. एस. एम. मेहता

12. बी.पी. अग्रवाल

13. एस.एम. मेहता

14. बी.पी. अग्रवाल

15. एन.एम. लोढ़ा

16. जी.एस. बाफना

17. एन.एम. लोढ़ा

18. एम.एस. सिंघवी

19. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (वर्तमान महाधिवक्ता)– जनवरी 2014 से जनवरी 2019 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) थे।

राज्य विधानमण्डल

- **राज्य विधानमण्डल** – राज्यपाल + विधानसभा + विधानपरिषद्
- **यदि एक सदनीय व्यवस्था** – राज्यपाल + विधानसभा
- राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्था है।
- भारत में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात् विधानपरिषद् –
  1. आंध्रप्रदेश
  2. तेलंगाना
  3. उत्तर प्रदेश
  4. बिहार
  5. महाराष्ट्र
  6. कर्नाटक
- हाल ही पश्चिम बंगाल ने भी विधानपरिषद् हेतु प्रस्ताव पारित किया है।
- जम्मू व कश्मीर में 2019 के कानून अधिनियम द्वारा विधान परिषद समाप्त कर दी गई है।

विधानसभा

संरचना व संगठन –

- अनुच्छेद 170 के तहत् विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 व न्यूनतम 60 हो सकती है।
- **अपवाद** – मिजोरम, आधंप्रदेश, गोवा, सिक्किम
- विधानसभा स्थानों का आवंटन – 1971 ई. की जनसंख्या के अनुसार
- **विधानसभा में आरक्षण** – कुल आरक्षित सीट 59 (SC = 34, ST = 25)
- **अनुच्छेद 332** – ST & SC हेतु आरक्षण

  नोट –

  - ✓ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, की सभी सीटें ST हेतु आरक्षित है।
  - ✓ सर्वाधिक SC हेतु आरक्षित सीटें – जयपुर (3 सीट)
  - ✓ जैसलमेर, राजसमंद की सभी सीटें अनारक्षित है।
  - ✓ सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र – जयपुर (19 क्षेत्र)
  - ✓ न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्र – जैसलमेर (2), प्रतापगढ़ (2)
  - ✓ विधानसभा जिसमें सर्वाधिक मतदाता है – झोटवाड़ा (जयपुर)
  - ✓ विधानसभा क्षेत्र जहां न्यूनतम मतदाता – बसेड़ी (धौलपुर)
  - ✓ एक जिले में सर्वाधिक मतदाता – जयपुर
  - ✓ एक जिले न्यूनतम मतदाता – जैसलमेर।
- राजस्थान विधानसभा में वर्तमान सदस्य – 200
- पहली विधानसभा 1952 में सदस्य –160

- पहली विधानसभा 1956 में अजमेर के विलय से सदस्य संख्या – 190 (160 + 30)
- दूसरी व तीसरी विधानसभा में सदस्य संख्या – 176
- चौथी व पाँचवी विधानसभा में सदस्य संख्या – 184
- छठी विधानसभा 1977 से सदस्य संख्या – 200
- **अनुच्छेद 333 –** 1 सदस्य (एंग्लो इण्डियन का मनोनयन वर्तमान में इस व्यवस्था को 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।)

निर्वाचन पद्धति – वयस्क मताधिकार (18 वर्ष की आयु प्राप्त) व्यक्ति मतदाता

✓ नोट – वर्ष 2026 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या स्थिर रहेगी।

सदस्यों की योग्यता – (अनुच्छेद–173)

✓ भारत का नागरिक हो।
✓ न्यूनतम आयु 25 वर्ष
✓ दिवालिया, मानसिक विकृत ना हो।
✓ संसद द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य योग्यताएँ।
✓ सरकार में लाभ का पद धारण न करता हो।

अनुच्छेद 188 – शपथ

✓ विधानमण्डल के सदस्य राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते है।

अनुच्छेद 191(1) – सदस्यों की अयोग्यताएँ

✓ लाभ का पद ग्रहण कर ले।
✓ दिवालियापन के कारण
✓ मानसिक विकृति (न्यायालय द्वारा)
✓ विधायक द्वारा विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर।
✓ संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएँ –
  - विधानसभा या संसद सदस्य दोनो चुने जाने पर।
  - सदन से 60 दिन बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित होने पर।
  - दल–बदल कानून के तहत दोष सिद्धी पर।

अनुच्छेद 191(2) – दल बदल के मामले में अयोग्यता का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा।

नोट – अयोग्यता का निर्धारण भारत निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है।

☑ **विधानसभा में अधिवेशन –**

- संवैधानिक प्रावधान – वर्ष में 2 बार (6 माह का अंतराल में)
- राजस्थान विधानसभा के सत्र –

बजट सत्र
मानसून सत्र
शीतकालीन सत्र। } न्यूनतम 60 बैठक।(1 वर्ष में।)

- राजस्थाान में अध्यक्ष का पैनल – 4 विधायक।
- विधानसभा में सत्राहूत, सत्रावसान, विशेष सत्र राज्यपाल द्वारा किए जाते है।
- सत्र का स्थगन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- नव निर्वाचित विधान सभा का प्रथम सत्र व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राज्यपाल द्वारा सम्बोधित किया जाता है।

☑ **विधानसभा के पदाधिकारी –**

❖ **अध्यक्ष – (अनुच्छेद 178)**

- विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
- चुनाव तिथि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
- **कार्यकाल** – 5 वर्ष (विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा भंग होने के साथ ही अपना पद रिक्त नहीं करता है अपितु नई विधानसभा की प्रथम बैठक प्रारम्भ होने तक अपने पद पर आसीन रहता है।)
- **शपथ** – शपथ का कोई प्रावधान नहीं है।
- **त्यागपत्र–** अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 179 के तहत्।
  (उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा सचिव को देता है।)
- **निष्कासन/हटाने की विधि** – विधानसभा के उपस्थित सदस्य अपने साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकते हैं। लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी पड़ती है।
  (न्यूनतम 1/5 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।)
- **वेतन – 70,000 प्रति माह**
- राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने के लिए अब तक **6 बार प्रस्ताव** लाये गये हैं। इन प्रस्तावों द्वारा किसी भी अध्यक्ष को नहीं हटाया नहीं जा सका है।
- **विधानसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध प्रस्ताव लाए गये–**

1. नरोत्तम लाल जोशी	2 बार	प्रथम विधानसभा
2. निरंजन नाथ आचार्य	1 बार	चौथी विधानसभा
3. गिरराज प्रसाद तिवाड़ी	1 बार	आठवीं विधानसभा
4. शांतिलाल चपलोत	2 बार	दसवीं विधानसभा

अध्यक्ष के कार्य –

- धन–विधेयक संबंधित निर्णय लेना।
- दल–बदल से संबंधित निर्णय लेना। (अनुच्छेद 191(2))
- विधानसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य उद्देश्य समिति, नियम समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- निर्णायक मत डालना।
- विधानसभा बैठकों की अध्यक्षता करना।
- सदन में शांति व्यवस्था व अनुशासन बनाये रखना।

- सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना।
- विधानसभा सत्र को स्थिगित करना।

नोट –

1. विधानसभा अध्यक्ष को सदन में मतदान का अधिकार नहीं हैं। केवल किसी विधेयक पर बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है।
2. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा सदस्य करेगा तथा सदस्यगण नये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
3. यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो अध्यक्षता विधानसभा द्वारा नियुक्त पैनल का कोई सदस्य करेगा।

❖ उपाध्यक्ष – अनुच्छेद 178

- ➢ उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है।
- ➢ चयन की तिथि का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- ➢ वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है।
- ➢ उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है।
  (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा सचिव को)
- ➢ वेतन – 65,000 प्रति माह

❖ विधानसभा सचिव – अनुच्छेद 187

- ➢ यह विधानसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है (अनुच्छेद 187)
- ➢ विधानसभा सचिव सदस्यों को 21 दिन पूर्व विधानसभा सत्र के संदर्भ में सूचित करता है।
- ➢ वर्तमान विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा है। (जिला न्यायाधीश)

नोट – राज्य विधानसभा में संसद की भांति संयुक्त बैठक के प्रावधान नहीं है।

☑ विधानसभा का कार्यकाल –

- ➢ यह अस्थायी सदन है।
- कार्यकाल – 5 वर्ष
- राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
- **नोट –** आपातकाल में संसद विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। (एक बार में)

☑ विधान सभा की शक्तियाँ व कार्य –

1. विधायी शक्तियाँ –

- राज्य सूची (61 विषय), समवर्ती सूची (52 विषय) पर कानून बनाना।
- साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- नोट –
  1. विधानपरिषद् साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है (पहली बार में 3 माह व दूसरी बार में 1 माह)

2. तीसरी विधानसभा में अधिकतम विधेयक रखे गये। (16 विधेयक)
3. 8वीं, 13वीं, 14वीं व 15 वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक नहीं रखा गया।
4. राजस्थान विधानसभा में अब तक **4 गैर सरकारी विधेयक** कानून बन चुके हैं।
   1. पहली विधानसभा 1. राजस्थान कानूनी चिकित्सक (संशोधन) विधेयक,1952
      2. कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण विधेयक, 1954
   3. दूसरी विधानसभा = 1. राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक, 1958
   4. पाँचवी विधानसभा = 1. राजस्थान पशु और पक्षी बलिदान (निषेध) विधेयक,1973

सीमाएँ –

- आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाये जाते हैं।
- अनुच्छेद 249 के तहत् राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर राज्य सूची पर राज्य सभा द्वारा कानून बनाये जाते हैं।
- कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है जैसे – अन्तर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य (अनुच्छेद 304)

2. वित्तीय शक्तियाँ –

- धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है।
- अनुदान की मांग पर मतदान केवल विधानसभा में किया जाता है।
- **नोट –** विधानपरिषद् धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है।

3. मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण –

- विभिन्न प्रस्तावों द्वारा जैसे – ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, प्रश्न व पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव।
- **अविश्वास प्रस्ताव –**
  - ✓ अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है।
  - ✓ नियम 132 के तहत् लाया जाता। न्यूनतम 50 सदस्यों समर्थन से लाया
  - ✓ कुल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चका है।
  - ✓ प्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1952 में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के विरूद्ध निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी द्वारा लाया गया था।
  - ✓ अंतिम अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के विरूद्ध विधायक भैरोसिंह शेखावत, नाथूराम मिर्धा, प्रोफेसर केदार व सोपत सिंह द्वारा लाया गया था।
  - ✓ सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव –
    - मोहनलाल सुखाड़िया के विरूद्ध 6 बार
    - हरिदेव जोशी 2 बार
    - भैरोसिंह शेखावत 2 बार
    - टीकाराम पालीवाल 1 बार
    - बरकतुल्ला खान 1 बार
    - जगन्ननाथ पहाड़िया 1 बार

- **विश्वास मत –**

- राजस्थान विधानसभा में अब तक नियम 132 'A' के तहत 5 बार विश्वास मत पेश किया गया है।
- विश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री लाता है एवं एक बार पास होने पर 6 माह तक पुनः नहीं लाया जा सकता ।

विधानसभा व वर्ष	मुख्यमंत्री
9वीं – 1990 (2 बार)	श्री भैंरोसिंह शेखावत
10वीं –1993 (1 बार)	श्री भैंरोसिंह शेखावत
13वीं – 2009 (1 बार)	श्री अशोक गहलोत
15वीं – 2020 (1 बार)	श्री अशोक गहलोत

नोट – यदि दोनों प्रस्ताव एक साथ आ जाए तो सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

4. निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ –

- विधानसभा सदस्य निम्नलिखित चुनावो में मतदान का प्रयोग करते है–
  1. राष्ट्रपति का चुनाव
  2. विधानपरिषद् के 1/3 सदस्यों का चुनाव
  3. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव व इनको हटाने की शक्ति भी विधानसभा को है।
  4. राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
  5. संविधान संशोधन में मताधिकार। (अनुच्छेद 368)

विधानसभा समितियाँ

सामान्य समितियाँ (22) | **वित्तीय समितियाँ (4)**

- सामान्यतयाः समितियों की संख्या 22 होती है। (18 सामान्य समिति, 4 वित्तीय समिति)
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 26 समितियाँ कार्यरत है।
- समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- यह समितियाँ 1956 के नियमों के अंतर्गत कार्य करती है।
- समितियों की गणपूर्ति – 1/3 सदस्य।
- विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य बनते हैं तो वह उस समिति के अध्यक्ष होते हैं।
- समितियों का कार्यकाल – एक वर्ष (अपवाद – महिलाएँ एवं बाल विकास समिति – 2 वर्ष)

नोट : विधानसभा अध्यक्ष समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा सकता है।

- समितियों के सदस्यों की संख्या : (अधिकतम) – 15 (1 + 14)

  अपवाद – सदाचार समिति एवं पुस्तकालय समिति – 10 (1 + 9)
- वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष (श्रीवासुदेव देवनानी) 3 समितियों के पदेन अध्यक्ष हैं।

1. कार्य सलाहकार समिति, 2. नियम समिति, 3. सामान्य उद्देश्य समिति

- मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता।
  (अपवाद – कार्य सलाहकार समिति। मंत्री जोगाराम पटेल इस समिति के सदस्य है।)
  कार्य सलाहकार समिति राज्यपाल के अभिभाषण का दिवस तय करती है।
- समिति जिनका आकार निर्धारित नहीं है – सामान्य उद्देश्य, नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संबंधी समिति।

वित्तीय समितियाँ – (4)

1. लोक (जन) लेखा समिति – अध्यक्ष – टीकाराम जूली (नेता प्रतिपक्ष)
2. प्राक्कलन समिति – क – अध्यक्ष – अर्जुनलाल जीनगर
3. प्राक्कलन समिति – ख – अध्यक्ष – श्रीचंद कृपलानी
4. लोक (राजकीय) उपक्रम समिति – अध्यक्ष – कालीचरण सर्राफ

सामान्य समितियाँ –

- आवास (गृह) समिति – अध्यक्ष – प्रतापसिंह सिंघवी
- सरकारी आश्वासन समिति – अध्यक्ष – जितेंद्र गोठवाल
- पर्यावरण समिति – अध्यक्ष – डॉ.दयाराम परमार
- अधीनस्थ विधान संबंधी समिति – अध्यक्ष – अनिता भदेल
- अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति – अध्यक्ष – फूलसिंह मीणा
- अनुसूचित जाति कल्याण समिति – अध्यक्ष – डॉ.विश्वनाथ मेघवाल
- अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी समिति – अध्यक्ष – पब्बाराम विश्नोई
- प्रश्न व संदर्भ समिति – अध्यक्ष – संदीप शर्मा
- पुस्तकालय समिति – अध्यक्ष – सुरेंद्र सिंह राठौड़
- पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति – अध्यक्ष – केसाराम चौधरी
- महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति – अध्यक्ष – शोभा चौहान
- याचिका समिति – अध्यक्ष – हमीर सिंह भायल
- विशेषाधिकार समिति – अध्यक्ष – पुष्पेंद्रसिंह राणावत
- सदाचार समिति – अध्यक्ष – हरीश चौधरी
- स्थानीय निकायों एवं पंचायती – अध्यक्ष – हरिसिंह रावत

- समितियों की महिला अध्यक्ष –

- अधीनस्थ विधान समिति – अनीता भदेल
- महिला एवं बाल विकास समिति – शोभा चौहान

प्रोटेम स्पीकर

क्र.सं.	विधानसभा	नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	शपथ की तिथि
1.	प्रथम	श्री महाराव संग्राम सिंह	24.03.1952	27.03.1952
		श्री जयनारायण व्यास	03.12.1956	03.12.1956
2.	द्वितीय	श्री नारायण सिंह मसूदा	22.04.1957	23.04.1957
3.	तृतीय	श्री नारायण सिंह मसूदा	07.03.1962	10.03.1962
4.	चतुर्थ	श्री पूनमचन्द विश्नोई	28.04.1967	02.05.1967
5.	पांचवी	श्री यशवंत सिंह नाहर	17.03.1972	19.03.1972
6.	छठी	मेजर फतेह सिंह	13.07.1977	17.07.1977
7.	सातवीं	श्री परस राम मदेरणा	03.07.1980	03.07.1980
8.	आठवीं	श्री लक्ष्मण सिंह	11.03.1985	16.03.1985
9.	नौवी	श्री पूनम चन्द विश्नोई	08.03.1990	12.03.1990
10.	दसवीं	श्री पूनम चन्द विश्नोई	22.12.1993	22.12.1993
			05.04.1995	-
			18.07.1998	-
11.	ग्यारहवीं	श्री भैरोसिंह शेखावत	14.12.1998	03.01.1999
12.	बारहवीं	श्री गंगाराम चौधरी	06.01.2004	14.01.2004
13.	तेरहवीं	श्री देवी सिंह भाटी	24.12.2008	25.12.2008
14.	चौदहवीं	श्री प्रद्युमन सिंह	02.01.2014	20.01.2014
15.	पन्द्रहवीं	श्री गुलाबचन्द कटारिया	08.01.2019	14.01.2019
16.	सोलहवीं	श्री कालीचरण सराफ	18.12.2023	18.12.2023

विधानपरिषद्

❖ गठन प्रक्रिया – अनुच्छेद 169

- विधानसभा द्वारा गठन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक है एवं यह बहुमत कुल मतों (उपस्थित सदस्यों) के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए।
- राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् संसद द्वारा प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा पारित होने पर (राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात) राज्य में विधान परिषद् का गठन किया जाता है।
- संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत द्वारा पारित करेगी।
- विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् राज्य में विधानपरिषद् का गठन किया जा सकेगा।
- विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है।

❖ संरचना – अनुच्छेद 171

- अधिकतम सदस्य – राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3
- न्यूनतम सदस्य संख्या – 40 सदस्य।

- **वर्तमान में विधानपरिषद् एवं सदस्यों की संख्या –**
  - ✓ आध्र प्रदेश – 50
  - ✓ तेलांगाना – 40
  - ✓ उत्तरप्रदेश – 40
  - ✓ बिहार – 75
  - ✓ कर्नाटक – 75
  - ✓ महाराष्ट्र – 78
- नोट –
  1. राजस्थान सरकार ने विधानपरिषद् बनाने का निर्णय 11 दिसम्बर,2008 को लिया।
  2. विधानसभा ने यह प्रस्ताव 18 अप्रैल, 2012 को पारित किया।
  3. राजस्थान विधानपरिषद् अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान विधानपरिषद् के गठन का प्रस्ताव राजस्थान विधानमण्डल द्वारा संसद को 6 अगस्त, 2013 को भेजा गया था।
  4. यह विधेयक समाप्त हो गया।
  5. विधेयक का नाम – राजस्थान विधानपरिषद् विधेयक, 2013
  6. राजस्थान में प्रस्तावित विधानपरिषद् सदस्य संख्या – 66

निर्वाचन –

- 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित
- 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित। (शहरी निकाय)
- 1/12 शिक्षक जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो। (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान)
- 1/12 जिन्हें स्नातक किये हुए 3 वर्ष हो चुके हो।
- 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है।
  (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन, समाज सेवा से।)

योग्यता –

- भारत का नागरिक हो।
- आयु 30 वर्ष।
- सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो।
- संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न योग्यताएँ।

अयोग्यताएँ –

- लाभ का पद ग्रहण करने पर।
- दिवालिया घोषित होने पर।
- भारत की नागरिकता समाप्त होने पर।
- विकृत मानसिकता से ग्रसित होने पर।

कार्यकाल –

- विधान परिषद एक स्थायी सदन है।
- इसके सदस्यों का कार्यकाल – 6 वर्ष है।
- 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत हो जाते है।

अधिवेशन –

- वर्ष में 2 बार

गणपूर्ति –

- 1/10 या कम से कम 10 सदस्य (दोनों में से भी अधिक हो।)

☑ विधान परिषद पदाधिकारी –

सभापति व उपसभापति – अनुच्छेद 182

- इनका चुनाव विधान परिषद् सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- इनको हटाने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
- इनको चुनने व हटाने की प्रकिया विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के समान है।

☑ विधान परिषद की शक्तियाँ –

1. विधायी शक्तियाँ –

- विधानसभा से पारित विधेयक को विधानपरिषद् संशोधन सहित लौटा सकती है या 3 माह तक रोक सकती है।
- पुनः विधानसभा द्वारा पारित कानून विधान परिषद् द्वारा 1 माह तक रोका जा सकता है। अर्थात् विधानपरिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है।
- नोट – संसद की भांति विधान मण्डल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

2. वित्तीय शक्तियाँ –

- चूंकि धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है। अतः विधानपरिषद् धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। इसके पश्चात् धन विधेयक विधानपरिषद् द्वारा स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि विधानपरिषद् धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश विधानसभा को कर सकती है, संशोधन नहीं।

3. मंत्री परिषद् पर नियंत्रण –

- विधान परिषद् में मंत्री परिषद् के विरुद्ध निम्नलिखित प्रस्ताव लाये जा सकते है–
  1. काम रोको प्रस्ताव
  2. स्थगन प्रस्ताव
  3. निन्दा प्रस्ताव

विधान सभा व विधान परिषद में तुलना –

बिन्दु	**विधान सभा**	**विधानपरिषद्**
साधारण विधेयक	अधिक शक्तिशाली	अधिकतम 4 माह तक विधेयक को रोकने संबंधी शक्ति
धन विधेयक	सर्वप्रथम विधानसभा में	केवल 14 दिन तक रोकने की शक्ति
कार्यपालिका पर नियंत्रण	सभी प्रस्ताव लाये जा सकते हैं।	अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर सभी प्रस्ताव लाये जा सकते है।
निर्वाचन संबंधी शक्ति	राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य	ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।

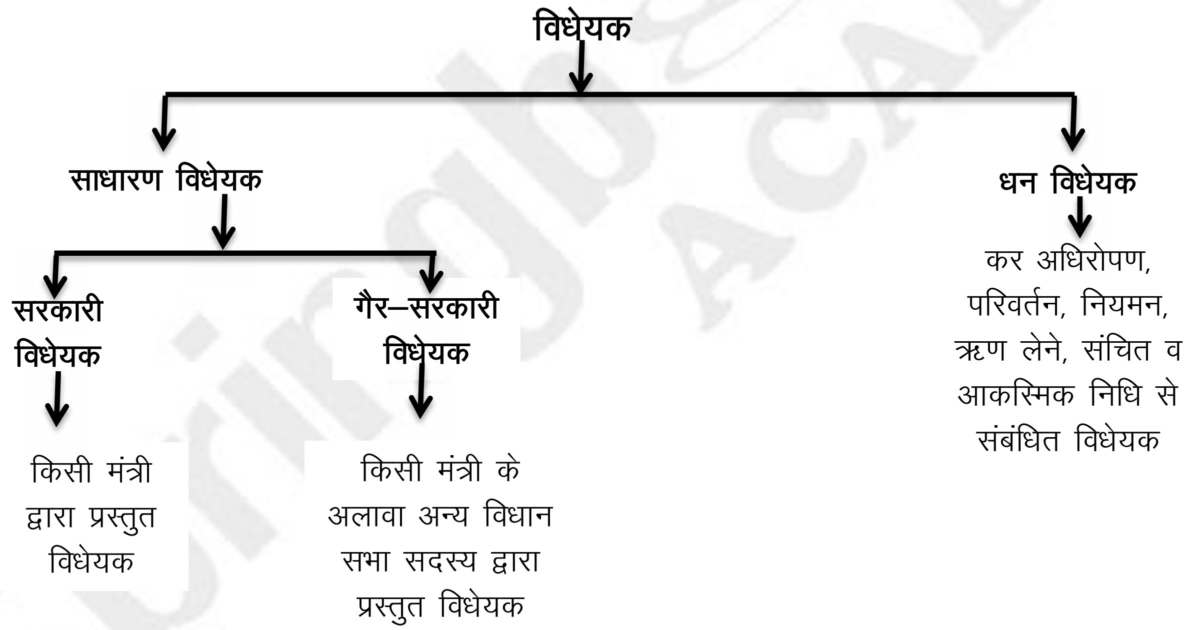

☑ **महत्त्वपूर्ण तथ्य –**

- ✓ प्रथम अध्यक्ष – नरोत्तम लाल जोशी
- ✓ प्रथम महिला अध्यक्ष – श्रीमती सुमित्रा सिंह (12वीं विधानसभा)
- ✓ सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष – श्री रामनिवास मिर्धा
- ✓ सबसे कम समय तक अध्यक्ष – श्री समरथलाल मीणा
- ✓ प्रथम उपाध्यक्ष – लालसिंह शक्तावत

- ✓ राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष – श्रीमती तारा भण्डारी
- ✓ विधानसभा में प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक – श्री मथुरादास माथुर
- ✓ विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में दो कार्यकाल – श्री महावीर प्रसाद जैन
- ✓ विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष – श्री लक्ष्मण सिंह
- ✓ विधानसभा अध्यक्ष जो केन्द्र में मंत्री भी रहे – श्री रामनिवास मिर्धा, श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, श्री सी.पी. जोशी
- ✓ विधानसभा अध्यक्ष जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे – श्री रामकिशोर व्यास, श्री गोपाल सिंह
- ✓ विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे – श्री निरंजननाथ आचार्य, श्री पूनमचन्द विश्नोई, श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, श्री शांति लाल चपलोत, श्री समरथलाल मीणा
- ✓ तीन बार प्रोटेम स्पीकर रहे – श्री पूनमचन्द विष्नोई
- ✓ राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य चुने गये – श्री नाथूराम मिर्धा (कांग्रेस)
- ✓ राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता – श्री जसवंत सिंह
- ✓ राजस्थान की पहली महिला सांसद – श्रीमती शारदा भार्गव (राज्यसभा)
- ✓ राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्या – श्रीमती गायत्री देवी
- ✓ राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी – डॉ. नारायण सिंह
- ✓ राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य – श्री रामनिवास मिर्धा, श्री जसवंत सिंह (दोनों चार–चार बार)
- ✓ राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला राज्यसभा सदस्या – श्रीमती शारदा भार्गव (तीन बार)
- ✓ राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्या – श्रीमती सुशीला बंगारू (जालौर)
- ✓ राज्य से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला लोकसभा सदस्या – श्रीमती ऊषा मीणा (सवाई माधोपुर)

❖ **वर्तमान विधानसभा में पदाधिकारी –**

- वर्तमान अध्यक्ष – श्री वासुदेव देवनानी
- वर्तमान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर – श्री कालीचरण सर्राफ
- वर्तमान विधानसभा में मुख्य सचेतक – श्री जोगेश्वर गर्ग
- विपक्ष के नेता – टीकाराम जूली
- उपनेता प्रतिपक्ष – रामकेश मीणा।
- वर्तमान मंत्रिपरिषद् में महिला मंत्री – दीया कुमारी, मंजू बाघमार
- कुल महिला विधायक = 20

5. **लोकसभा चुनाव 2024** – राजस्थान में लोकसभा चुनाव दो चरणों में सम्पन्न कराये गये।

- प्रथम चरण – 19 अप्रैल 2024,
- द्वितीय चरण – 26 अप्रैल 2024
- राजस्थान में वर्तमान में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं। (एससी–4, एसटी–3)
- लोकसभा चुनाव परिणाम में विजयी दल –

भाजपा	14
कांग्रेस	8
रालोपा	01
सीपीआई	01
बीएपी	01

- **लोकसभा चुनाव में विजयी महिला सांसद –**
  1. संजना जाटव (भरतपुर)
  2. मंजू शर्मा (जयपुर)
  3. महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमंद)।

- सर्वाधिक मतों से विजयी सांसद – महिमा कुमारी मेवाड़, भाजपा (राजसमंद) 392223 मतों से विजयी।
- सबसे कम मतों से विजयी सांसद – राव राजेंद्र सिंह, भाजपा (जयपुर ग्रामीण) 1615 मतों से विजयी।

विधानसभा अध्यक्ष

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	श्री नरोत्तम लाल जोशी (पहली विधानसभा)	31.03.1952	25.04.1957	• राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष और झुंझुनूँ से कांग्रेस के विधायक रहे। • भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदार व सामंती शोषण के विरूद्ध प्रजामण्डल आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका।
2.	श्री रामनिवास मिर्धा (दूसरी, तीसरी विधानसभा)	25.04.1957	03.05.1967	• विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे। • भारत सरकार के केबिनेट मंत्री रहे (विदेशमंत्री) • यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य व इंडियन हेरिटेज सोसाइटी अध्यक्ष • राज्यसभा के उपसभापति (1977 - 80) • राजस्थान सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे • कृषि, सिंचाई और परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार (1954 - 1957) • प्रतिभूति एवं बैकिंग लेनदेन 1992 में अनियमितताओं की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष
3.	श्री निरंजननाथ आचार्य (चौथी विधानसभा)	03.05.1967	20.03.1972	• इनके समय राज्यमंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई • दल – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस • इनके समय प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा।
4.	श्री रामकिशोर व्यास (पाँचवी विधानसभा)	20.03. 1972	18.07.1977	• स्वतंत्रता सेनानी। • पुदुचेरी के उपराज्यपाल (1980) • राजस्थान के गृहमंत्री • इनके समय राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। • जयपुर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु (16 अप्रैल, 1981)
5.	श्री लक्ष्मण सिंह (छठी विधानसभा)	18.07. 1977	20.06.1979	• डूँगरपुर रियासत के अंतिम शासक • राज्यसभा के पूर्व सांसद • इनके समय राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। • चैंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति के सदस्य • चित्तौड़ के विधायक के रूप में अध्यक्ष बने। • **सम्मान :** नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इण्डिया (1935)

				भारतीय स्वतंत्रता पदक (1947)
6.	श्री गोपाल सिंह (छठी विधानसभा)	25.09. 1979	07.07. 1980	• अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे • दो बार जालौर जिले के आहोर से विधायक रहे • दल :– जनता पार्टी • इनके समय राज्य में पहली बार विधानसभा समय से पूर्व भंग कर दी गई
7.	श्री पूनमचन्द विश्नोई (सातवीं विधानसभा)	07.07. 1980	20.03.1985	• भीनमाल, फलोदी और लूनी से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए • राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष और राजस्थान सरकार में केबिनेट मंत्री • संसदीय सचिव राजस्थान सरकार
8.	श्री हीरा लाल देवपुरा (आठवीं विधानसभा)	20.03. 1985	16.10. 1985	• राजस्थान के मुख्यमंत्री। • उदयपुर संभाग के कुम्भलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। • राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे
9.	श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी (आठवीं विधानसभा)	31.01. 1986	11.03. 1990	...
10.	श्री हरि शंकर भाभड़ा (नौवीं, दसवीं विधानसभा)	16.03. 1990 30.02.1993	21.12. 1993 05.10.1994	• दो बार विधानसभा अध्यक्ष। • इनके समय चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा (बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण) • निवासी – डीडवाना (नागौर) • राजस्थान के उपमुख्यमंत्री रहे। • राजस्थान सरकार में आर्थिक नीति और सुधार परिषद के उपाध्यक्ष रहे • निधन – 25 जनवरी, 2024 • दल – भारतीय जनता पार्टी • समय से पूर्व विधानसभा भंग तथा दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए
11.	श्री शांति लाल चपलोत (दसवीं विधानसभा)	07.04. 1995	18.03. 1998	• उदयपुर जिले के मावली से पांच बार विधायक रहे • उदयपुर से 12वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे • 2008 में "सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार" से सम्मानित • दल – भारतीय जनता पार्टी
12.	श्री समरथलाल मीणा (दसवीं विधानसभा)	24.07. 1998	04.01. 1999	• अलवर जिले के राजगढ़ से पांच बार विधायक रहे • दल – भारतीय जनता पार्टी
13.	श्री परसराम मदेरणा (ग्यारहवीं विधानसभा)	06.01. 1999	15.01. 2004	• 9बार विधानसभा के सदस्य रहे • राजस्थान विधानसभा में तीन बार विपक्ष के नेता • लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के सदस्य। • केन्द्रीय सहकारी बैंक, अधीनस्थ विधान समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष रहे

				• इनके समय कांग्रेस स्पष्ट बहुमत (पहली बार 153 सीट) के साथ जीत कर आयी। पहली बार किसी एक दल को तीन चौथाई बहुमत प्राप्त हुआ
14.	श्रीमती सुमित्रा सिंह (बारहवीं विधानसभा)	16.01. 2004	01.01. 2009	• राजस्थान में अध्यक्ष का पद संभालने वाली पहली महिला • दल – भारतीय जनता पार्टी
15.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (तेरहवीं विधानसभा)	22.01. 2009	20.01. 2014	• किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। 96 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बडा दल • अशोक गहलोत निर्दलीयों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। बाद में बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत 102 सीटे प्राप्त हो गया • दल – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
16.	श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (चौदहवीं विधानसभा)	22.01. 2014	15.01. 2019	• प्रजा सोशलिस्ट पार्टी संयुक्त सचिव • भारत सरकार के पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष • सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री थे (2003 - 2004) • गृहमंत्री राजस्थान सरकार • राजस्थान विधानसभा के सदस्य (6 बार) व उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष • उदयपुर विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य थे
17.	श्री सी.पी. जोशी (पन्द्रहवीं विधानसभा)	15.01. 2019	20.12. 2023	• नाथद्वारा राजस्थान से 5 बार विधायक व राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। • 15वीं लोकसभा में भीलवाड़ा से सांसद थे। • उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर। • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, रेलमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (केन्द्र सरकार)
18.	श्री वासुदेव देवनानी (सोलहवीं विधानसभा) (व्यक्तिगत रूप से 17वें)	21.12. 2023	लगातार	• अजमेर उत्तर से विधायक। • राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले सिंधी है • भूतपूर्व शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार व राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (राज्य सरकार)

राज्य विधानमण्डल से संबंधित अनुच्छेद

- ✓ अनुच्छेद 168 – राज्यों के विधान मण्डलों का गठन।
- ✓ अनुच्छेद 169 – राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन।
- ✓ अनुच्छेद 170 – विधान सभाओं की संरचना।
- ✓ अनुच्छेद 171 – विधान परिषदों की सरंचना।
- ✓ अनुच्छेद 172 – राज्यों के विधानमण्डलों की अवधि।
- ✓ अनुच्छेद 174 – राज्यों के विधनमण्डल की सदस्यता के लिए अर्हता।
- ✓ अनुच्छेद 175 – सदन और सदनों में अभिभाषण और उनकों संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार।
- ✓ अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का विशेष अभिभषण।
- ✓ अनुच्छेद 178 – विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
- ✓ अनुच्छेद 179 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पर रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना।
- ✓ अनुच्छेद 182 – विधानपहरषद् का सभापति और उपसभापति।
- ✓ अनुच्छेद 188 – सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
- ✓ अनुच्छेद 191 – सदस्यों के लिए निरर्हताएँ।
- ✓ अनुच्छेद 194 – विधानमण्डलों के सदस्यां की तथ सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ,विशेषाधिकार।
- ✓ अनुच्छेद 199 – धन विधेयक की परिभाषा।
- ✓ अनुच्छेद 201 – विचार के लिए आरक्षित विधेयक।
- ✓ अनुच्छेद 202 – वार्षिक वित्तीय विवरणं
- ✓ अनुच्छेद 204 – विनियोग विधेयक।
- ✓ अनुच्छेद 207 – वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध।
- ✓ अनुच्छेद 212 – न्यायालयों द्वारा विधनमण्डल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना।

राजस्थान उच्च न्यायालय

- रियासत काल में उच्च न्यायालय –

  1. जयपुर
  2. जोधपुर
  3. बीकानेर
  4. कोटा
  5. उदयपुर

  (1–5) कुल न्यायाधीश = 20

- **बी. आर. पटेल समिति** की सिफारिश (27 मार्च,1949 ई.) पर राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की स्थापना जोधपुर में करने का निर्णय लिया गया।

  (राज्य पुर्नगठन अधिनियम – 1956 ई. की धारा 49 के तहत्)

  समिति के सदस्य –

  1. बी. आर. पटेल (अध्यक्ष)
  2. टी. सी. पुरी
  3. एस. पी. सिन्हा

  समिति की सिफारिशें – राज्य की राजधानी – जयपुर
  उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ – जोधपुर

- राजस्थान सरकार द्वारा निर्णय – 21 जून, 1949 ई. को जारी राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ई. की धारा 10(1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर में स्थापित की गई।
- राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 25 अगस्त, 1949 ई. को जारी एक अधिसूचना द्वारा 29 अगस्त, 1949 ई. को राजप्रमुख महाराजा मानसिंह की उपस्थिति में हुई।
- राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन सवाई मानसिंह के द्वारा किया गया।
- स्थापना के समय उच्च न्यायालय की संरचना – 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 11 न्यायाधीश
- प्रथम मुख्य न्यायाधीश – कमल कान्त वर्मा

  (उदयपुर व इलाहबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय रह चुके।)

☑ **प्रथम मुख्य न्यायाधीश के साथ शपथ लेने वाले 11 न्यायमूर्ति एवं उनके गृह जिले–**

नाम	**जिला**
न्यायमूर्ति नवलकिशोर	जोधपुर
न्यायमूर्ति अमर सिंह	जोधपुर
न्यायमूर्ति के.एल. बापना (कुंवर लाल बापना)	जयपुर
न्यायमूर्ति इब्राहीम	जयपुर
न्यायमूर्ति जे.एस.राणावत (जवान सिंह राणावत)	उदयपुर
न्यायमूर्ति शार्दुलसिंह मेहता	उदयपुर
न्यायमूर्ति डी. एस. दवे (दुर्गा शंकर दवे)	बून्दी
न्यायमूर्ति त्रिलोचनदत्त	बीकानेर
न्यायमूर्ति आनन्द नारायण कोल	अलवर
न्यायमूर्ति के.के. शर्मा	भरतपुर
न्यायमूर्ति खेमचन्द गुप्ता	कोटा

✓ **नोट –** जे. एस. राणावत व दुर्गाशंकर दवे को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।

- उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठ को समाप्त करने का निर्णय लिया गया – 8 मई, 1950 (बीकानेर, उदयपुर, कोटा)

  इन अतिरिक्त पीठों को 22 मई 1950 को समाप्त कर दिया गया।

✓ **नोट – राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में उच्च न्यायालय के प्रावधान –**

  - धारा 49 – उच्च न्यायालय
  - धारा 51 – अतिरिक्त पीठ

- 1956 ई. में राजस्थान उच्च न्यायालय की संरचना – 16 (भारत के मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास द्वारा निर्धारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नये नियुक्ति वांरट जारी किए)
- राजस्थान उच्च न्यायालय की अतिरिक्त जयपुर पीठ को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 ई. में समाप्त कर दिया गया।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ई. की धारा–51 के तहत राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 ई. जारी किया एवं जयपुर पीठ की स्थापना का निर्णय 8 दिसंबर 1976 ई. को लिया गया एवं 31 जनवरी, 1977 ई. को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल व राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात जयपुर पीठ की पुनः स्थापना कर दी गई।

- राजस्थान उच्च न्यायालय में कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया 1991 ई. में आरम्भ हुई।
- **उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अन्तर्गत आने वाले जिला न्यायालय (19)** – बालोतरा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, मेड़ता, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, गंगानगर, उदयपुर, एवं जोधपुर मेट्रोपोलिटन।
- **उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अन्तर्गत आने जिला न्यायालय (17) –** अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बून्दी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनु, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, एवं जयपुर मेट्रोपोलिटन–प्रथम, जयपुर मेट्रोपोलिटन–द्वितीय।

✓ जिला न्यायालय जो जिला मुख्यालय पर अवस्थित नहीं है।–
  - बालोतरा – बाड़मेर
  - मेड़ता – नागौर

- राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 ई. के तहत प्रशासनिक व न्यायिक कार्य संपन्न करता है। (1 अक्टूबर, 1952 ई. से लागू)

☑ **राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना –**

- कुल न्यायाधीश – 1 . 49 त्र 50 ;2015 से द्व
- वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश – 1 मुख्य न्यायाधीश, 32 न्यायाधीश
- (18 सितम्बर, 2024 तक की स्थिति।
- वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश – श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव (42वें)
- वर्तमान में रजिस्ट्रार – प्रमील कुमार माथुर
- राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश –
  1. रेखा बोराणा – (राजस्थान की बार काउन्सिल से प्रथम महिला न्यायाधीश)
  2. शुभा मेहता
  3. नूपुर भाटी
- राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर की स्थापना– 16 नवम्बर, 2001 को हुई।
- उच्च न्यायालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी महापंजीयक कहलाता है। यह पद सन् 1951 से 1997 तक पंजीयक कहलाता था। महापंजीयक ही मुख्य न्यायाधीश का प्रमुख सचिव होता है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन– 2.50 लाख प्रति माह
- अन्य न्यायाधीशों का वेतन–2.25 लाख प्रति माह
- **अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –**
  ✓ वे मुख्य न्यायाधीश जिन्हें अन्य राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया – न्यायमूर्ति एम.जी. मुखर्जी (पश्चिम बंगाल), न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला (पंजाब)

- ✓ वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया – न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा
- ✓ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – जे.एम. पांचाल
- ✓ मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – सतीष कुमार मित्तल
- ✓ मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – कैलास नाथ वांचू
- ✓ प्रथम रजिस्ट्रार – माधो प्रसाद गुप्ता
- ✓ रजिस्ट्रार के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – श्री मोहनलाल राजदान
- ✓ राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान सरकार में मंत्री रहे – जस्टिस फारूख हसन।
- ✓ महिला न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुकी –
  1. ज्ञान सुधा मिश्रा
  2. बेला एम त्रिवेदी
- ✓ राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्देश्य – "न्याय सबके लिए"
- ✓ जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का लोकार्पण भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय (श्री रामनाथ कोंविद) द्वारा 7 दिसम्बर, 2019 को किया गया था।
- ✓ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान का राज्यपाल न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा से संबंधित शर्तों और अन्य मामलों के लिए नियम बनाता है।

✓ राजस्थान उच्च न्यायालय संबंधित अन्य नियम –

1. विडीयो कान्फ्रेसिंग के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 2020
2. राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, 2017
3. सामान्य नियम (सिविल व फौजदारी), 2018
4. राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 (प्रभावी – 1 अक्टूबर,1952)
5. राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापना नियम, 1986
6. वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया मैनुअल, 2016
7. राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010
8. राजस्थान उच्च न्यायालय स्टॉफ सेवा नियम, 2002

9. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

☑ उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद (214 से 231 तक)

- **अनुच्छेद 214** – प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
- **अनुच्छेद 215** – प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी।
- **अनुच्छेद 216** – प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें।
- **अनुच्छेद 217** – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसकी पद की शर्तें।

  अनुच्छेद 217(1) – नियुक्ति, कार्यकाल (6 वर्ष, 62 वर्ष)
  अनुच्छेद 217(1)क – त्यागपत्र
  अनुच्छेद 217(1)ख – पदमुक्ति
  अनुच्छेद 217(2) – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ।
- **अनुच्छेद 218** – उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना।
- **अनुच्छेद 219** – उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ।
- **अनुच्छेद 220** – स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि व्यवसाय पर निर्बधंन।
- **अनुच्छेद 221** – न्यायाधीशों के वेतन आदि – संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा समय–समय पर निर्धारित। (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित)
- **अनुच्छेद 222** – किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण

  नोट –
  - 1977 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला – स्थानांतरण केवल सार्वजनिक हित में है। सजा के तौर पर नही।
  - 1994 मे सर्वोच्च न्यायालय ने माना की स्थानांतरण की मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा आश्वयक है।
- **अनुच्छेद 223** – कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- **अनुच्छेद 224** – अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- **अनुच्छेद 224(क)** – उच्च न्यायालयों की बैठकों में से सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- **अनुच्छेद 225** – उच्च न्यायालय की अधिकारिता।
- **अनुच्छेद 226** – उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 227** – सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।
- **अनुच्छेद 228** – कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अन्तरण।
- **अनुच्छेद 229** – उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय।
- **अनुच्छेद 230** – उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार संसद विधि द्वारा ।
- **अनुच्छेद 231** – दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा	29.08.1949	24.01.1950	..
2.	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू	02.01.1951	10.08.1958	• इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • विधि आयोग के सदस्य • उत्तर प्रदेश न्यायिक सुधार समिति के अध्यक्ष • इन्दौर फायरिंग जांच आयोग के एकमात्र सदस्य • धौलपुर उत्तराधिकार मामला आयोग के अध्यक्ष • जयपुर से लोकसभा सदस्य, जयपुर राज्य में मंत्री रहे। • सर्वाधिक कार्यकाल (राजस्थान मुख्य न्यायाधीश)
3.	न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद	28.02.1959	10.10.1961	...
4.	न्यायमूर्ति जे. एस. राणावत	11.10.1961	31.05.1963	...
5.	न्यायमूर्ति डी. एस. दवे	01.06.1963	17.12.1968	...
6.	न्यायमूर्ति डी. एम. भंडारी (दौलत मल भण्डारी)	18.12.1968	15.12.1969	• पहली लोकसभा के सदस्य और एक मात्र स्वतंत्रता सेनानी थे • जयपुर में "आजाद मोर्चा" का गठन किया (1942) • जयपुर राज्य में प्रजामण्डल का गठन • जयपुर राज्य के विकास व कृषिमंत्री (1947) • बार कांउसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील • राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व कानून आयोग के अध्यक्ष • कृष्णा–गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के सदस्य • भारतीय विधि संस्थान;नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य • लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष।
7.	न्यायमूर्ति जे. नारायण	16.12.1669	13.02.1973	...
8.	न्यायमूर्ति बी. पी. बेरी	14.02.1973	16.02.1975	...
9.	न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल	17.02.1975	05.11.1975	...
10.	न्यायमूर्ति वी. पी. त्यागी	06.11.1975	27.12.1977	...
11.	न्यायमूर्ति सी. होनैया	27.04.1978	22.09.1978	...
12.	न्यायमूर्ति सी. एम. लोढ़ा (चान्दमल लोढ़ा)	12.03.1979	09.07.1980	• गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (1978)
13.	न्यायमूर्ति के. डी. शर्मा	07.01.1981	22.10.1983	...

14.	न्यायमूर्ति पी. के. बनर्जी	23.10.1983	30.09.1985	...
15.	न्यायमूर्ति डी. पी. गुप्ता	12.04.1986	31.07.1986	...
16.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (जगदीश शरण वर्मा)	01.09.1986	22.05.1989	• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष • दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामलें के बाद आपराधिक कानून में संशोधन पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट के अध्यक्ष • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश • भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे।
17.	न्यायमूर्ति के. सी. अग्रवाल (कृष्ण चन्द्र अग्रवाल)	15.04.1990	07.04.1994	• कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश • इलाहाबाद लॉ जर्नल के संपादक।
18.	न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल	12.04.1994	03.03.1995	...
19.	न्यायमूर्ति ए. पी. रवानी	04.04.1995	10.09.1996	...
20.	न्यायमूर्ति एम. जी. मुखर्जी (मुकुल गोपाल मुखर्जी)	19.09.1996	24.12.1997	• पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
21.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	22.01.1999	14.03.2000	...
22.	डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन (अरुणाचलम आर. लक्ष्मणन)	29.05.2000	25.11.2001	• मद्रास व केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष (2006-2009) 18वाँ विधि आयोग
23.	न्यायमूर्ति अरूण कुमार	02.12.2001	02.10.2002	...
24.	न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह	24.12.2002	22.10.2004	...
25.	न्यायमूर्ति एस. एन. झा	12.10.2005	15.06.2007	...
26.	न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल	16.09.2007	11.11.2007	...
27.	न्यायमूर्ति नारायण राय	05.01.2008	31.01.2009	...
28.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	06.03.2009	10.05.2009	• कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व स्थायी न्यायाधीश • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश • भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा दिलाया। • क्रिकेट संघ में खेल लोकपाल • अखिल भारतीय टेनिस संघ की तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष (2013)
29.	न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला	10.8.2009	31.10.2010	• हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बार कांउसिल में

				वकील रहे • उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष वकील • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • पंजाब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष • DAV कॉलेज लखनऊ के विधि संकाय के मानद प्रमुख
30.	न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा	26.11.2010	13.12.2012	• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 8वें • कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश
31.	न्यायमूर्ति अमिताव रॉय	02.01.2013	05.08.2014	• ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उप–न्यायाधीश • सिनेमाघरों में फिल्म स्क्रीनिंग से पहले भारत का राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया। • उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश
32.	न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी	24.03.2015	21.08.2015	• इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन के आजीवन सदस्य • उच्च न्यायालय और राज्य ई–कोर्ट संचालन समिति के अध्यक्ष • उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष
33.	न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल	05.03.2016	14.04.2016	...
34.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	14.05.2016	17.02.2017	• छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश • पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश
35.	न्यायमूर्ति प्रदीप नन्द्राजोग	02.04.2017	06.04.2019	• बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
36.	न्यायमूर्ति श्रीपति रविन्द्र भट्ट	05.05.2019	23.09.2019	• दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
37.	न्यायमूर्ति इन्द्रजीत महन्ती	06.10.2019	12.10.2021	• त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • बॉम्बे और ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
38.	न्यायमूर्ति अकील कुरेशी	12.10.2021	06.03.2022	• त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • बॉम्बे उच्च न्यायालय व गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
39.	न्यायमूर्ति शंभाजी शिवाजी शिंदे (एस.एस. शिंदे)	21.06.2022	01.08.2022	• बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
40.	न्यायमूर्ति पंकज मिथल	14.10.2022	05.02.2023	• जम्मू–कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त • राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष

				• ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ के अध्यक्ष
41.	न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह	30.05.2023	09.11.2023	• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे • वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश
42.	न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव	06.02.2024	लगातार	• वर्तमान 42वें मुख्य न्यायाधीश • राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके है।

☑ **राजस्थान उच्च न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बने –**

क्र.स.	**नाम**	**विशेष विवरण**
1.	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू	भारत के 10 वें मुख्य न्यायाधीश रहे। स्वतंत्रता सेनानी, यह वकील नहीं थे ICS थे, स्वतंत्रता के पश्चात बनने वाले पहले विधि आयोग के सदस्य थे
2.	न्यायमूर्ति पी.एन. सिंघल	–
3.	न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा	भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। विशाखा गाइडलाइन जारी की। 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन किया। • दो बार राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी काम किया।
4.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	कर्नाटक के लोकायुक्त रहे, NHRC के चैयरमेन रहे व सदस्य।
5.	न्यायमूर्ति अरुण कुमार	–
6.	न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मणन	–
7.	न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल	–
8.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	–
9.	न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा	सबसे युवा चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला न्यूज लैटर शुरू किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के म्यूजियम का उद्घाटन किया।
10.	न्यायमूर्ति अमिताव राय	–
11.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	–
12.	न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट्ट	–
13.	न्यायमूर्ति पंकज मिथल	वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश।
14.	ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह	

☑ **राजस्थान उच्च न्यायालय के वे न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे या है**

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1.	न्यायमूर्ति ए.पी. सैन	2.	न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल
3.	न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल	4.	न्यायमूर्ति ए.के. माथुर
5.	न्यायमूर्ति पी.पी. नाओलेकर	6.	न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी
7.	न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा	8.	न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान
9.	न्यायमूर्ति जी.एस. मिश्रा (महिला)	10.	न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे
11.	न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी	12.	न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी
13.	न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी (वर्तमान)	14.	न्यायमूर्ति संदीप मेहता (वर्तमान)

☑ **भारत में 25 में से 8 उच्च न्यायालय ऐसे हैं, जिनकी एक या एक से अधिक खण्डपीठ (बेंच) है**

क्र.स.	उच्च न्यायालय	मुख्यपीठ	खण्डपीठ
1	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	गुवाहाटी	कोहिमा, ईटानगर, आइजोल
2	मुम्बई उच्च न्यायालय	मुम्बई	नागपुर, औरंगाबाद, पणजी
3	कर्नाटक उच्च न्यायालय	बेंगलुरु	धारवाड़, गुलबर्ग
4	मद्रास उच्च न्यायालय	मद्रास	मदुरई/मदुरै
5	कलकत्ता उच्च न्यायालय	कलकत्ता	जलपाईगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर
6	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	जबलपुर	ग्वालियर, इंदौर
7	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	इलाहाबाद	लखनऊ
8	राजस्थान उच्च न्यायालय	जोधपुर	जयपुर

☑ **वे न्यायाधीश जिन्हें अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पदोन्नत किया गया**

क्र.सं.	न्यायाधीश	न्यायालय
1.	न्यायमूर्ति सी.एस. लोढा	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
2.	न्यायमूर्ति एम.एल. श्रीमाल	सिक्किम उच्च न्यायालय
3.	न्यायमूर्ति जी.एम. लोढा	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
4.	न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
5.	न्यायमूर्ति मिलाप चन्द जैन	दिल्ली उच्च न्यायालय

6.	न्यायमूर्ति कांता भटनागर	मद्रास उच्च न्यायालय
7.	न्यायमूर्ति एस.एन. भार्गव	सिक्किम उच्च न्यायालय
8.	न्यायमूर्ति ए.के. माथुर	कलकत्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
9.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	राजस्थान उच्च न्यायालय
10.	न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी	आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय
11.	न्यायमूर्ति वाई.आर. मीना	गुजरात उच्च न्यायालय
12.	न्यायमूर्ति राजेश बलिया	पटना उच्च न्यायालय
13.	न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा	पटना उच्च न्यायालय
14.	न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद	झारखण्ड उच्च न्यायालय
15.	न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया	झारखण्ड उच्च न्यायालय
16.	न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी	कर्नाटक, मेघालय उच्च न्यायालय
17.	न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी	त्रिपुरा उच्च न्यायालय
18.	न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
19.	न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान	उत्तराखण्ड व तेलंगाना उच्च न्यायालय
20.	न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक	हिमाचल, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिसा उच्च न्यायालय
21.	न्यायमूर्ति एम.एन. भण्डारी	मद्रास उच्च न्यायालय
22.	न्यायमूर्ति संदीप मेहता	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
23.	न्यायमूर्ति विजय विश्नोई	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
24.	न्यायमूर्ति अरुण भंसाली	इलाहाबाद उच्च न्यायालय

राजस्थान लोक सेवा आयोग

(मेरिट पद्धति का वॉच डॉग)

- रियासत काल में लोक सेवा आयोग –
  1. जोधपुर – 1937 ई.
  2. बीकानेर – 1946 ई.
  3. जयपुर
- राजस्थान लोक सेवा आयोग 'भर्ती समिति' उदयपुर में स्थापित की गई।
- आयोग एक संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग–14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक है।

☑ **स्थापना –**

- राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना "राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश –1949" की धारा–1(3) के द्वारा की गई।
- 16 अगस्त, 1949 ई. को अधिसूचना जारी की गई तथा इसे राजपत्र में 20 अगस्त, 1949 ई. को प्रकाशित किया गया था।
- 22 दिसम्बर, 1949 ई. को जयपुर में स्थापना की गई लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 31 अगस्त 1958 ई. को अजमेर स्थानान्तरित किया गया।

☑ **संगठन/संरचना –**

- आयोग की स्थापना के समय संरचना –
  अध्यक्ष (1) – शरत कुमार घोष (एस. के. घोष)
  सदस्य (2) –
  1. देवी शंकर तिवाड़ी
  2. एन. आर. चांडोकर
- **आयोग की वर्तमान संरचना –**
  - एक अध्यक्ष व 7 सदस्यों का प्रावधान 27 जून, 2011 से है।

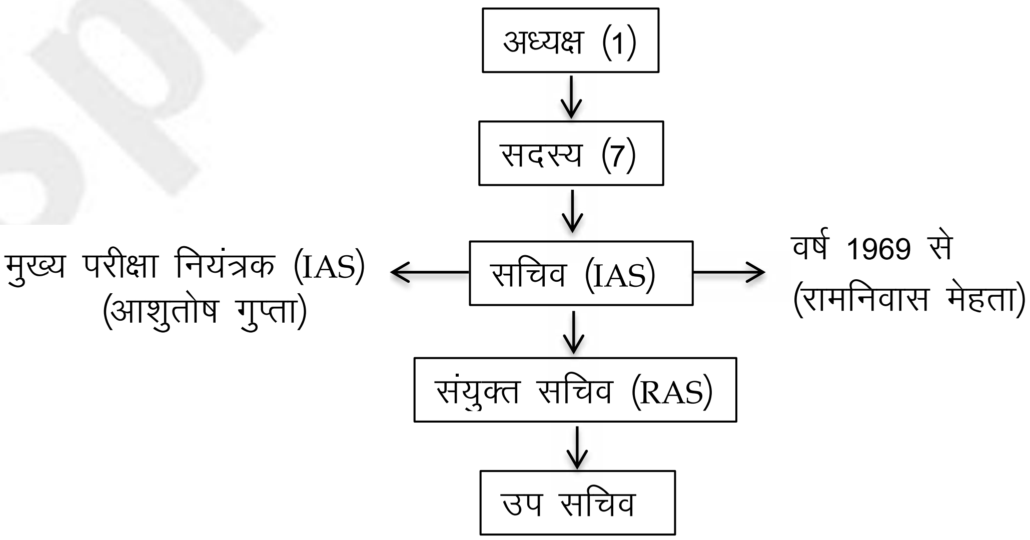

- पूर्व में आयोग की संरचना –
  - 1949 में – 2
  - 1968 में – 3
  - 1973 में – 4
  - 1981 में – 5 सदस्यों का प्रावधान था।

नोट –

✓ जून, 2013 में प्रथम बार 7 सदस्य नियुक्त हुए।

✓ राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा "राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम, 1974" के अंतर्गत की जाती है।

☑ **संवैधानिक प्रावधान :–** भाग–14 (अनुच्छेद 315–323)

- **अनुच्छेद 315(1) –** राजस्थान लोक सेवा आयोग।
- **अनुच्छेद 315(2) –** संयुक्त लोक सेवा आयोग।
- **अनुच्छेद 315(4) –** राष्ट्रपति के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), राजस्थान लोक सेवा आयोग(RPSC), के स्थान पर परीक्षाओं का आयोजन करवा सकता है।
- **अनुच्छेद 316(1) :–**
  - **नियुक्ति –**
    - अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर की जाती है।
  - **योग्यता –**
    - लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्य संघ या राज्य की लोक सेवाओं से होने चाहिए जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
    - आधे सदस्य शिक्षाविद, समाज सेवक, राजनीतिज्ञ, वकील, पत्रकार हो सकते है।
    - **नोट –**
      1. आधे सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
      2. अध्यक्ष हेतु अलग से योग्यता के प्रावधान नहीं है।
      3. अध्यक्ष व सदस्यों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है।
- **अनुच्छेद 316(1)'a' –**
  - राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से की जाती है।
  - वर्तमान में सदस्य कैलाश चंद मीणा की नियुक्ति कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में की गई है।
- **अनुच्छेद 316(2) – कार्यकाल**
  - 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो।
    (41वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा 60 से 62 वर्ष आयु सीमा)

- **अनुच्छेद 316(2)'a' – त्याग पत्र**
  - राज्यपाल को
- **अनुच्छेद 317(1) – निष्कासन**
  - राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात अध्यक्ष व सदस्यों का निष्कासन (अनुच्छेद 145 में निहित प्रक्रिया के तहत)
  - राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन – अनुच्छेद 317(3)
    - ✓ आधार
      1. दिवालियापन
      2. मानसिक विकृति
      3. लाभ के पद पर नियुक्त
- **अनुच्छेद 317(2) – अध्यक्ष व सदस्य का निलंबन**
  - राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के दौरान।
- **अनुच्छेद 318 –**
  - सेवा शर्तें – राज्यपाल द्वारा निर्धारण
    राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों एवं कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण।
- **अनुच्छेद 319 – पुनर्नियुक्ति का प्रावधान।**

	राजस्थान लोक सेवा आयोग		**संयुक्त लोक सेवा आयोग**		**संघ लोक सेवा आयोग**	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
अध्यक्ष	×	×	✓	×	✓	✓
सदस्य	✓	×	✓	×	✓	✓

- **अनुच्छेद 320 – राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य**
  - **अनुच्छेद 320(1)** – राज्य सरकार की अनुशंसा पर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं (RAS, SI, RFS) एवं साक्षात्कारों का आयोजन करना।
  - **अनुच्छेद 320(2)** – राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह देना
    - ✓ भर्ती की पद्धति
    - ✓ पदोन्नति नीति, स्थानान्तरण के सिद्धांत, प्रशिक्षण नीति।
    - ✓ किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कें संदर्भ मे।
    - ✓ कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति एवं मुआवजे संबंधी मामले।
    - ✓ एक सेवा का अन्य सेवा में विलय।
    - ✓ कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले।

    नोट – उपरोक्त मामलों में सलाह राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है।
  - **अनुच्छेद 320(3)** – विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों का संचालन (DPC)
  - **अनुच्छेद 321** – राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपा गया अतिरिक्त कार्य।

- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों का निस्तारण करना।
- आयोग के सचिवालय के प्रशासन का संचालन करना।
- नोट – लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद – 16, 234, 315–323

➢ **अनुच्छेद 323(2) –** वार्षिक प्रतिवेदन
- राज्यपाल को

➢ **अनुच्छेद 322 – वेतन भत्ते**
- राज्य की संचित निधि से अध्यक्ष को 2 लाख 25 हजार व सदस्यों को 2 लाख 15 हजार वेतन देय है।

☑ **राजस्थान लोक सेवा आयोग की शक्तियों का स्रोत निम्नलिखित विनियम हैं–**
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त) विनियम – 1951 ई.
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) – विनियम 1951 ई.
- राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम व विनियम – 1963 ई.
- राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम – 1976 ई.

☑ **वे मामले जिनमें राजस्थान सरकार आयोग से सलाह नहीं लेती है –**
1. नई लोक सेवा का सृजन।
2. पदों का वर्गीकरण।
3. भर्ती की सामान्य पद्धति।
4. प्रथम नियुक्ति पर वेतन।
5. परिवीक्षा एवं प्रशिक्षण से सबंधित अवधि एवं सेवाओं का आवंटन संबंधित मामले।
6. पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये कार्मिकों का वेतन।

☑ **आयोग का सचिवालय –**
➢ आयोग का सचिव 1969 ई. से आई.ए.एस. अधिकारी होता है।
➢ **आयोग की सांगठनिक संरचना –**
1. प्रशासनिक अनुभाग
2. परीक्षा अनुभाग
3. भर्ती अनुभाग
4. अनुसंधान अनुभाग
5. लेखा अनुभाग
6. गोपनीय शाखा
7. विधि अनुभाग

☑ राजस्थान लोक सेवा आयोग में नवाचार –

- वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) 20 जनवरी, 2022 से।
- ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSMS)
- माइ एग्जाम माइ रिव्यू सिस्टम
- पूर्व याचिका समिति(Pre - Litigation Committee) का गठन वादकरण को कम करने के लिए किया गया। इसका अध्यक्ष लोक सेवा अयोग का सदस्य होता है।
- परीक्षा केद्रों की ऑनलाइन ट्रेसिंग।
- एम. एल. कुमावत समिति का गठन – पूर्व अध्यक्ष (2021) सुझाव – वार्षिक भर्ती कलैंडर, फास्टट्रेक कोर्ट
- ओ.एम.आर. में पाँचवा विकल्प।
- पाठ्यक्रम में समय–समय पर बदलाव करना।
- लोक सेवा आयोग में अतिरिक्त पद का प्रावधान – मुख्य परीक्षा नियंत्रक
- विजय व्यास समिति – प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करवाने के लिए।
- स्पंदन पत्रिका का प्रकाशन।
- शिकायत निवारण पोर्टल – 29 नवंबर, 2021 से प्रभावी।
- दिव्याग्जनों के लिए आयोग की अधिकारिक पोर्टल एवं परीक्षा प्रणाली को सुगम बनाया गया है।

नोट –

1. वर्ष 2018 में आयोग को राजस्थान में ई–गवर्नेस के बेहतरीन उपयोग के लिए 'स्मार्ट सिटी अजमेर अवार्ड, 2018 प्रदान किया गया।
2. दस्तावेज श्रेणी के अन्तर्गत ऑन स्क्रीन मार्किंग में ई–गवर्नेस के उपयोग के संदर्भ में 'टैक्नोलॉजी सभा अवार्ड, 2018 प्रदान किया गया है।
3. आयोग को गुणवता प्रबंधन के लिए 2011 में ISO-9001: 2008 प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.सं.	अध्यक्ष का नाम	कब से	कब तक	विवरण
1.	सर एस. के. घोष, (शरत कुमार, मुख्य न्यायाधीश), कार्यवाहक	22.12.1949	25.01.1950	• 1938 ई. में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित। • चटगाँव के अतिरिक्त न्यायाधीश। • कोमिला के जिला न्यायाधीश। • 1929 ई. में हुगली के जिला न्यायाधीश। • 29 मार्च, 1946 ई. से 29 मार्च, 1948 ई. तक जयपुर रियासत के मुख्य न्यायाधीश और फिर कश्मीर की भारतीय रियासत के अंतिम मुख्य न्यायाधीश बने। • भारत की स्वतंत्रता के समय ये राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश रहे। • वरिष्ठ IAS अधिकारी।
2.	श्री एस. सी. त्रिपाठी (यूपीएससी सदस्य भी रहे)	28.07.1950	07.08.1951	• उत्तरप्रदेश कैडर के 1968 बैंच के IAS अधिकारी। • गेल इण्डिया लिमिटेड में स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर थे। • ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत हुए। • 1988–89 ई. तक संयुक्त सचिव (आर्थिक मामलें) • 1989 ई. में मंत्री (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) • भारतीय दूतावास टोक्यो में नियुक्त हुए। • 2000-2002 तक अतिरिक्त सचिव खान मंत्रालय। • 2002–2004 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय सचिव। • दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर (1996-97)। • 2004 में सचिव माध्यमिक और उच्च शिक्षा, नोएडा के संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 1978-80 तक आयुक्त आगरा मण्डल।
3.	श्री डी.एस. तिवारी (अधिकतम कार्यकाल)	08.08.1951	17.01.1958	..
4.	श्री एम. एम. वर्मा	18.01.1958	03.12.1958	..
5.	श्री एल. एल. जोशी, IAS (कार्यवाहक)	04.12.1958	31.07.1960	• बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रोफेसर। • पूना विश्वविद्यालय प्रोफेसर।
6.	श्री वी. वी. नार्लिकर (विष्णु वासुदेव) (प्रोफेसर	01.08.1960	31.07.1966	• सामान्य सापेक्षता में विशेषज्ञता वाले एक भारतीय भौतिक विज्ञानी।

	BHU के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष रहे)			• सैद्धांतिक भौतिकी केन्द्र ''जामिया मिलिया इस्लामिया'' ने इनकी स्मृति में वार्षिक ''वीवी नार्लीकर मेमोरियल लेक्चर'' की शुरूआत की। • कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणितीय ट्रिपोज पूरा करने के बाद विष्णु नार्लीकर ''स्टार रैंगलर'' बन गए। • आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप और रैले पुरस्कार प्राप्तकर्ता। • 1966 ई. में पूना विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर। • 1931 ई. में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का ''फेलो'' चुना गया। • 1981–82 ई. तक इंण्डियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे।
7.	डॉ बी. एल. रावत, IAS	01.08.1966	03.09.1966	..
8.	श्री आर. सी. चौधरी, RHJS	04.09.1966	08.10.1971	..
9.	श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी)	09.10.1971	23.06.1973	..
10.	श्री आर.एस. कपूर (निदेशक कॉलेज शिक्षा।)	24.06.1973	10.06.1975	..
11.	श्री मोहम्मद याकूब, RHJS	27.06.1975	30.06.1979	..
12.	श्री राम सिंह चौहान, IAS	01.07.1979	10.09.1980	..
13.	श्री हरिदत्त गुप्ता (मुख्य अभियंता)	11.09.1980	09.06.1983	..
14.	श्री एस. अदवियाप्पा (मुख्य अभियंता)	10.06.1983	26.03.1985	..
15.	डॉ. डी. डी. चौहान (प्रो.)	27.03.1985	07.11.1985	..
16.	श्री जे.एम. खान, (IAS)	08.11.1985	27.11.1989	..
17.	श्री एस.सी. सिंगारिया (कार्यवाहक)	28.11.1989	04.09.1990	..
18.	श्री यतींद्र सिंह, (IAS)	05.09.1990	06.10.1995	..
19.	श्री हनुमान प्रसाद (IAS)	06.10.1995	30.09.1997	• SC आयोग के चैयरमेन भी रहे। • झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से विधायक रहे एवं जिला प्रमुख भी रहे।

20.	श्री पी.एस. यादव, (IPS)	01.10.1997	06.11.1997	..
21.	श्री देवेंद्र सिंह, (IPS)	06.11.1997	30.12.2000	..
22.	श्री एन. के. बैरवा, (IAS)	31.12.2000	22.03.2004	..
23.	डॉ. एस.एस. टाक (कार्यवाहक) (प्रोफेसर)	26.03.2004	15.07.2004	..
24.	श्री गोविंद सिंह तौक	15.07.2004	04.07.2006	• उदयपुर के महापौर भी रहे। • सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी। • लोक निर्माण विभाग के अभियंता भी रहे।
25.	श्री एच.एन. मीना, (IPS) (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक)	04.07.2006	19.09.2006	• MPUAT, उदयपुर स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैंन।
26.	श्री सी.आर. चौधरी (छोटू राम चौधरी)	29.09.2006	28.02.2010	• भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। • नागौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। (2014–2019) • आरएएस बने फिर IAS प्रमोट हुए। • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्यमंत्री रहे। • सितम्बर, 2017 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का राज्यमंत्री नियुक्त किया गया। • 1971–1977 ई. तक सरकारी कॉलेज सिरोही, दौसा, अजमेर में व्याख्याता रहे। • वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मुंडवा के मानद अध्यक्ष रहे। • मकराना परबतसर रेलवे सेवा प्रारंभ की। ;19 जनवरी, 2016द्ब • राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के विभागाध्यक्ष (2000-2011)। • 2001–2002 तक कृषि विपणन विभाग के प्रमुख व निदेशक।
27.	श्री महेंद्र लाल कुमावत (सेवानिवृत्त) IPS	28.02.2010	01.07.2011	• बीएसएफ के महानिदेशक रहे। • सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वी.सी रहे। • आंध्रप्रदेश में एंटी नक्सल कमांडो फोर्स में GREY HOUNDS के चीफ रहे। • विजय व्यास समिति के सदस्य रहे। • पुरस्कार–विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (1997 AD)। • राजस्थान आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। • इन्होनें राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा।

				• 1989 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक।
28.	प्रो. बी.एम. शर्मा	01.07.2011	31.08.2012	• कोटा विश्वविद्यालय के वी.सी. रहे। • राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में राजनीति विज्ञान विभाग के एचओडी रहे। • मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्य अधिकारी रहे।
29.	डॉ हबीब खान गौरान, IPS (सेवानिवृत्त)	31.08.2012	22.09.2014	...
30.	डॉ. आर.डी. सैनी (कार्यवाहक)	24.09.2014	10.08.2015	...
31.	डॉ एल. के. पंवार, (IAS) (सेवानिवृत्त)	10.08.2015	10.07.2017	• भारत सरकार में पर्यटन मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व सचिव। • राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के वी.सी. हैं।
32.	श्री श्याम सुंदर शर्मा	11.07.2017	28.09.2017	• पेशे से वकील थे व RPSC के सदस्य भी रहे (इस्तीफा दिया – 10 जुलाई, 2017) • मनोहर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ा (हारे)।
33.	डॉ. राधे श्याम गर्ग	18.12.2017	01.05.2018	• RSS के कार्यकर्त्ता रहे व नर्सिंग होम चलाते थे।
34.	श्री दीपक उप्रेती (IAS) (सेवानिवृत्त)	23.07.2018	14.10.2020	• संयुक्त सचिव रहे। • परिवहन आयुक्त। • चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव। • खान और पेट्रोलियम विभाग और सहकारी विभाग प्रमुख सचिव। • संभागीय आयुक्त अजमेर। • वाणिज्यिक बिक्री कर विभाग में आयुक्त। • अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), होम गार्ड, जेल और मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर तैनात थे।
35.	डॉ. भूपेंद्र सिंह IPS (सेवानिवृत्त)	14.10.2020	01.12.2021	• राजस्थान के डीजीपी रहे। • RPA के निदेशक रहे। • सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के वी.सी रहे। • पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्तकर्ता। • SP के रूप में 4 साल तक CBI में प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य किया।
36.	डॉ. शिवसिंह राठौड़ (कार्यवाहक)	02.12.2021	29.01.2022	• इन्हें विश्व में जल–भू–विज्ञानी पर्यटन शब्द गढ़ने का श्रेय जाता है। • मारवाड़ रत्न से सम्मानित (2015)। • नगर सुधार न्यास जोधपुर में न्यासी रहे। • सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लिमिटेड

				निदेशक (2008-2013)। • अध्यक्ष के पद का निर्वहन करने वाले सबसे युवा व्यक्ति। • ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। • आर्द्र भूमि संरक्षण संबधी शोध–पत्र व जियो पार्क के निर्माण संबंधी आलेख प्रकाशित किए।
37.	श्री जसवंत सिंह राठी (कार्यवाहक)	01.02.2022	15.02.2022	• राजस्थान पोलो क्लब के मानद सदस्य। • किताब लिखी–''मेरा युद्ध कैंसर के विरूद्ध''। • इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के सदस्य। • राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के सदस्य। • राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक। **पुरस्कार–** • राजस्थान वर्किंग जर्नलिज्म यूनियन द्वारा ''पद्मश्री पुरस्कार'' (2012)।
38.	श्री संजय श्रोत्रिय IPS (सेवानिवृत)	16.02.2022	01.08.2024	• जयपुर रेंज के महानिरीक्षक रहे। • पुलिस अधीक्षक पद पर रहे।
39.	श्री कैलाश चंद मीणा (कार्यवाहक)	06.08.2024		

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विशेष विवरण
1.	श्री देवी शंकर तिवारी (अध्यक्ष भी रहे)	26.01.1950	07.08.1951	• भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। • 1946 से 1949 तक जयपुर प्रजामण्डल आंदोलन के अध्यक्ष। • जयपुर के पहले शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहे। • RPSC के अध्यक्ष (1951-58) • हरिजनों या दलितों की शिक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका। • आजाद मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। • जमनालाल बजाज, गुलाबचन्द कासलीवाल और दौलतमल भण्डारी से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए।
2.	श्री एन.आर. चन्द्राकर	26.01.1950	31.12.1950	...
3.	श्री वी.आर. अडिगे	17.02.1951	16.02.1957	...
4.	श्री एम. एम. वर्मा (अध्यक्ष भी रहे)	28.06.1952	20.01.1958	...
5.	श्री एल. एल. जोशी, आईएएस (कार्यवाहक अध्यक्ष रहे)	01.03.1957 और 01.08.1960	03.12.1958 और 20.11.1961	• राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष।
6.	श्री रघुकुल तिलक, कुलपति (राज्यपाल भी रहे)	04.02.1958	07.01.1960	• असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप लिया। • भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे तथा राजस्थान के राज्यपाल रहे। (1977-80) • उत्तरप्रदेश विधानसभा में पुस्तकालयाध्यक्ष रहे। • गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार (1932) • उत्तरप्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (1939 - 46) • भारत छोड़ो आंन्दोलन के कारण 1942–44 ई. तक पुनः जेल। • उत्तरप्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त (1944)।
7.	श्री एस.एल. आहूजा, आईएएस	01.12.1959	17.11.1964	...
8.	श्री श्याम लाल, आईएएस	17.04.1961	15.04.1966	...
9.	डॉ बी एल रावत, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	04.09.1961	04.09.1966	...
10.	श्री आर सी चौधरी, आरएचजेएस (अध्यक्ष भी रहे)	20.03.1965	07.02.1967	...

11.	श्री आर.एन. हवा, आईएएस	27.07.1966	19.07.1970	...
12.	श्री सांवलदान उज्ज्वल, आईएएस (मुख्य सचिव भी रहे)	31.05.1967	05.01.1970	मुख्य सचिव रह चुके।
13.	श्री शिव शंकर, आईएएस	29.07.1967	10.09.1970	...
14.	श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी)	11.11.1968	08.10.1971	...
15.	श्री वी.डी. शर्मा, आईएएस	11.06.1970	06.03.1973	...
16.	श्री आर.एस. कपूर (अध्यक्ष भी रहे)	11.06.1970	23.06.1973	...
17.	श्री धूलेश्वर मीना (पूर्व एम.पी.)	01.01.1972	02.01.1978	• लोकसभा व राज्यसभा सदस्य रहे।
18.	श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस (अध्यक्ष भी रहे)	07.08.1972	27.06.1975	...
19.	श्री डी.एन. हांडा, आईएएस	05.04.1973	10.12.1974	...
20.	श्री एन.एल. जैन, पूर्व. अध्यक्ष, आर.एल.ए.	27.07.1974	03.10.1979	...
21.	श्री हरि दत्त गुप्ता (अध्यक्ष भी रहे)	26.04.1975	10.09.1980	...
22.	श्री राम सिंह चौहान, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	30.07.1977	30.06.1979	...
23.	श्री एस. अदवियप्पा (अध्यक्ष भी रहे)	12.09.1979	09.06.1983	...
24.	डॉ. दीन दयाल चव्हाण (अध्यक्ष भी रहे)	08.11.1979	26.03.1985	...
25.	श्री जे.एम. खान, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	06.11.1982	07.11.1985	...
26.	श्री भवानी मल, आईपीएस	04.07.1984	27.06.1988	...
27.	प्रो. दूल सिंह	06.07.1984	22.09.1986	...
28.	डॉ. देवी सिंह सारस्वत	16.12.1985	22.01.1988	...
29.	श्री सुगन चंद सिंगारिया	28.05.1986 और 05.09.1990	26.11.1989 और	...

			27.05.1992	
30.	श्री सुभाष चंद्र टंडन, आईपीएस	01.12.1987	06.11.1991	...
31.	प्रो. के. एल. कमल	16.09.1988	11.09.1992	राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके।
32.	डॉ जी पी पिलानिया, आईपीएस	22.12.1989	17.02.1994	• डीजीपी, राज्यसभा सांसद भी रहे।
33.	श्रीमती कांता कथूरिया	22.12.1989	23.04.1995 (इस्तीफा)	• पूर्व विधायक व बीकानेर में वकील रही। • सदस्य के पद से इस्तीफा। • राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। • राणा प्रताप सागर बाँध व जवाहर सागर बाँध के विवाद में सरकारी वकील। • यूपीएससी सदस्या।
34.	श्री हनुमान प्रसाद, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	31.10.1992	06.10.1995	...
35.	श्री पी.एस. यादव, आईपीएस (अध्यक्ष भी रहे)	28.07.1993	30.09.1997	...
36.	श्रीमती कमला भील	28.07.1993	27.07.1999	• राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
37.	श्री शंकर सिंह सोलंकी	03.04.1995	05.08.2000	...
38.	डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	18.01.1996	18.01.2002	• संघीय लोक सेवा आयोग की सदस्य। • चिन्मय मिशन जयपुर केन्द्र की संरक्षिका।
39.	श्री ओ.पी. गुप्ता	26.12.1997	04.06.2003	• पूर्व मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा।
40.	श्री दलीप सिंह	27.12.1997	30.06.1999	...
41.	डॉ. श्याम सिंह टाक (कार्यवाहक) (प्रोफेसर)	10.11.1999	09.11.2005	...
42.	श्री एम.एल. परिहार	14.12.1999	14.03.2001	...
43.	प्रो. (डॉ.) के. पास जाफरी	01.02.2001	18.06.2006	...
44.	श्री एच.एन. मीना, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे)	25.02.2002	19.09.2006	...
45.	श्री सी.आर. चौधरी (अध्यक्ष भी रहे)	27.02.2002	23.02.2008	सांसद रहे। अध्यक्ष भी रहे।
46.	श्री विनोद बिहारी शर्मा	25.08.2003	06.02.2008	...
47.	श्री एच.एल. मीना	18.04.2008	31.01.2012	...
48.	श्री शिव पाल सिंह नांगल	18.04.2008	13.11.2013	• RPSC के सदस्य रहते हुए इस्तीफा।

			(इस्तीफा)	
49.	श्री कन्हैया लाल बैरवा, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	18.04.2008	17.04.2014	...
50.	श्री पी.के. दशोरा	04.07.2008	03.07.2014	कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके।
51.	श्री ब्रह्म सिंह गुर्जर	04.07.2008	03.07.2014	...
52.	श्री एच.के.गौरान,	04.07.2008	03.07.2014	आईपीएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भी रहे कोटा विश्वविद्यालय के वी.सी. रहे)...
53.	श्रीमती दिव्या सिंह	30.11.2011	30.09.2012 (इस्तीफा)	• पूर्व सांसद। • भरतपुर जिला परिषद की सदस्य बनी। (1996) • 11वीं लोकसभा में चुनी गई (भरतपुर)। • RPSC सदस्या रहते हुए इस्तीफा।
54.	श्री हरि किशन खीचर, आरएचजेएस	30.01.2016	05.03.2017	...
55.	श्री श्याम सुंदर शर्मा	30.01.2016	10.07.2017 (इस्तीफा)	...
56.	डॉ. आर.डी. सैनी	18.06.2013	12.04.2019	...
57.	श्री एस.एल. मीना	18.06.2013	17.06.2019	...
58.	डॉ. के.आर. बगरिया	18.06.2013	17.06.2019	...
59.	डॉ. शिवसिंह राठौड़	30.01.2016	29.01.2022	...
60.	श्री रामू राम रायका	04.07.2018	03.07.2022	...
61.	श्रीमती राजकुमारी गुर्जर	07.12.2016	06.12.2022	...
62.	श्री जसवंत सिंह राठी	14.10.2020	02.06.2024	पद पर रहते हुए मृत्यु।

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य –**

- ➢ प्रथम अध्यक्ष – एस.के. घोष (मुख्य न्यायाधीश)
- ➢ अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति – एन.के. बैरवा।
- ➢ प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष – एस.सी. त्रिपाठी
- सर्वाधिक कार्यकाल – डी.एस. तिवाड़ी (अध्यक्ष के रूप में)।
- प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष – श्री एल.एल. जोशी
  (कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी रहा)
- कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – बी.एल. रावत

- **कार्यवाहक अध्यक्ष रहे –**
  1. एल.एल. जोशी,
  2. एस.सी. सिंगारिया,
  3. एस.एस. टांक,
  4. एच.एन. मीणा,
  5. आर.डी. सैनी,
  6. शिवसिंह राठौड़,
  7. जसवन्त सिंह राठी।
  8. श्री कैलाश चंद मीणा (वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष)
- न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में – पी.एस. यादव (37 दिन), बी. एल. रावत (34 दिन)
- आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य रहे है – सी.आर. चौधरी
- आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे है – धुलेश्वर मीणा, दिव्या सिंह
- आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे है – सांवलदान उज्जवल
- आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे है – एन.एल. जैन
- आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है – श्रीमती कमला भील
- प्रथम सचिव – श्री श्यामसुन्दर शर्मा
- प्रथम महिला सचिव – श्रीमती ऑटिमा बोर्डिया
- आयोग की अन्य महिला सचिव रही –
  1. रोली सिंह,
  2. मुग्धा सिन्हा (कार्यवाहक)
  3. रेणू जयपाल,
  4. शुभम चौधरी
- वर्तमान सचिव – रामनिवास मेहता

- **भारतीय प्रशासनिक सेवा से आयोग के अध्यक्ष –**
  1. श्री एल.एल. जोशी, (कार्यवाहक)
  2. डॉ बी.एल. रावत,
  3. श्री राम सिंह चौहान,
  4. श्री जे.एम. खान,
  5. श्री यतींद्र सिंह,

6. श्री हनुमान प्रसाद,
7. श्री एन. के. बैरवा,
8. डॉ. एल के पंवार,
9. श्री दीपक उप्रेती,
10. सी आर चौधरी

- **भारतीय पुलिस सेवा से आयोग के अध्यक्ष –**
  1. श्री पी.एस. यादव,
  2. श्री देवेंद्र सिंह,
  3. श्री एच.एन. मीणा,कार्यवाहक),
  4. श्री महेंद्रलाल कुमावत (राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के उप–कुलपति रहे है।)
  5. डॉ हबीब खान गौरान,
  6. डॉ. भूपेन्द्र सिंह यादव,
  7. दीपक उप्रेती।

- **आयोग में पूर्व महिला सदस्य –**
  1. श्रीमती कांता कथूरिया पूर्व विधायक, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष, यूपीएससी की सदस्य भी रही।
  2. श्रीमती कमला भील पूर्व राज्य मंत्री , राजस्थान सरकार।
  3. डॉ. प्रकाशवती शर्मा यूपीएससी सदस्य।
  4. श्रीमती दिव्या सिंह। कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व इस्तीफा दिया।
  5. श्रीमति राजकुमारी गर्जर

- **आयोग में वर्तमान महिला सदस्य** –
  1. श्रीमती संगीता आर्य
  2. श्रीमती मंजू शर्मा

- **कार्यकाल के पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य** –
  1. श्रीमती कान्ता कथूरिया
  2. श्री शिवपाल सिंह नांगल
  3. श्रीमती दिव्या सिंह
  4. श्री श्याम सुन्दर शर्मा।

- विधानसभा मुख्य सचेतक सदस्य के रूप में – श्री ओ.पी. गुप्ता
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2008 में 17 दिन एक सदस्य आयोग भी रहा।

  सीआर चौधरी अकेले सदस्य व अध्यक्ष भी रहे।
- आयोग के सदस्य जो बाद में राज्यपाल भी रहे – रघुकुल तिलक

- आयोग के सदस्य जो बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे – के.एल. कमल
- **सदस्य, जो सदस्य बनने से पूर्व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे –**

(i)	रघुकुल तिलक	कुलपति
(ii)	एस.डी. उज्जवल	मुख्य सचिव
(iii)	धूलेश्वर मीना	सांसद
(iv)	कान्ता कथूरिया	विधायक
(v)	कमला भील	मंत्री
(vi)	ओ.पी. गुप्ता	मुख्य सचेतक
(vii)	दिव्या सिंह	सांसद

वर्तमान सदस्य				
1.	लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़	9.10.2023	लगातार	• निवासी – नागौर • भारतीय सेना में 21 वर्षों तक सेवा देकर स्वैच्छिक सेवानिवृति ली।
2.	श्री कैलाश चन्द मीना	9.10.2023	लगातार	
3.	प्रो. अय्यूब खान	9.10.2023	लगातार	• जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में गणित विभाग के प्रोफेसर।
4.	डॉ. संगीता आर्य	14.10.2020	लगातार	• ऑल इंण्डिया रेडियो, नई दिल्ली की ग्रेडेड आर्टिस्ट रही। • राजस्थान संगीत संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर। • राजनीतिक करियर 2013 में सोजत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी।
5.	श्री बाबूलाल कटारा	15.10.2020	निलम्बन (अनुच्छेद 317(2) के तहत)	• निवासी – डूंगरपुर। • अर्थशास्त्र के व्याख्याता। • जिला सांख्यिकी अधिकारी व विकास अधिकारी रहे। • संयुक्त निदेशक सांख्यिकी सचिवालय में। • माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में निदेशक। (उदयपुर) **नोट** (SOG राजस्थान) व ATS ने वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में इन्हें गिरफ्तार किया। (वर्तमान में निलम्बित)
6.	डॉ. मंजू शर्मा	15.10.2020	लगातार	• निवासी – अजमेर • शिक्षाविद् (M.S.J., भरतपुर) • गाजियाबाद कॉलेज में व्याख्याता। • नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स इंडिया की सदस्य। • राजस्थान भूगोल संगठन की सदस्य। • गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में सहायक आचार्य।

- **श्री रामनिवास मेहता –**
  - ✓ वर्तमान सचिव – कार्यकाल – 25.07.2023 से लगातार।
  - ✓ सचिव जेडीए, जयपुर,
  - ✓ महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर
  - ✓ जिला आबकारी अधिकारी।

संयुक्त लोक सेवा आयोग

- प्रावधान – अनुच्छेद 315(2)
- गठन के पश्चात् यह एक सांविधिक आयोग है। क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक कानून के द्वारा की जाती है।
- इसकी स्थापना दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर की जाती है।
- **नियुक्ति**
- **निष्कासन**
- **निलंबन**

(नियुक्ति, निष्कासन, निलंबन) → **राष्ट्रपति द्वारा**

- **त्यागपत्र** – राष्ट्रपति को
- **वेतन एवं भत्तें** – संसद द्वारा निर्धारण।
- **वार्षिक प्रतिवेदन** – अनुच्छेद 323(2) के तहत् संबंधित राज्यों के राज्यपाल को।
- **उदाहरण** – हरियाणा व पंजाब हेतु बना संयुक्त लोक सेवा आयोग। (1966 ई.)

राज्य निर्वाचन आयोग

- यह एक सदस्यीय संवैधानिक आयोग है जिसका मुखिया राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
- संविधान में प्रावधान – अनुच्छेद– 243 (K), 243 (ZA)
- **स्थापना** – 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत् स्थापना –1 जुलाई, 1994 ई. को की गई।

  नोट – राजस्थान सरकार द्वारा निर्णय – 17 जून, 1994 को लिया गया।

☑ **राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना –**

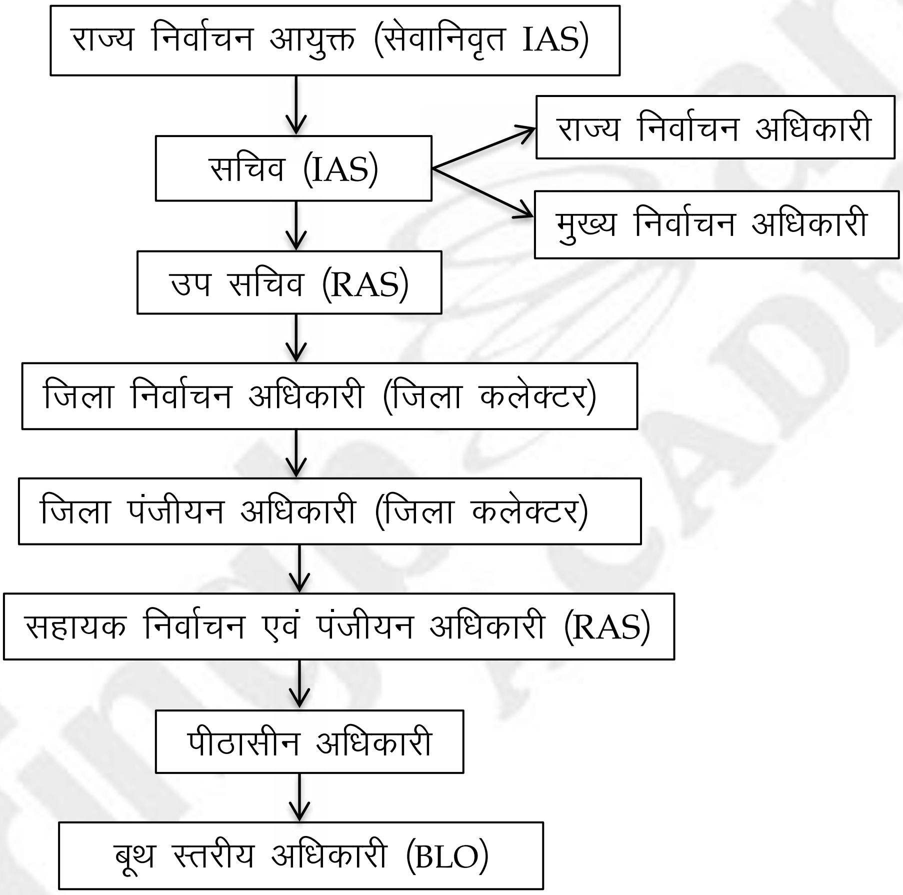

➢ नोट –

- जिला कलेक्टर पंजीयन अधिकारी के रूप में मतदाता सूची का नवीनीकरण करवाता है।
- सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी (AERO) व बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) की नियुक्ति करता है।
- वास्तविक रूप से सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी (AERO) मतदाता सूची का नवीनीकरण करता है।
- राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 ई. में पंचायती राज विभाग द्वारा करवाए गए
- वर्ष 2024 तक कुल पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए = 13

☑ **राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें –**

- **योग्यता –** सेवानिवृत IAS जिसे प्रधान सचिव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो।
  - **नोट** – राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 ई. की धारा–120 के अनुसार निर्वाचन आयोग के कृत्यों का पालन किसी उप निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयुक्त के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा।
- **नियुक्ति –** राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् की सिफारिश पर।
- **कार्यकाल –** 5 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। (2002 से नेकराम भसीन की सिफारिश पर)
- **शपथ –** शपथ का प्रावधान नहीं है।
- **पुनर्नियुक्ति –** पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।
- **वेतन भत्ते –** राज्य की संचित निधि पर भारित। (मुख्य सचिव के समान)
- **त्यागपत्र –** राज्यपाल को।
- **निष्कासन –** अनुच्छेद 243 (K -2) के अनुसार राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग द्वारा हटाया जाता है।
- **वार्षिक प्रतिवेदन –** राज्यपाल को।
- **सेवा शर्तों का निर्धारण –** राज्यपाल द्वारा

☑ **आयोग की स्वायत्तता हेतु किए गए प्रावधान –**

- आयोग को प्राप्त संवैधानिक दर्जा (243K, 243ZA)
- नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया
- आयुक्त हेतु कार्यकाल का स्थायित्व (5/65 वर्ष जो भी पहले हो।)
- आयुक्त की पुनर्नियुक्ति पर रोक।
- आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित।
- निष्कासन की जटिल प्रक्रिया। (महाभियोग प्रक्रिया)
- नियुक्ति के पश्चात् आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन पर रोक।

☑ **राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका/कार्य –**

1. पंचायती राज चुनावों की तिथियों एवं चरणों की घोषणा करना।
2. पंचायतीराज व नगरीय निकायों के शांतिपूर्वक चुनाव व उप–चुनाव करवाना।
3. मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना।
4. चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना।
5. मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
6. राज्य परिसीमन आयोग को सलाह प्रदान करना।
7. चुनाव चिह्नों का आवंटन करना एवं चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी विवादों का निपटारा करना।

नोट – ग्राम पंचायत चुनावों में किसी भी पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं होता है।

8. सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना।
9. विभिन्न चुनाव सुधार जैसे – ईवीएम का अनुप्रयोग, फोटोयुक्त मतदाता नामावली का अद्यतन करवाना, चुनावी व्यय पर नियंत्रण।
10. मतदाताओं को विभन्न सुविधाएँ प्रदान करना। जैसे – पेयजल, दिव्यांगों हेतु रैम्प सुविधा।
11. वर्तमान में विशेष योग्यजनों व वृद्धों के लिए 'होम वोटिंग' की सुविधा की गई हैं।
12. सभी चुनावों के अधीक्षण एवं निरीक्षण के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना।
13. चुनाव संबंधी शिकायतों से संतुष्ट होकर चुनाव स्थिगित करना।
14. दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर राष्ट्रीय प्रसारणों के समय चुनाव प्रचार हेतू राजनीतिक दलों को समय एवं दिन का आवंटन करना।

नोट –

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर की जानी चाहिए –
  समिति की संरचना –
  1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
  2. विधानसभा अध्यक्ष
  3. विधानसभा में विपक्ष के नेता

विशेष –

- ✓ राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर की जाती है
- ✓ यह राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। जिसका मुख्य दायित्व लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव करवाना है।
- ✓ वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी – श्री नवीन महाजन (प्रावधान – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A में।)
- ✓ राजस्थान में हाल ही में सांसद, विधायक चुनाव के दौरान प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे।

☑ **संवैधानिक प्रावधान –**

✪ **अनुच्छेद 243 'K' (1)**

- राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य।

✪ **अनुच्छेद 243 'K' (2)**

- आयुक्त का निष्कासन।
- आयुक्त की सेवा शर्तें
- नियुक्ति के पश्चात् सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक।

✪ **अनुच्छेद 243 'K' (3)** – आयोग को कर्मचारी राज्यपाल द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।

नोट

1. **जिला परिषद् –**
   - 4 लाख जनसंख्या पर 17 वार्ड।
   - 1 लाख जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ेंगे।
2. **पंचायत समिति –**
   - 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड।
   - हर 15 हजार पर 2 वार्ड बढ़ेंगे। ।
3. **ग्राम पंचायत –**
   - 3 हजार की जनसंख्या पर 9 वार्ड होंगे।
   - 1 हजार बढ़ने पर 2 वार्ड बढ़ेंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का विवरण

क्र.स.	आयुक्त का नाम	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री अमर सिंह राठौड़	01.07. 1994	30.03.2000	• प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त। • सर्वाधिक कार्यकाल • सेवानिवृत्त IAS अधिकारी
2.	श्री नेकराम भसीन	01.07. 2000	10.08.2002	• सेवानिवृत्त IAS अधिकारी • भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष, पद पर रहते हुए मृत्यु तथा प्रबंध निदेशक रहे। • 1979 ई. में इन्होंने राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की। • इन्हें ''राजस्थान के कुरियन'' की उपाधि प्राप्त है। • न्यूनतम कार्यकाल।
3.	श्री इन्द्रजीत खन्ना	26.12. 2002	26.12.2007	• 1966 ई. में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। • राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव रहे। (जनवरी 2000 से दिसम्बर 2002)। • सेबी ने इन्हे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड में जनप्रतिनिधि के रूप में नामित किया। • भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के विजिटिंग प्रोफेसर। • वित्त मंत्रालय के प्रवर्तक निदेशक एवं पदेन सचिव रहें।
4.	श्री अशोक कुमार पाण्डे	01.10. 2008	30.09.2013	• सेवानिवृत्त IAS अधिकारी।
5.	श्री राम लुभाया	01.10. 2013	02.04.2017	• वरिष्ठ IAS अधिकारी। • हाईपावर कमेटी में राजस्व विभाग के प्रमुख। • नये जिलों हेतु बनी समिति के अध्यक्ष (इस समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया।)
6.	श्री प्रेमसिंह मेहरा	03.07. 2017	03.07.2022	• वरिष्ठ IAS अधिकारी • राज्य वित्त आयोग के मुख्य सचिव रहे। • सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार। • टैक्स बोर्ड के चेयरमैन। • भू–जल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख। **नोट :** प्रेमसिंह मेहरा को आयोग का अध्यक्ष बनाने के

				लिए सरकार को सेवा नियमों में संशोधन करना पड़ा।
7.	श्री मधुकर गुप्ता (वर्तमान आयुक्त)	14.08.2022	निरंतर	• भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 ई. बैंच के वरिष्ठ IAS अधिकारी। • नई दिल्ली बीकानेर हाउस स्थित राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त रहे। • भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम एवं भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव व अतिरिक्त सचिव रहे। • इंदिरा गाँधी नहर बोर्ड के चैयरमैन। • संभागीय आयुक्त–जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर। • राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे।

राजस्थान में लोकायुक्त

- प्रथम संस्था जिसे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु बनाया गया।
- स्वीडन का 'आम्बुड्समैन' (1809)
- आम्बुड्समैन से अभिप्राय – 'जनता का प्रतिनिधि'
- लोकपाल व लोकायुक्त नामकरण – लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा।
- 1963 में हरिशचद्र माथुर समिति ने राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सर्वप्रथम 'आम्बुड्समैन' संस्थान की अनुशंसा की।
- भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 'प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटिजन्स ग्रीवेन्सेज में अनुशंसा तथा प्रथम विधेयक 9 मई, 1968 को संसद में रखा गया।
- भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त कानून 1970 ई. में ओडिशा में पारित हुआ लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम महाराष्ट्र मे 1971 ई. में हुई।
- राजस्थान में लोकायुक्त से पूर्व भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु **जन अभियोग निराकरण विभाग** कार्यरत था।

☑ **लोकायुक्त के अन्य नाम –**

1. पब्लिक मैन – केरल
2. भ्रष्टाचार निरोधी अधिकरण – जम्मू एण्ड कश्मीर
3. कमिशनर ऑफ इन्क्वारीज – तमिलनाडु

☑ **राजस्थान में लोकायुक्त –**

- लोकायुक्त संस्थान की स्थापना राजस्थान में – राजस्थान लोकायुक्त व उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत की गई है।
- राज्यपाल की सहमति – 3 फरवरी, 1973 ई.
- राष्ट्रपति द्वारा सहमति – 26 मार्च, 1973 ई.
- यह एक सांविधिक निकाय है।
- यह एक सलाहकारी आयोग भी है जिसकी अनुशंसा राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है।
- लोकायुक्त **"दोषी लोकसेवक को दण्ड व निर्दोष को संरक्षण"** के सिद्धांत पर कार्य करता है।

☑ **लोकायुक्त की सेवा शर्तें –**

➢ **योग्यता –** राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश/समकक्ष।

नोट– उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति की जा सकती है।

➢ **नियुक्ति –**

- राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर।
- समिति की संरचना –
    1. मुख्यमंत्री
    2. विधानसभा में विपक्ष के नेता
    3. राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

- **शपथ** –
  - राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति
  - शपथ ग्रहण के दौरान राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्ति पत्र पढ़कर चुनाता है।
- **कार्यकाल** – 5/65 वर्ष जो भी पहले हो।
  - 2018 में संशोधन द्वारा कार्यकाल 5 से 8 वर्ष किया गया जिसे 2019 में पुनः संशोधन द्वारा 8 से 5 वर्ष कर दिया गया हैं। (लोकायुक्त सज्जनसिंह कोठारी के समय)
  - लोकायुक्त की अनुपस्थिति में उप–लोकायुक्त, व उप–लोकायुक्त की अनुपस्थिति में राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश लोकायुक्त के रूप में कार्य करेगा।
- **त्यागपत्र** – राज्यपाल को।
- **पुनर्नियुक्ति** – पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं।
- **निष्कासन** – राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर।
  - ✓ आधार –
    - कदाचार
    - असमर्थता
  - ✓ प्रक्रिया –
    - सर्वप्रथम राज्यपाल के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।
    - समिति का प्रमुख – उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा।
    - समिति द्वारा आरोपों की जाँच की जाएगी।
    - जाँच के पश्चात् राजस्थान विधानसभा एक प्रस्ताव (विशेष बहुमत) पारित करेगी।
    - राज्यपाल एक आदेश द्वारा लोकायुक्त को निष्कासित कर देगा।
- **वार्षिक प्रतिवेदन** – राज्यपाल को सौंपता है। (धारा–12)
- **वेतन एवं भत्तें** –
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। (2.50 लाख)
  - उपलोकायुक्त का वेतन उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश के समान।

☑ **लोकायुक्त क्षेत्राधिकार** (राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधि., 1973 की धारा–7) –

1. मंत्री
2. लोक सेवक/सचिव/विभागाध्यक्ष
3. जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख
4. पंचायत समिति – प्रधान व उप प्रधान
5. जिला परिषद् एवं पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
6. नगर निगम – महापौर एवं उप महापौर
7. नगरपरिषद् – सभापति व उपसभापति
8. नगरपालिका – अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
9. नगरीय निकायों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
10. नगर सुधार न्यास (यूआईटी) के अध्यक्ष।
11. राजकीय कंपनियों, निगमों, मंडलों के अध्यक्ष।

12. राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजिकृत कोई भी सोसायटी।

☑ **लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर –**

(राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधि., 1973 की धारा–8) –

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायिक सदस्य एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश
4. महालेखाकार, राजस्थान सरकार
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य
6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी
7. विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी
8. सेवानिवृत्त लोक सेवक
9. विधायक
10. सरपंच, उपसरपंच एवं वार्ड पंच
11. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
12. 5 वर्ष से पुराने भ्रष्टाचार के मामले

☑ **लोकायुक्त के कार्य व भूमिका –**

1. लोकसेवकों के विरूद्ध निम्नलिखित मामलों में अपील या शिकायत स्वीकार करना।
   - भ्रष्टाचार के मामलें में
   - पद का दुरुपयोग
   - सत्यनिष्ठा का अभाव
   - किसी लोकसेवक द्वारा किसी व्यक्ति को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाना।

नोट – लोकायुक्त संस्थान स्वतः संज्ञान द्वारा कभी कार्यवाही कर सकता है।

2. जाँच के दौरान लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है –
   - लोकसेवक को लोकायुक्त कार्यालय बुलाना।
   - अन्य लोकसेवक को गवाही हेतु बुलाना।
   - लोकसेवक के बयान शपथपत्र पर लेना।
   - राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करना।
3. लोकसेवक के विरूद्ध राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही ही अनुशंसा करना।
4. गलत शिकायत पर किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की जेल/जुर्माना या दोनों।
5. राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना।

6. मंत्रियों, राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच करना।
7. जाँच के पश्चात् मामले को सक्षम अधिकारी तक कार्यवाही हेतु भेजना।
8. दुर्भावना से प्राप्त शिकायत पर शिकायतकर्ता को दण्डित करना।

नोट – कोई भी लोक सेवक दूसरे लोक सेवक की शिकायत लोकायुक्त को नहीं कर सकता है।

☑ **शिकायत/परिवाद के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश –**

- ✓ शिकायत केवल राजस्थान राज्य के लोक सेवकों के विरूद्ध ही की जा सकती है।
- ✓ शिकायतकर्ता स्वयं लोक सेवक नहीं होना चाहिए।
- ✓ शिकायत प्रपत्र के सभी स्तम्भों की पूर्ति आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। आरोपों का विवरण स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप में होना चाहिए।
- ✓ शिकायत के साथ में 10 रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विधिवत रूप से तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ✓ एक से अधिक शिकायतकर्ता होने की स्थिति में किसी एक शिकायतकर्ता द्वारा ही शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त है।
- ✓ पाँच वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है परन्तु लगातार चले आ रहे कृत्य के लिए यह समय–सीमा लागू नहीं होती है।
- ✓ व्यक्तिगत विवाद के मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है।
- ✓ व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर शिकायतें प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए।

राजस्थान के लोकायुक्त

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ	28-08-1973	27-08-1978	• पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। (सर्वोच्च न्यायलय से एकमात्र लोकायुक्त।) • जन्म – पाकिस्तान। • दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।
2.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता	28-08-1978	05-08-1979	• राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश। • राजस्थान राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • शिकारपुर सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे।
3.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जोशी	06-08-1979	07-08-1982	• पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय
4.	न्यायमूर्ति श्री के.एस. सिद्धू	04-04-1984	03-01-1985	• राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश।
5.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. श्रीमाल	04-01-1985	03-01-1990	• पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय। • महाराणा मेवाड़ पुरस्कार से सम्मानित। • राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश। • सरकारी अधिवक्ता सह–अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान।
6.	न्यायमूर्ति श्री पी.डी. कुदाल	16-01-1990	06-03-1990	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • इनकी अध्यक्षता में कुदाल आयोग बना (फरवरी 1982)।
7.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा	10-08-1990	30-09-1993	• न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय।
8.	न्यायमूर्ति श्री वी.एस. दवे	21-07-1994	16-02-1994	• न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यूनतम कार्यकाल)।
9.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा	06-07-1994	06-07-1999	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • सर्वाधिक कार्यकाल।
10.	न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद जैन	26-11-1999	26-11-2004	• पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय। • पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाये गये जैन आयोग के अध्यक्ष। • राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल।
11.	न्यायमूर्ति श्री जी.एल. गुप्ता	01-05-2007	30-04-2012	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय।
12.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी	25-03-2013	07-03-2019	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • एकमात्र लोकायुक्त जिनका कार्यकाल अध्यादेश के जरिए 3 वर्ष बढ़ाया गया। (अनुभाग 5 में संशोधन) • 24 मार्च, 2019 को ही पद से हटा दिया गया (लोकायुक्त एक्ट के खिलाफ होने के कारण)
13.	न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा	09-03-2021	निरंतर	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धाराएँ

धाराएँ	प्रावधान
1	सक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ
2	परिभाषाएँ
3	लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तो की नियुक्ति
4	लोकायुक्त उपलोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण न करना
5	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्ते
6	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त का हटाया जाना
7	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले
8	वे मामले, जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा
9	शिकायतो के संबंध में उपबंध
10	अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रियां
11	साक्ष्य
11(3)	कार्य न्यायिक कार्यवाही
12	लोकायुक्त व उपलोकायुक्त के प्रतिवेदन
12(4)	वार्षिक प्रतिवेदन
12(1)	अनुशासनात्मक कार्यवाही
13	मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन
14	लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्तों का कर्मचारी वर्ग
15	जानकारी की गोपनीयता
16	लोकायुक्त या उपलोकायुक्त का साशय अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना
17	परित्राण (पूर्ण रक्षा पूरा बचाव)
18	लोकायुक्त और उपलोकायुक्तो आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना
19	लोक सेवकों के कतिपय वर्गो के विरूद्ध शिकायतो को अपवर्जित करने की शक्ति
20	प्रत्यायोजन की शक्ति
21	नियम बनाने की शक्ति
22	शंकाओं का निराकरण
23	निरसन तथा व्यावृतिया

☑ लोकायुक्त में सुधार हेतु गठित समितियाँ –

1. हरिशंकर भाभड़ा समिति – 1997
2. बी.डी. कल्ला समिति – 2000
3. नरपतमल लोढ़ा समिति – 2014

☑ उपलोकायुक्त –

- योग्यता – राज्य सर्तकता आयुक्त के समान।
- नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त से परामर्श के बाद।
- वेतन एवं भत्तें – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।
- निष्कासन – सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर।

राजस्थान के उपलोकायुक्त

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विवरण
1.	श्री के.पी.यू. मेनन आईएएस	05-06-1973	25-06-1974	• पूर्व मुख्य सचिव

☑ महत्वपूर्ण तथ्य –

- राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त – आई.डी. दुआ
- प्रथम उप–लोकायुक्त – के.पी.यू. मेनन (पूर्व मुख्य सचिव)
- न्यूनतम कार्यकाल – विनोद शंकर दवे (26 दिन)
- सर्वाधिक कार्यकाल – एम.बी. शर्मा

- **अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो राजस्थान के लोकायुक्त पद पर रहे –**
  1. एम.एल. श्रीमाल (सिक्किम उच्च न्यायालय)
  2. मिलाप चन्द जैन (दिल्ली उच्च न्यायालय)।
- सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे – आई. डी. दुआ
- न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे – डी.पी. गुप्ता
- वर्तमान लोकायुक्त – पी.के. (प्रताप कृष्ण) लोहरा
- केन्द्र सरकार द्वारा 16 जनवरी, 2014 को लोकायुक्त व लोकपाल अधिनियम – 2013 लागू किया गया।
- वर्तमान लोकपाल – न्यायमूर्ति अजय मलिक राव खानविलकर
- प्रथम लोकपाल – श्री पी.सी. घोष

- सर्वप्रथम लोकपाल नाम – एल.एम. सिंघवी द्वारा सुझाया गया।
- **लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे–**
  1. डी.पी. गुप्ता
  2. मिलाप चन्द जैन।
- **कार्यवाहक लोकायुक्त–**

1. डी.पी. गुप्ता

2. के.एस. सिद्धू

3. वी.एस. दवे।

राज्य मानवाधिकार आयोग

- यह एक सांविधिक आयोग है क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ई. की धारा–21 के अंतर्गत की गई।

  नोट – मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 28 सितम्बर, 1993 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया।
- यह सलाहकारी आयोग है क्योंकि इसकी सलाह राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है।

☑ **मुख्य प्रावधान –**

- यह आयोग केवल राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर सुनवाई करता है।
- आयोग की अधिसूचना जारी हुई = 18 जनवरी, 1999
- अयोग की स्थापना हुई = 20 मार्च, 2000
- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम – 2001 ई. बनाये गये।
  (क्रियान्वयन – 19 जनवरी, 2001)

☑ **आयोग की संरचना –**

- स्थापना के समय 1 अध्यक्ष व 4 सदस्यों का प्रावधान था लेकिन मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2006 के पश्चात् वर्तमान में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान है।

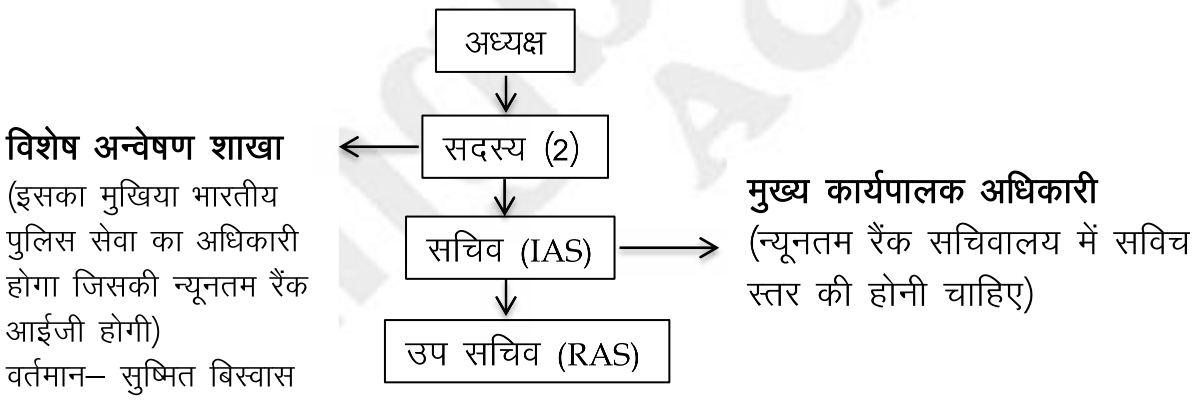

➢ **वर्तमान संरचना –**

- अध्यक्ष – गंगाराम मूलचंदानी (6वें)
- सदस्य –
  1. रामचंद्र सिंह झाला (सेवानिवृत न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय)
  2. अशोक गुप्ता (सेवानिवृत, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी)
- विशेष जाँच शाखा के प्रमुख – सुष्मित बिस्वास (विशेष अन्वेषण शाखा)

☑ **राज्य मानवाधिकार आयोग की सेवा शर्तें –**

- **योग्यता –**

  अध्यक्ष – राज्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत न्यायाधीश (वर्ष 2019 से)

  सदस्य – 1. उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत न्यायाधीश

  या

  न्यायाधीश जिसे जिला न्यायालय में 7 वर्ष का अनुभव हो।

  2. ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो।

- **नियुक्ति –** राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर।

  समिति की संरचना –

  1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
  2. विधानसभा अध्यक्ष
  3. गृहमंत्री
  4. विपक्ष के नेता।

नोट – राज्य में विधानपरिषद् की स्थिति में विधानपरिषद् के सभापति व विपक्ष के नेता भी समिति के सदस्य होंगे।

- **कार्यकाल –**
  - ✓ 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। (2019 से)
  - ✓ अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनः नियुक्ति का प्रावधान।
- **शपथ –** राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति।
- **त्यागपत्र –** राज्यपाल को।
- **सेवा व शर्तें –** राज्य सरकार द्वारा निर्धारित।
- **वेतन व भत्ते –**
  - अध्यक्ष – उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान।
  - सदस्य – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।
- **निष्कासन –**

  1. कदाचार व असमर्थता के मामले में (राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात्)

  2. सीधा राष्ट्रपति द्वारा –

  1. लाभ का पद
  2. दिवालियापन
  3. मानसिक असमर्थता
  4. न्यायालय में दोषी पाया गया हो।

- **वार्षिक प्रतिवेदन** – राज्य सरकार को

☑ **कार्य व शक्तियाँ** –

1. लोकसेवकों के विरूद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत/अपील स्वीकार करना। (राज्य व समवर्ती सूची के मामलों में।)
2. आयोग स्वतः संज्ञान द्वारा भी सुनवाई कर सकता है।
3. मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों व शिकायतों की जाँच करना।
4. आयोग को सी.पी.सी. 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है जैसे –
   - लोकसेवक को नोटिस जारी करना।
   - अन्य लोकसेवक को गवाही हेतु बुलाना।
   - लोकसेवकों के बयान शपथ पत्र पर लेना।
   - राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करना।
5. जाँच के पश्चात् आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है –
   - लोकसेवक के विरूद्ध राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना।
   - पीड़ित को राज्य सरकार द्वारा मुआवजें या क्षतिपूर्ति की सिफारिश करना।
   - पीड़ित के पक्ष में न्यायालय में अपील करना।
6. राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करना। जैसे – पुलिस थाना, जेल, आदि।
7. मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करने वाले एनजीओ को प्रोत्साहित करना।
8. जिला मानवाधिकार ईकाई की स्थापना करना।
9. आम आदमी में मानवाधिकारों संबंधी साक्षरता व जागरूकता बढ़ाना।

नोट –

1. राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा **'मानवाधिकार संदेश'** नामक पत्रिका (त्रैमासिक) प्रकाशित की जाती है।
2. आयोग द्वारा 2002 में **'जयपुर घोषणा'** को मानवाधिकारों के प्रचार–प्रसार हेतु शुरुआत की।

☑ **वे मामले जो मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है** –

1. 1 वर्ष से पुराने मामले।
2. न्यायालय में विचाराधीन मामले।
3. वे मामले जिनका संबंध सैन्य प्रशासन से हो।
4. आरोप जो लोक सेवक के विरुद्ध ना हो।

5. वे मामले जो पूर्व में अन्य किसी आयोग में लंबित हो।
6. व्यक्तिगत विवाद, संपत्ति विवाद, औद्योगिक विवाद।
7. शिकायत अस्पष्ट होने पर।
8. वे मामले जिनका संबंध सेवानिवृत लोकसेवकों से हो।

☑ **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक – 2019 के पश्चात् –**

- ✓ अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष।
- ✓ सभी पुनः नियुक्ति हेतु पात्र।
- ✓ आयोग का अध्यक्ष पूर्व में केवल राज्य का सेवानिवृत न्यायाधीश ही बन सकता था लेकिन इस संशोधन के पश्चात् उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश भी अध्यक्ष बनने हेतु पात्र।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

क्र.स.	**नाम**	**पद ग्रहण करने की तिथि**	**पद छोड़ने की तिथि**	**विशेष विवरण**
1.	न्यायमूर्ति सुश्री कांता भटनागर	23.03.2000	11.08.2000	• मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रहने वाली पहली महिला। • 1968 में राजस्थान में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। • अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल।
2.	न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद	16.02.2001	03.06.2004	• उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व स्थायी न्यायाधीश रहे। • उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तर रेलवे के स्थायी वकील रहे। • जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश रहे। • आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे।
3.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन (नगेन्द्र कुमार जैन)	16.07.2005	15.07.2010	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रहे। • जोधपुर विश्वविद्यालय में अंशकालिक व्याख्याता रहे। • कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। • हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त व हिमाचल प्रदेश में ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष।
4.	न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया	11.03.2016	25.11.2019	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश भी रहे। • झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। • दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश।

5.	न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास	जनवरी, 2021	जून 2024	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। • राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के सदस्य रहे। • राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष। • राजस्थान न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष। • न्यायिक मजिस्ट्रेटो के चयन की निचली न्यायिक समिति व चयन बोर्ड के अध्यक्ष।
6.	न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी	28 जून 2024		सेवानिवृत न्यायाधीश।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य

क्र.स.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदारा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	07.07.2000	06.07.2005	• राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
2.	श्री आर.के. आकोदिया	25.03.2000	24.03.2005	---
3.	श्री बी.एल. जोशी	25.03.2000	31.03.2004	• 1957 में राजस्थान राज्य पुलिस सेवा से करियर शुरू। • इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस्लामाबाद और लंदन में भारतीय उच्चायोगों और वांशिगटन डीसी में भारतीय दूतावास के साथ कार्य किया। • 9 जून 2004 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला। • अप्रैल 2007 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त हुए। • अक्टूबर 2007 में उत्तराखण्ड राज्यपाल नियुक्त। • उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे।
4.	प्रो. आलमशाह खान	24.03.2000	16.05.2003	---
5.	श्री नमोनारायण मीणा	11.09.2003	23.03.2004	• राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक • राष्ट्रपति पुलिस पदक और राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित। • 2004 से 2009 में UPA सरकार के दौरान– ✓ पर्यावरण और वन राज्यमंत्री। ✓ वित्त मंत्रालय के व्यय, बैकिंग और बीमा विभाग में राज्यमंत्री।

6.	श्री धर्म सिंह मीणा	07.07.2005	06.07.2010	• पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।
7.	न्यायमूर्ति जगत सिंह (कार्यवाहक अध्यक्ष)	10.10.2005	09.10.2010	• राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में न्यायाधीश रहे।
8.	श्री पुखराज सीरवी	15.04.2006	13.04.2011	• पुलिस महानिरीक्षक व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक रहे। • 1967 में RPS बने। • राष्ट्रपति पुलिस पदक से दो बार सम्मानित।
9.	श्री एच.आर. कुरी (कार्यवाहक अध्यक्ष)	01.09.2011	31.08.2016	---
10.	डॉ. एम.के. देवराजन	01.09.2011	31.08.2016	• राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक। • सहायक निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो। • राजस्थान पुलिस के सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभारी। • पुलिस महानिरीक्षक • राजस्थान पुलिस के सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों में नोडल अधिकारी। • चार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते जिनमें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस से प्राप्त तीन पुरस्कार शामिल।
11.	न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	03.10.2018	29.04.2021	---
12.	श्री महेश गोयल	25-01-2021	27.06.2024	• कमाण्डेट RAC, DIG राजस्थान, व IGP (इंटेलीजेंश) राजस्थान। • राष्ट्रपति पुलिस पदक (वर्ष 2000 में)।
13.	राम चन्द्र सिंह झाला	16-01-2023	निरन्तर	• राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। • RCA में नैतिकता आयुक्त रहे।
14.	अशोक गुप्ता	28 June 2024	निरन्तर	सेवानिवृत IPS

राजस्थान मानवाधिकार आयोग संबंधित महत्वपूर्ण धाराएँ

धारा	प्रावधान
20	मानवाधिकारों की परिभाषा।
21	आयोग की संरचना/प्रावधान
22	अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
23	निष्कासन।
24	कार्यकाल।
25	आयोग का सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में।(राज्यपाल द्वारा नियुक्ति।)
26	सेवा शर्तें।
27	आयोग के पदाधिकारी।
28	वार्षिक प्रतिवेदन।
29	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रावधान राज्य मानवाधिकार आयोग पर भी लागू होगें।
30	मानवाधिकार न्यायालय।
31	विशेष लोक अभियोजक।
33	वित्तीय सहायता–आर्थिक अनुदान राज्य सरकार द्वारा।
37	विशेष अन्वेषण शाखा।
41	आयोग से संबंधित नियम–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित।

☑ **आयोग की स्वायत्तता हेतु किए गए प्रावधान –**

1. **सांविधिक दर्जा** – मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
2. **नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया** –राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर।
3. **कार्यकाल का स्थायित्व** – 3/70 वर्ष जो भी पहले हो।
4. **हटाने की जटिल प्रक्रिया** – राष्ट्रपति द्वारा।
5. पर्याप्त वेतन भत्ते/पारिश्रमिक।
6. विशेष जाँच शाखा का प्रावधान।
7. धारा–33 के अंतर्गत आयोग को प्राप्त वित्तीय स्वायत्तता।

☑ **महत्वपूर्ण तथ्य –**

- प्रथम अध्यक्ष – कान्ता भटनागर
- वर्तमान अध्यक्ष – न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी **(6वें)**
- वर्तमान सदस्य – अशोक गुप्ता, राम चन्द्र सिंह झाला
- अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – कान्ता भटनागर
- पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे है – नमोनारायण मीणा
- सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – पुखराज सीरवी (7 वर्ष)
- सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल – नमोनारायण मीणा (1 वर्ष)
- अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल – एन.के. जैन
- आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे –
    1. अमर सिंह गोदारा
    2. जगत सिंह
    3. पुखराज सीरवी
    4. एच.आर. कुरी
    5. महेश चन्द्र शर्मा
    6. रामचंद्र सिंह झाला
- एकमात्र अल्पसंख्यक अध्यक्ष – एस. सगीर अहमद (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश)✱

राज्य सूचना आयोग

- प्रथम देश जिसने सूचना अधिकार कानून लागू किया गया – स्वीडन (1766 ई.)
- प्रथम राज्य जिसने सूचना के अधिकार कानून को लागू किया – तमिलनाडु (1996 ई.)
  दूसरा राज्य – गोवा (1997 ई.)
- राजस्थान का सूचना का अधिकार कानून – 2000 ई.
  (इस कानून का क्रियान्वयन – 26 जून, 2001)
- सूचना के अधिकार कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय – एस. पी. गुप्ता बनाम भारत सरकार (1981 ई.)
- एनजीओ के नाम जिन्होंने आरटीआई कानून संबंधित आंदोलन को प्रोत्साहित किया –
  1. मजदूर किसान शक्ति संगठन – अरुणा रॉय (सेवानिवृत आईएएस)
  2. परिवर्तन – अरविन्द केजरीवाल (दिल्ली के मुख्यमंत्री)
- आरटीआई की मांग की शुरुआत – ब्यावर

☑ राजस्थान राज्य सूचना आयोग –

- मुख्यालय – जयपुर
- प्रावधान – यह एक सांविधिक आयोग है क्योंकि इसका उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय–4 की धारा 15 में है।
- अधिसूचना जारी हुई – 13 अप्रैल, 2006
- स्थापना – 18 अप्रैल, 2006
- आयोग के आदेश राज्य सरकार के सरकारी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी है।
- राजस्थान में सूचना का अधिकार नियम, 2007 में बनाये गए।
- आयोग केवल राज्य व समवर्ती सूची विषयों पर सुनवाई करता है।

☑ आयोग की संरचना –

- 1 मुख्य राज्य सूचना आयुक्त व 10 राज्य सुचना आयुक्त बनाए जा सकते है।
- राजस्थान में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य बनाए जाते है।
  (1 मुख्य राज्य सूचना आयुक्त एवं 4 राज्य सुचना आयुक्त)
- वर्तमान आयुक्त –
  - ✓ मुख्य राज्य सूचना आयुक्त – मोहन लाल लाठर। (पूर्व पुलिस महानिदेशक)
  - ✓ राज्य सूचना आयुक्त –
    1. सुरेश गुप्ता (सेवानिवृत IAS)
    2. महेंद्र पारेख (सेवानिवृत IAS)
    3. टीकाराम शर्मा (विधि विभाग में सचिव)
    4. .... (वर्तमान में एक सदस्य का पद रिक्त)

☑ **राज्य सूचना आयोग की सेवा शर्तें – केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण।**

➢ **योग्यता –**

1. सूचना आयुक्त लोकसेवक, शिक्षाविद्, प्रबंध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पत्रकारिता क्षेत्र से होना चाहिए।
2. उसे विधायक व सांसद नहीं होना चाहिए।
3. लाभ का पद धारण न हो।

➢ **नियुक्ति** – राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर।

समिति की संरचना –

1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
2. विधानसभा के विपक्ष के नेता
3. मुख्यमंत्री द्वारा नामित केबिनेट मंत्री।
   (वर्तमान में श्री जोगाराम पटेल समिति के नामित सदस्य रहे।)

➢ **कार्यकाल –**

- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित (सूचना का अधिकार (संशोधित) अधिनियम, 2019) के अनुसार वर्तमान में 3 या 65 वर्ष जो भी पहले हो।

➢ **पुनर्नियुक्ति** – पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं।

➢ **वार्षिक प्रतिवेदन** – राज्य सरकार को।

➢ **वेतन एवं भत्तें** – केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित।

- सूचना का अधिकार अधिनियम (संशोधित), 2019 के अनुसार।
- मुख्य सूचना आयुक्त – उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान।
- राज्य सूचना आयुक्त – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।

➢ **शपथ** – राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति।

➢ **सेवा शर्तें** – केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण।

➢ **त्यागपत्र** – राज्यपाल को।

➢ **निष्कासन –**

1. **कदाचार व असमर्थता के मामले में** – राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात्।
   नोट – उच्चतम न्यायालय की जाँच के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबन के प्रावधान है।
2. **सीधा राज्यपाल द्वारा** – लाभ का पद, मानसिक विकृति, दिवालियापन, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने पर।

नोट –

- **30 मार्च, 2023 को राज्य सूचना आयोग की अतिरिक्त पीठ की स्थापना जोधपुर में की गई**

☑ **आयोग के कार्य व शक्तियाँ –**

- सूचना के अधिकार व अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चत करना–अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है –
    - सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।
    - राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।
    - अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में।
    - लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवानें के संबंध में।
    - अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
    - राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के संबंध में।
    - आवेदन को नामंजूर करने के संबंध में निर्देश जारी करना।

✪ **अपीलीय शक्तियाँ** – प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

✪ **शास्ति(जुर्माना) अधिरोपित करने की शक्ति –**

✓ आयोग को 2500 रुपये व अधिकतम 25,000 रुपये तक का निम्न परिस्थितियों में जुर्माना लगाने को अधिकार है –
- सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर।
- तय समयावधि में सूचना अपलब्ध नहीं करवाने पर।
- अधूरी व अशुद्ध सूचना देने पर।
- सूचना की विषय–वस्तु नष्ट करने पर।
- सूचना उपलब्ध कराने में बाधा डालने पर।

✪ **परिवाद संबंधी शक्तियाँ** – नागरिक निम्नलिलिखत परिस्थितियों में परिवाद कर सकता –
- ✓ सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से मना करने पर।
- ✓ सूचना देने के इंकार करने पर।
- ✓ भ्रामक सूचना देने पर।
- ✓ सूचना के बदले मांगे जा रहे शुल्क का तर्कसंगत नहीं होने पर।

✪ **दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ** – आयोग को परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है–
- ✓ किसी व्यक्ति को शपथ या साक्ष्य हेतु बुलाना।
- ✓ किसी न्यायालय या कार्यालय से सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ मंगवाना।
- ✓ गवाहों को समन (वॉरंट) जारी करना।
- ✓ शपथ पर साक्ष्य लेना।

☑ **आरटीआई आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य –**

- आवेदन लिखित होना चाहिए।
- 10 रूपये की आवेदन फीस चुकानी आवश्यक।
- सूचना मांगने पर कारण बताना आवश्यक नहीं।
- आवेदन में निजी जानकारियाँ नहीं मांगी जा सकती ।
- आवेदन को कोई पूर्ण निर्धारित स्वरूप या फॉर्म नहीं है।
- बीपीएल परिवारों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया।
- सूचनाएँ मुफ्त दी जाती है लेकिन स्टेशनरी की लागत वसूली जाती है।
- आवेदन संबंधित विभाग लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है।
- **सूचना देने की समय सीमा –**
    - सामान्य सूचनाएँ 30 दिन में।
    - किसी के जीवन की रक्षा से संबंधित सूचनाएँ 48 घण्टे में।
    - आवेदन हस्तांतरित होने पर 35 दिन में।
    - तृतीय पक्षकार संबंधित सूचनाएँ 40 दिन में।

☑ **1996 में गठित एच. डी. शौरी आयोग के अनुसार सूचना की स्वतंत्रता का ताप्तर्य** – सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता जिसमें निरीक्षण, टिप्पणियाँ, उद्धरण लेना, कागजात की प्रमाणिक प्रतियाँ, लोक अधिकारी का रिकॉर्ड लेना, कम्प्यूटरों का अन्य किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र में रखी सामग्री – दस्तावेज प्राप्त करना, टर्मिनल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा लेना आदि अन्तर्निहित है।

☑ **तृतीय पक्ष की सूचना से तात्पर्य –** यदि माँगी गई सूचना किसी तृतीय पक्ष अर्थात् जो आवेदक व सूचना प्रदाता से भिन्न हो, और यदि यह सूचना उसकी व्यक्तिगत व गोपनीयता से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष को नोटिस देकर यह पूछेगा की वह ये जानकारी प्रकट करे अथवा नहीं। यह नोटिस 5 दिन के भीतर भेजेगा। तीसरा पक्ष सूचना नहीं प्रदान करने का मत व्यक्त करता हो किन्तु लोक सूचना अधिकारी प्रकट करना लोक हित में उचित मानता हो तो वह सूचना दे सकता है।

☑ **सूचना आयोग के आदेशों को चुनौती –** आयोग द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार होता है, अतः वहाँ जाया जा सकता है।

☑ **महत्वपूर्ण बिंदू –**

1. 4 अप्रैल, 2022 को राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामले के त्वरित निस्तारण के लिये राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया।
2. 30 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में सूचना आयोग की पीठ स्थापित की। (बजट 2023–24 में घोषणा)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की राज्य सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण धाराएँ–

धारा	प्रावधान
6(1)	अपील का प्रारूप
15	आयोग की संरचना/राज्य सूचना आयोग का प्रावधान
16	कार्यकाल
17	निष्कासन
18,19,20,25	आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य
19	अपील की प्रक्रिया
19(1)	प्रथम अपील अधिकारी
19(3)	द्वितीय अपील अधिकारी (राज्य सूचना आयोग)
19(7)	राज्य सूचना आयोग के आदेश बाध्यकारी होंगे
19(8)	लोक प्राधिकरणों का निरीक्षण।
20	जुर्माना (250–25,000 तक)

नोट – आरटीआई एक्ट के महत्वपूर्ण अध्याय –
अध्याय 4 – राज्य सूचना आयोग का प्रावधान।
अध्याय 5 – राज्य सूचना आयोग के कार्य।

➢ **अन्य अध्यक्ष**

- प्रथम अध्यक्ष – एम.डी. कोरानी (सर्वाधिक कार्यकाल –18 अप्रैल,2006 से 17 अप्रैल,2011)।
- टी. श्रीनिवासन – (कार्यकाल – 5 सितम्बर 2011 से 13 अगस्त 2015)
- सुरेश चौधरी – (न्यूनतम कार्यकाल – नवम्बर 2015 से दिसम्बर 2018)
- डी.बी. गुप्ता (देवन्द्र भूषण) – कार्यकाल – दिसम्बर 2020 से 2024 तक

➢ **आयोग के सदस्य रहे –**

1. टी. श्रीनिवासन : न्यूनतम कार्यकाल (ये सदस्य व अध्यक्ष दोनों रहे)
2. पी.एल. अग्रवाल
3. चन्द्र मोहन मीणा
4. आशुतोष शर्मा – सर्वाधिक कार्यकाल
5. लक्ष्मण राठौड़
6. राजेन्द्र बरवड़
7. नारायण बारेठ
8. शीतल धनखड़ – प्रथम महिला सदस्य
9. मोहन लाल लाठर
10. महेन्द्र कुमार पारख
11. सुरेश चन्द गुप्ता
12. टीकाराम शर्मा

(10–12: वर्तमान में कार्यरत सदस्य)

जिला प्रशासन

- **परिभाषा :–** जिला प्रशासन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन है।
- भारतीय मूल संविधान में "जिला" शब्द अनुच्छेद–233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है।

☑ जिला प्रशासन की विशेषताएँ –

1. जिला प्रशासन गाँव व राज्य के बीच कड़ी है।
2. जिला प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया जिला कलेक्टर होता है।
3. जिला प्रशासन में विभिन्न इकाईयाँ कार्य करती है।

   जैसे – उपखण्ड – प्रशासनिक इकाई
   तहसील – राजस्व इकाई
   खण्ड – विकास इकाई
4. जिला प्रशासन के मुख्य उद्देश्य है –
   - राजस्व संग्रहण
   - कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।
   - जिले में विकास कार्यो को सुनिश्चित करना।
5. एक जिला सामान्यतः एक सांसद का निर्वाचन क्षेत्र होता है।
6. प्रत्येक जिले की अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान होती है जो जिला प्रशासन को प्रभावित करती है।

   नोट –
   - **लाखीना सुधार –** यह सुधार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से जिला कलेक्टर अनिल कुमार लाखीना द्वारा शुरू किए गए। इन सुधारों का संबंध जिला प्रशासन से है।

   - **जिला सरकार –** यह सुधार 1999 में मध्यप्रदेश से तात्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा की गई। इसके तहत प्रत्येक जिलें में प्रभारी मंत्री की नियुक्ति।

☑ जिला प्रशासन का संगठन

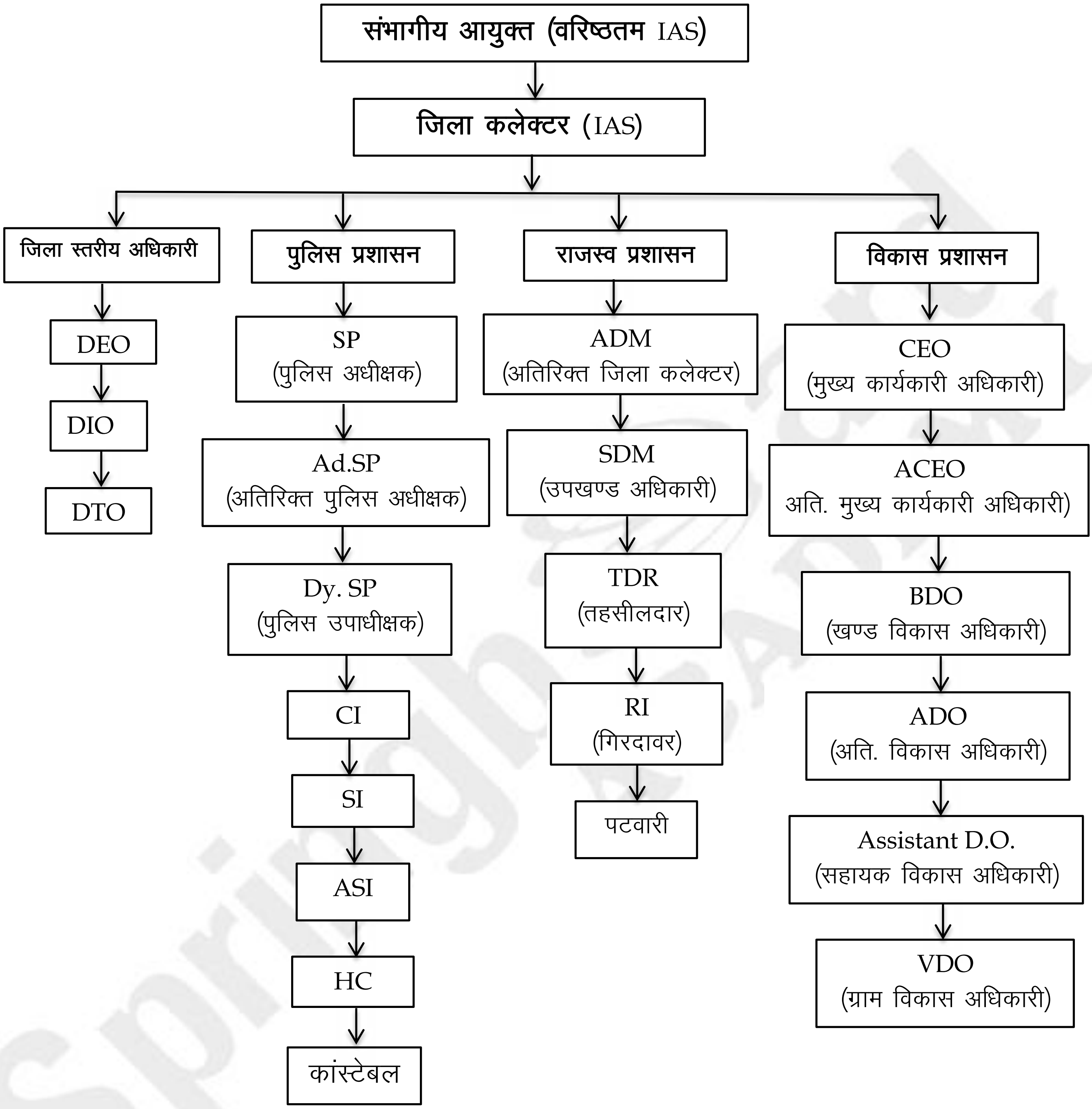

संभागीय आयुक्त

- संभागीय आयुक्त का पद 1829 ई. में विलियम बैंटिक द्वारा सृजित किया गया।
- इस पद को राजस्थान में 1949 ई. में सृजित किया गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में 5 संभाग थे –
    1. जयपुर
    2. कोटा
    3. उदयपुर
    4. जोधपुर
    5. बीकानेर
- वर्ष 1962 ई. में मोहन लाल सुखाड़िया सरकार द्वारा राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा इसके कार्यों को जिला कलेक्टर व राजस्व मण्डल के मध्य विभक्त कर दिया गया।
- 1987 ई. में हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया एवं अजमेर को नया संभाग बनाया गया। (अजमेर छठवां संभाग बना)
- 4 जून, 2005 को भरतपुर को 7वाँ संभाग बनाया गया। (मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा)
- 17 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 3 नये संभागों की घोषणा की गई – सीकर, पाली, बांसवाड़ा।
- नवीन जिलों व संभागों के गठन हेतु 'रामलुभाया समिति' का गठन किया गया था।
- इनकी अधिसूचना 5 अगस्त, 2023 को जारी हुई तथा इन्हें 7 अगस्त 2023 को स्थापित किया गया।
- इस प्रकार वर्तमान राजस्थान में कुल 10 संभाग है।
- हाल ही में **'ललित के. पंवार समिति'** को नये संभागों व नये जिलों के मानक तय करने हेतु गठित किया गया है।
- नये जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है।
- हाल ही में इस समिति का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया है।

☑ **सेवा शर्तें –**

➢ **नियुक्ति** – कार्मिक, लोकशिकायत, पेंशन मंत्रालय भारत सरकार।
- पदस्थापन
- स्थानान्तरण
- निलंबन
- निष्कासन
- पदस्थापन के इंतजार में

} **राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा।**

➢ **कार्यकाल** – अनिश्चित।

☑ **संभागीय आयुक्त कार्यालय का संगठन** (राजस्थान के सदर्भ में)

संभागीय आयुक्त
↓
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
↓
उप–निदेशक
↓
तहसीलदार

☑ **संभागीय आयुक्त के कार्य एवं भूमिका –**

1. **निरीक्षण व पर्यवेक्षण –**
   - जिला प्रशासन की विभिन्न बैठकें बुलाना।
   - बैठक के दौरान विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देना।
   - संभाग के प्रशासनिक कार्यालयों का निरीक्षण करना।
   - केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
2. **प्रशासनिक कार्य –**
   - जिला कलेक्टर का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरना। (ACR)
   - संभाग में गिरदावर व पटवारी का स्थानान्तरण करना।
   - संभाग के कर्मचारियों पर नियंत्रण।
   - जन शिकायतों की सुनवाई करना।
3. **समन्वय कार्य –**
   - राज्य सरकार व जिला प्रशासन के मध्य समन्वय।
   - जिला प्रशासन के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना।
   - जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य समन्वय।
   - संभाग के सरकारी संस्थानों के मध्य समन्वय।
4. **न्यायिक कार्य –**
   - कुछ कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करना।
     जैसे–
     - राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
     - राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
     - राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009
     - राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
     - राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
     - राजस्थान वन अधिनियम, 1953

☑ **संभागीय आयुक्त के अन्य कार्य –**

क्र.सं.	संभाग	विशिष्ट कार्य
1.	जयपुर	–
2.	जोधपुर	मरू विकास कार्यक्रम
3.	बीकानेर	इंदिरा गाँधी नहर परियोजना
4.	उदयपुर	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
5.	कोटा	चम्बल कमाण्ड एरिया डवलपमेंट
6.	अजमेर	बीसलपुर परियोजना
7.	भरतपुर	चम्बल कमाण्ड एरिया डवलपमेंट

नोट – जिले में अपरिहार्य कारणों से नेटबंदी के आदेश संभागीय आयुक्त द्वारा जारी किये जाते है

जिला कलेक्टर

- जिला कलेक्टर पद 1772 ई. में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में सृजित किया गया–(राजस्व संग्रहण हेतु)।
- भारत के प्रथम जिला कलेक्टर – रॉल्फ शेल्डन
- **1787 ई.** में कलेक्टर को विभिन्न न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई। अतः कलेक्टर को लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता है।
- 1792 ई. में कॉर्नवॉलिस संहिता के कारण कलेक्टर की न्यायिक शक्तियों को न्यायपालिका को हस्तांतरित की गई।
- 1947 ई. के पश्चात् भारत के सभी राज्यों ने कलेक्टर के पद को अनवरत जारी रखा।
- कलेक्टर के अन्य नाम –
    - जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट – राजस्थान
    - जिला मजिस्ट्रेट – उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
    - उपायुक्त – हरियाणा, कर्नाटक
- जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद–50 के कारण न्यायपालिका की ओर हस्तांतरित की जा रही है।
- 1993 ई. के बाद कलेक्टर की विकास अधिकारी के रूप में भूमिका 73वें संविधान संशोधन, 1992 ई. के कारण परिवर्तित हुई है।
- 2009 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पहली बार पदोन्नत आईएएस अधिकारियों को जिला कलेक्टर पद पर नियुक्ति प्रदान की। (पदोन्नत–राज्य सेवा से अखिल भारतीय सेवा में)
- 1 जनवरी, 2011 को राजस्थान में आयुक्त प्रणाली की शुरुआत हुई।(जयपुर व जोधपुर)
- आयुक्त प्रणाली के कारण कलेक्टर की दण्डनायक के रूप में भूमिका परिवर्तित हुई।
- कलेक्टर पर पर विभिन्न कथन –
    - रजनी कोठारी – संस्थागत करिश्मा
    - मेक्डॉनाल्ड – कलेक्टर वह कछुआ है जिसकी पीठ पर केन्द्र सरकार रूपी हाथी बैठा है।
    - सी.के मैथ्यू – कलेक्टर जैसा ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा।
    - भारतीय स्टेच्युटरी कमीशन प्रतिवेदन, 1930 – जिलाधीश को एवं अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा प्रधानमंत्री राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए।
    - के.के. दास – कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान ना तो कोई अधिकारी हुआ न होगा।
    - 20 मई, 2005 को दिया गया PM का भाषण – प्रशासन की दूरी

➢ **सामान्य सेवा शर्तें –**

- **नियुक्तिकर्ता मंत्रालय** – कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए जाते है।
- **नियुक्ति की प्रणाली** – सीधी भती द्वारा, पदोन्नत RAS अधिकारी
- **पदस्थापन** – कार्मिक विभाग, राजस्थार सरकार द्वारा IAS अधिकारी को कलेक्टर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- **कार्यकाल** – अनिश्चित
- **स्थानान्तरण**
- **निलम्बन**
- **निष्कासन**

(स्थानान्तरण, निलम्बन, निष्कासन) – कार्मिक विभाग द्वारा

- **अनुच्छेद – 311** में पद की सुरक्षा

☑ **जिला कलेक्टर के कार्य –**

(1) राजस्व अधिकारी के रूप में –

- जिले में राजस्व संग्रहण – कृषि कर, सिंचाई कर, भू–राजस्व संग्रहण, स्टाम्प ड्यूटी का संग्रहण, नहरी कर, बिक्री कर इत्यादि
- सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।
- जिलें में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य।
- नोट – जिला कलेक्टर जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी भी होता है।
- जिले में कृषि ऋण वितरण सुनिश्चित करना।
- राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन – राजस्थान भू–राजस्व कानून – 1956
  राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955
- राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण – तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी।
- भू–सुधारों को क्रियान्वयन – हदबंदी, चकबंदी
- भू–अभिलेख प्रबंधन– जमाबंदी, भू–नक्शा, नामांतरण पंजिका
- राजस्व अपीलों की सुनवाई करना।
- भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य।

(2) जिला दण्डनायक के रूप में कार्य –

- जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना।
- जिले में कर्फ्यू लगाना।
- शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।
- विदेशियों के पारपत्र/पासपोर्ट की जांच करना।
- जिला पुलिस पर नियंत्रण रखना व वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट गृह विभाग को प्रेषित करना।
- हथियारों के लाइसेंस जारी करना।
- रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करना।
- जिले में निम्नलिखित कानूनों का क्रियान्वयन करना।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980
  - राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 2006

  - मनोरंजन कानून
  - प्रेस की स्वतंत्रता कानून
- जिले में गुंडा सूची का अवलोकन करना।
- पुलिस थानों व जेलों का निरीक्षण करना।

(3) प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य–

- जिले के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
- जिले के सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करना।
- डाक बंगलों व सर्किट हाउस नियंत्रण।
- जिले में सरकारी आवासों का आवंटन करना।
- विभिन्न प्रमाण–पत्र जारी करना
- जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति के माध्यम से जन शिकायतों की सुनवाई करना।
- 'POSDCoRB' संबंधित कार्य करना।
- जिले में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार – प्रसार करना।

(4) जला निर्वाचन अधिकारी के रूप में –

- जिले में MP, MLA स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना।
- जिले में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण – जिला पंजीयक अधिकारी के रूप में
- जिले में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
- मतदाता सुविधा हेतु विभिन्न कार्य।

(5) जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य –

- जिले में विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण करना।
- विकास कार्यो में आने वाली बाधाओं की पहचान व उनका निस्तारण करना।
- जिला कलेक्टर जिला आयोजना समिति की बैठकों में भी भाग लेता हैं।
- जिला आयोजन समिति के माध्यम से जिले की विकास योजना बनाना।

नोट – GVK राव कमेटी व मेहता समिति की सिफारिश पर विकास कार्यो हेतु पृथक पद सोपान बनाया गया है।

(6) समन्वयक के रूप में कार्य –

- केंद्र व राज्य सरकार के साथ।
- विभिन्न विभागों के मध्य।
- दवाब समूह, स्वयं सेवी संगठन के साथ।
- ग्रामीण व नगरीय स्थानीय स्वायत संस्थाओं के साथ।
- मानव संसाधनों के मध्य।
- विभिन्न समितियों के मध्य।
- लोक सेवकों के मध्य।

(7) आपदा निवारक अधिकारी के रूप में –

- जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।
  (आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अनुसार)
- अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करता है –
  - प्रभावितों का पुनर्वास।
  - प्रभावितों को खाद्य व नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  - चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधा उपलबध कराना।
  - प्रभावितों के मुआवजे की व्यवस्था करना।

(8) प्रोटॉकाल कार्य –

- जिला कलेक्टर जिले में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की आगवानी करता है।

जैसे – प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केबिनेट मंत्री, संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष आदि।

उपखण्ड अधिकारी

- जिला व तहसील के मध्य प्रशासनिक इकाई।
- **पदस्थापन** – RAS अधिकारी को कार्मिक विभाग द्वारा उपखण्ड पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- **नियुक्ति**
- **स्थानान्तरण**
- **निष्कासन**
- **निलंबन**

} **राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा।**

- **कार्यकाल** – अनिश्चित
- **उपखण्ड अधिकारी के अन्य नाम –**
  - राजस्थान – उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
  - तमिलनाडु – उप–कलेक्टर
  - महाराष्ट्र – प्रान्त अधिकारी

Note - SDO को जिला कलक्टेर की "**आँख व कान**" भी कहते हैं।

☑ **उपखण्ड अधिकारी के कार्य/भूमिका –**

(1) राजस्व अधिकारी के रूप में –

- उपखण्ड के भू–अभिलेखों का प्रबंधन।
- उपखण्ड के राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण
  जैसे – तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर पटवारी।
- विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत राजस्व अपीलों की सुनवाई करना –
  - राजस्थान भू–राजस्व कानून – 1956
  - राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955
- पत्थरगढ़ी के आदेश करना – पत्थर गाड़ना
- उपखण्ड में फसलों का आकलन करवाना।
- उपखण्ड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।
- जिला कलेक्टर के स्थान पर भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य।
- राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। (जैसे – न्याय आपके द्वार)
- भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य।

(2) दण्डनायक के रूप में –

- उपखण्ड में कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखना।
- शांति भंग के मामले में जमानत देना।
- उपखण्ड में जेल व पुलिस थानों का निरीक्षण करना।
- उपखण्ड में कर्फ्यू (निषेधाज्ञा) लगाना। (भारतीय न्याय संहिता की धारा–163)

(3) प्रशासनिक अधिकारी के रूप में –

- सरकारी विभागों का निरीक्षण करना।
- जनगणना एवं पशुगणना करवाना।
- विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना जैसे – जाति, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आदि।
- सरकारी डाक बंगलों का प्रबंधन करना।
- उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा उपखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सूनिश्चित करना।
- उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है। इस समिति के माध्यम से जन शिकायतों का निवारण करना।
- गरीबी रेखा (BPL) के नीचे लोगों की पहचान करना।

(4) चुनाव अधिकारी के रूप में –

- BLO की नियुक्ति करना।
- मतदाता सूचियों को अद्यतन/नवीनीकरण करवाना।
- उपखण्ड अधिकारी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सहायक रिटर्निंग अधिकारी होता है।
- मतदाता सुविधा हेतु विभिन्न कार्य करना।
- उपखण्ड में आदर्श आचार संहिता लागू करना।

(5) प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में –

- उपखण्ड अधिकारी विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपखण्ड में आगवानी करता है जैसे– राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अन्य सर्वोच्च अधिकारी।

तहसीलदार

- नियुक्ति
- पदस्थापन
- स्थानान्तरण
- निष्कासन
- निलंबन
- APO
  (Awaiting for posting order)

} राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा

- तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार "राजस्थान तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार नियम" – 1958 के अंतर्गत कार्य करते हैं।
- **प्रशिक्षण** – राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (RRTI) अजमेर व APRTS टोंक में – **6½ माह**)
- **कार्यकाल** – अनिश्चित

☑ तहसीलदार के कार्य एवं भूमिका –

1. राजस्व अधिकारी के रूप में –

- तहसील में भू–राजस्व संग्रहण।
- तहसील में भू–अभिलेखों का प्रबंधन।
  जैसे–जमाबंदी, भू–नक्शा, नामांतरण पंजिका
- सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।
- तहसील में फसलों का आंकलन करवाना।
- नामांतरण स्वीकार करना।
- अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।
  जैसे – नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी
- सीमाज्ञान, तकाश्मा आदि राजस्व कार्य करवाना
- राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन
  जैसे – प्रशासन गाँव के संग, न्याय आपके द्वारा
- भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य।
  (कृषि भूमि से – उद्योग, आवासीय जमीन में)
- राजस्व अपील की सुनवाई करना।

2. दण्ड नायक के रूप में –

- शांति भंग के मामले में जमानत प्रदान करना।
- भूमि अतिक्रमण के मामलों में 6 महीनें की जेल या 200 रू. का जुर्माना या दोनों।

3. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में –

- विभिन्न प्रमाण पत्र – मूल निवास, हैसीयत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र करना।
- सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य – स्थानीय निकायों के चुनाव में।
- तहसील के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना।
- जनगणना व पशुगणना में उपखण्ड अधिकारी की सहायता करना।
- तहसील क्षेत्र में राशन वितरण सुनिश्चित करना।

4. उप–पंजीयक के रूप में –

- सम्पत्ति के विशेष रूप से भूमि तथा इमारतों के क्रय–विक्रय का पंजीयन करना।

5. **उप–राजकोष अधिकारी के रूप में –**

- विभिन्न दस्तावेजों का पंजीयन करना।
- सरकार के पक्ष में विभिन्न शुल्कों का संग्रहण करना – पंजीयन व मुद्रांक शुल्क

6. आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में

- अकाल, अनावृष्टि, बाढ़, महामारी, आगजनी आदि में सहायता व राहत पहुँचानें का दायित्व तहसीलदार का होता है।

7. अन्य कार्य–

- PWD में भूमि आवाप्ति अधिकारी के रूप में कार्य
- नगर–निगम में तहसीलदार के रूप में कार्य।
- वन विभाग में सहायक वन अधिकारी के रूप में कार्य।
- भू–प्रबंधन विभाग में सहायक भू प्रबंधन अधिकारी के रूप में कार्य।

पटवारी

- पटवारी के अन्य नाम –
  - राजस्थान – पटवारी
  - महाराष्ट्र – तलेटी/तलस्ती/पटेल
  - गुजरात – पटेल
  - तमिलनाडु – करनम
  - उत्तरप्रदेश – लेखपाल
- **भर्ती** – राजस्व मण्डल की अनुशंसा पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा।
- **भर्ती संबंधी नियम** – राजस्व मण्डल द्वारा बनाये जाते है।
- **नियुक्ति/निलंबन/निष्कासन/पदस्थापन अधिकारी** – जिला कलेक्टर
- **जिला आवंटन** – राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा।
- **स्थानान्तरण** –
  - जिले में – जिला कलेक्टर द्वारा
  - संभाग में – संभागीय आयुक्त द्वारा
  - राज्य में – राजस्व मण्डल द्वारा
- **प्रशिक्षण** – पटवार प्रशिक्षण केंद्र (उदयपुर, जोधपुर, गंगानगर, अलवर, कोटा, टोंक आदि)
- राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग **(अध्यक्ष–हरिश्चन्द्र माथुर)** – पटवारी का **'लेखपाल' नाम सुझाया।**

☑ पटवारी के कार्य एवं भूमिका –

(1) भू–अभिलेख प्रबंधन –

- नक्शों, रजिस्टरों, भूमि की प्रकृति, क्षेत्रफल, मालिकाना हक, फसल की स्थिति, सिंचाई के साधन, मानचित्र आदि का संधारण करना।
- जमाबन्दी, मुकदमा विवरण पंजिका, नामांतरण पंजिका संधारण, गिरदावरी रिपोर्ट आदि से सरंक्षित करना।

(2) भू–राजस्व संग्रहण –

- संग्रहित राजस्व उप–राजकोष में जमा कराना।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर लगान वसूल करना।
- निर्धारित समय सीमा में राजस्व संग्रहण करना।

(3) सांख्यिकी कार्य –

- विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने में तहसीलदार की सहायता करना –
- जैसे – मूल, आय, जाति, EWS, हैसियत प्रमाण पत्र।

(4) विभिन्न राजस्व कार्य –

- तहसीलदार को नामांतरण प्रस्तुत करना।
- सीमाज्ञान
- तकाश्मा (बंटवारा)
- पत्थरगढ़ी आदेशों का क्रियान्वयन करना।
- भूमि–अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार को करना।

(5) आपातकालीन कार्य/राहत कार्य में भूमिका –

- प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान का आंकलन व प्रभावित परिवारों की पहचान करना। जैसे – अकाल, बाढ़, भूकम्प, सूखा, तूफान, टिड्डी दल आक्रमण आदि।
- आर्थिक नुकसान का आंकलन करना।
- आर्थिक नुकसान की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करना।

(6) अन्य कार्य –

- तहसीलदार को निर्वाचन कार्यों में सहायता प्रदान करना।
- राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन करना।
- भू–सुधारों का क्रियान्वयन करना – हदबंदी, चकबंदी

पुलिस अधीक्षक

- भारत में एस.पी. पद का सृजन 1808 ई. (लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय)
- DYSP पद – 1902 ई. में सृजित हुआ।
- भारतीय पुलिस, पुलिस अधिनियम – 1861 ई. के तहत कार्य करती है।
- **पदस्थापन –** कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आईपीएस अधिकारी को पुलिस अधीक्षक पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- **नियुक्तिकर्ता मंत्रालय –** भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा
- **कार्यकाल** – अनिश्चित
- **पद की सुरक्षा** – अनुच्छेद 311 के तहत।
- निष्कासन, निलबंन,, व स्थानान्तरण राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है।

☑ पुलिस अधीक्षक के कार्य एवं भूमिका –

- जिला कलेक्टर के साथ मिलकर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना।
- पुलिस थानों व चौकियों का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना।
- पुलिस कार्मिकों का मनोबल व अनुशासन बनाए रखना।
- FIR (First Information Report) व FR (Final Report) की प्रगति व निपटारों की समीक्षा।
- अन्य विभागों के साथ समन्वय रखना।
- जिला पुलिस का नियंत्रण व नेतृत्वकर्ता।
- साइबर अपराध पर नियंत्रण करना।
- पुलिस संपत्ति, भवन, वाहन, हथियार, दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सामुदायिक पुलिसिंग को सुनिश्चित करना।
- विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन का क्रियान्वयन (ऑपरेशन *AAG*, ऑपरेशन मिलाप)
- जिले में डिकॉय ऑपरेशन करना।
- कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य – पदोन्नति, स्थानान्तरण (CI तक)
- जिला प्रशासन के स्तर पर पुलिस संगठन और जनता के प्रतिनिधियों के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करना।
- जिले में 'गुण्डा सूची' का अवलोकन करना।
- आम आदमी व पुलिस के मध्य दूरी कम करने में भूमिका निभाना।

कमिश्नरेट व्यवस्था/आयुक्त प्रणाली

- राजस्थान में सर्वप्रथम भैरों सिंह शेखावत द्वारा इस व्यवस्था हेतु प्रयास किए गए।
- न्यूनतम आई.जी. रेंक के अधिकारी की कमिश्नर/आयुक्त पद पर नियुक्ति की जाती है।
- राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय 1 जनवरी, 2011 से जयपुर व जोधपुर से शुरूआत –

जयपुर – प्रथम – बी.एल. सोनी

वर्तमान – बीजु जॉर्ज जोसेफ

जोधपुर – प्रथम – भूपेन्द्र कुमार दक

वर्तमान – राजेन्द्र सिंह

☑ **आयुक्त प्रणाली का पदानुक्रम/पदसोपान –**

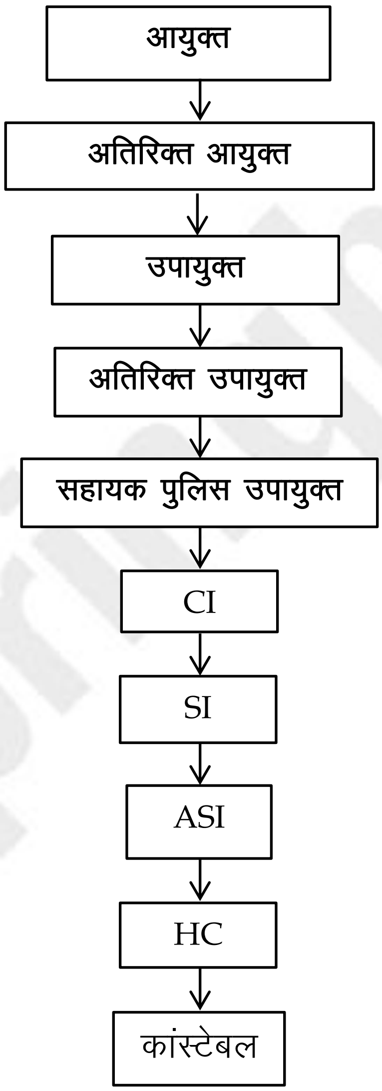

☑ **आवश्यकता क्यों –**

- कार्य शीघ्रता से करने हेतु।
- पुलिस के मनोबल में वृद्धि हेतु।
- कलेक्टर का कार्यभार कम करने हेतु।
- जनता को पुलिस व दण्डनायक के कार्य एक छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु।
- पुलिस को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु।
- अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बढ़ते अपराध को कम करने हेतु। (जयपुर, जोधपुर)

☑ **पुलिस आयुक्त के कार्य एवं शक्तियाँ –**

- हथियारों के लाइसेंस जारी करना।
- शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन।
- कमिश्नरेट क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखना।
- रैली व प्रदर्शनों को अनुमति प्रदान करना।
- कमिश्नरेट क्षेत्र में 'गुण्डा सूची' का अवलोकन करना।
- आतंकवादी गतिविधियों व तस्करी पर नियंत्रण रखना।
- अन्य वे सभी कार्य जो एक जिला पुलिस अधीक्षक करता है वे सभी कार्य पुलिस कमिश्नर भी करता है।

स्थानीय स्वशासन

- पंचायती राज
  - ग्राम पंचायत
  - पंचायत समिति
  - जिला परिषद्
- नगरीय निकाय
  - **संवैधानिक**
    1. नगरपालिका
    2. नगरपरिषद्
    3. नगरनिगम
  - **सांविधिक**
    1. एकल उद्देश्य एजेंसी
    2. छावनी बोर्ड
    3. न्यास पतन
  - **कार्यकारी आदेश**
    1. अधिसूचित क्षेत्र समिति

☑ पंचायतीराज संस्थाओं का इतिहास –

- भारत का प्रथम नगर निगम – मद्रास (1687 ई.)
- भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक – लॉर्ड रिपन (1882 के प्रस्ताव के कारण)
- बीकानेर प्रथम रियासत है जिसने 1928 में ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया।
- आधुनिक राजस्थान के गठन के पूर्व भी विभिन्न देशी रियासतों में पंचायतीराज कानून बनाए गए थे। –
  1. बीकानेर – 1928
  2. जयपुर – 1938
  3. सिरोही – 1943
  4. भरतपुर – 1944
  5. करौली – 1949
- राजस्थान पंचायतीराज की स्थापना में अग्रणी राज्य रहा है।
- संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायतीराज अध्यादेश लागू किया गया।
- 1949 में राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन एक पृथक पंचायत विभाग स्थापित किया गया।
- भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात् –
  1. ग्राम पंचायत का प्रावधान – अनुच्छेद, 40
  2. स्थानीय सरकार राज्य सूची का पाँचवा विषय है। (अनुच्छेद – 246)
- राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम पंचायतीराज कानून 1953 में बनाया गया।

- राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 जो 1 जनवरी, 1954 से लागू हुआ के द्वारा पंचायतों को पुनर्गठन किया गया।
- बलवन्त राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 लागू किया गया।

☑ **पंचायतीराज संस्थाओं की विभिन्न समितियाँ –**

1. बलवन्त राय मेहता समिति – 1957 ई.

- इस समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता के कारणों का परीक्षण करने के लिए किया गया थी।
- सिफारिशें –
  - भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लाया जाना चाहिए।
  - त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए
    1. जिला परिषद्
    2. पंचायत समिति
    3. ग्राम पंचायत
  - जिला कलेक्टर को जिला परिषद् का अध्यक्ष होना चाहिए।
  - ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए।
  - राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को धन के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।
  - नोट – 2 अक्टूबर, 1959 ई. को नागौर के बगदरी गाँव से पंचायतीराज व्यवस्था की शुरुआत हुई। (प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा)
  - पंचायतीराज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य – आंध्रप्रदेश

2. अशोक मेहता समिति – 1977 ई.

- सिफारिशें –
  - पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
  - पंचायतीराज की द्विस्तरीय व्यवस्था का समर्थन
    1. मण्डल पंचायत
    2. जिला परिषद्
  - जिला परिषद् को कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए।
  - अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण प्रावधान।
  - राजनीतिक दलों की पंचायतीराज चुनावों में भागीदारी होनी चाहिए।
  - राज्य मंत्रिपरिषद् में पंचायतीराज मंत्री की नियुक्ति की जाये।
  - पंचायतीराज का कार्यकाल 4 वर्ष किया जाना चाहिए।
  - कलेक्टर के नियामक व विकासात्मक कार्य पृथक्क किए जाने चाहिए।
  - पंचायतीराज संस्थाओं में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।
  - पंचायतीराज संस्थाओं का लेखा परीक्षण।

3. GVK राव समिति – 1985 ई.

- इस समिति ने पंचायतीराज को **'बिना जड़ वाली घास'** कहा।
- इस समिति को **"कार्ड समिति"** भी कहा जाता है।
- सिफारिशें –
  - इस समिति ने पंचायतीराज की 4 स्तरीय व्यवस्था बनाने की सिफारिश की।
    1. राज्य परिषद्
    2. जिला परिषद्
    3. पंचायत समिति
    4. ग्राम पंचायत
  - पंचायतीराज का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए।
  - 'जिला विकास आयुक्त' के पद को सृजित किया जाना चाहिए।
  - कलेक्टर के नियामकीय व विकासात्मक कार्यो में विभाजन।

4. LM सिंघवी समिति – 1986 ई.

- सिफारिशें –
  - पंचायतीराज को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश।
  - पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश ।
  - पंचायतीराज न्यायाधिकरणों की स्थापना।
  - पंचायतीराज का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए।
  - राज्य निर्वाचन आयोग का गठन।
  - राज्य वित्त आयोग का गठन।
  - महिलाओं हेतु आरक्षण की सिफारिश।

5. गॉडगिल समिति – 1988 ई.

6. थुंगन समिति – 1989 ई.

☑ राजस्थान सरकार द्वारा गठित समितियाँ –

1. **हरिश चंद्र शर्मा समिति** – 1963 ई.
2. **सादिक अली समिति** – 1964 ई.
3. **गिरधारी लाल व्यास समिति** – 1973 ई.
   - प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामसेवक पद की अनुशंसा की।
4. **हरलाल सिंह खर्रा समिति** – 1990 ई.
   - राजस्थान के पूर्व पंचायतीराज मंत्री ।

5. **गुलाब चंद कटारिया समिति** – 2009 ई.
   - इसकी अनुशंसा पर पंचायतीराज संस्थाओं को 5 विषय 2010 ई. में हस्तान्तरित किए गए।
     1. प्राथमिक शिक्षा
     2. कृषि
     3. महिला एवं बाल विकास
     4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
     5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
6. **वी. एस. व्यास समिति** – 2010 ई. – इसने ग्राम सचिवालय की अनुशंसा की।

नोट – राजीव गाँधी सरकार ने 64वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास किए। लेकिन यह संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया।

- पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा प्रदान किया गया।
  - राष्ट्रपति द्वारा अनुमति – 20 अप्रैल, 1993
  - भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन – 24 अप्रैल, 1993
  - राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वयन – 23 अप्रैल, 1994

☑ संवैधानिक संशोधन –

- नया भाग – 9
- शीर्षक – पंचायत
- नयी अनुसूची – 11वीं (29 विषय)
- अनुच्छेद – 243–243 'O'

नोट –

1. प्रथम राज्य जिसने यह संशोधन लागू किया – कर्नाटक
2. संशोधन के पश्चात् पहली बार चुनाव/निर्वाचन करवाने वाला राज्य – मध्यप्रदेश
3. राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाएँ पंचायतीराज कानून, 1994 के अंतर्गत कार्य कर रही है।
4. राजस्थान में पंचायतीराज नियम – 1996 (30 सितम्बर, 1996 को क्रियान्वित)

अनुच्छेद = 243–243 'O'

अनुच्छेद 243 – परिभाषा

अनुच्छेद 243'A' – ग्राम सभा

- यह एक स्थायी निकाय है। (राज्यसभा की भांति)
- ग्राम सभा के सदस्य – एक ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता।
- अध्यक्ष – सरपंच/उप सरपंच/ ग्रामसभा का सदस्य
- बैठक बुलाने का अधिकार – सरपंच/उप सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारी
- गणपूर्ति – 1/10
- बैठक – एक वर्ष में 4 बैठकें
    1) 15 अगस्त
    2) 26 जनवरी
    3) 2 अक्टूबर
    4) 1 मई

नोट –

1. ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक महीने में 5 व 20 तारीख को ।
2. ग्राम सभा की संयुक्त बैठक के प्रावधान – 2011 से लागू।
3. राजस्थान पंचायती राज कानून, 1994 में ग्राम सभा के प्रावधान –
    - धारा 8'A' – ग्रामसभा
    - धारा 8'E' – ग्राम सभा का कार्य

अनुच्छेद 243'B' (i) – त्रिस्तरीय व्यवस्था

अनुच्छेद 243'B' (ii) –

- ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उन्हें त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने से छूट प्रदान की गयी।

अनुच्छेद 243'C' – गठन।

- तीनों स्तर पर सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।
    - वार्ड पंच
    - पंचायत समिति सदस्य
    - जिला परिषद् सदस्य
- जिला परिषद् व पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमख अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।
    - जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख
    - प्रधान, उप प्रधान
- सरपंच की निर्वाचन पद्धति – राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण।

नोट –

1. राजस्थान में सरपंच का चुनाव – प्रत्यक्ष
2. राजस्थान में उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन।
3. पंचायती राज संस्थाओं में सांसद व विधायक को प्रतिनिधित्व
   - सांसद – जिला परिषद् की बैठक।
   - विधायक – जिला परिषद् व पंचायत समिति की बैठक।

अनुच्छेद 243'D' – आरक्षण

- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण।
- महिला आरक्षण 1/3 (राजस्थान में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय 2009 में लिया तथा इसे लागू 2010 से किया गया)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण – राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण। (राजस्थान में 1999 से 21 प्रतिशत)

अनुच्छेद 243'E' – कार्यकाल

- 5 वर्ष
- उप चुनाव – 6 माह में (शेष कार्यकल हेतु)

अनुच्छेद 243'F' – योग्यता

- स्थानीय पंजीकृत मतदाता
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष
- शौचालय संबंधी शपथ पत्र

अयोग्यताएँ –
  - 27 नवंबर, 1995 के पश्चात् दो से अधिक संतान।
  - एक व्यक्ति जो राजस्थान मृत्युभोज प्रतिषेध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत दोषी हो।
  - राजस्थान पंचायतीराज कानून, 1994 की धारा 19 के तहत 2014 से शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य किया गया। (यह प्रावधान 2019 में समाप्त कर दिया गया)
- 2018 से कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को पंचायतराज चुनाव हेतु योग्य माना गया है।
- 2018 से दिव्यांग संतान को संतान की गणना में शामिल नहीं किया जाता ।

अनुच्छेद 243'G' – पंचायतीराज संस्थाओं के कार्य

- सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनवाना।
- उपर्युक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

अनुच्छेद 243'H' – पंचायतीराज संस्थाओं के वित्तीय स्त्रोत

- राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित। जैसे – पथ कर, चुंगी शुल्क, बाजार कर, मेला कर

नोट – पंचायती राज की विभिन्न निधियाँ

1. ग्राम पंचायत निधि – इससे धन का आहरण सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से होता है।
2. पंचायत समिति निधि – प्रधान व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से।
3. जिला परिषद् निधि – मुख्य कार्यकारी अधिकारी व लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर से।

अनुच्छेद 243'I' – राज्य वित्त आयोग

- इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- राजस्थान में संरचना – 1 + 4
- यह केवल एक सलाहकारी आयोग है।
- कार्य –
  - राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को राजस्व हस्तांतरण की सिफारिश करना।
  - राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान संबंधी सिफारिश करना।
  - स्थानीय निकायों को कर, चुंगी आदि लगाने की सिफारिश करना।
  - राज्यपाल द्वारा सौंपा गया अतिरिक्त कार्य।

राजस्थान के राज्य वित्त आयोग

क्र.सं.	अध्यक्ष	समयावधि
1.	के. के. गोयल 24 अप्रैल, 1994 को गठन।	1 अप्रैल, 1995 – 31 मार्च, 2000
2.	हीरालाल देवपुरा (पूर्व मुख्यमंत्री)	1 अप्रैल, 2000 – 31 मार्च, 2005
3.	माणिकचन्द सुराणा	1 अप्रैल, 2005 – 31 मार्च, 2010
4.	बी. डी. कल्ला (पूर्व केबिनेट मंत्री)	1 अप्रैल, 2010 – 31 मार्च, 2015
5.	ज्योति किरण (एकमात्र महिला अध्यक्ष)	1 अप्रैल, 2015 – 31 मार्च, 2020
6.	प्रद्युम्न सिंह 12–13 अप्रैल, 2021 को गठन।	1 अप्रैल, 2020 – 31 मार्च, 2025

- छठे वित्त आयोग के सदस्य –
  - अशोक लाहोटी
  - लक्ष्मण सिंह
- सचिव – एस. सी. देराश्री

अनुच्छेद 243'J' – पंचायतीराज संस्थाओं में लेखा परीक्षण – राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण

अनुच्छेद 243'K' – राज्य निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 243'L' – यह प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 243'M' – ये प्रावधान कुछ निश्चित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे –

- मेघालय, मिजोरम, नागालैंड
- मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र
- पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र।

अनुच्छेद 243'N' – वर्तमान विधियों व संस्थाओं का बना रहना।

अनुच्छेद 243'O' – न्यायालय की अधिकारिता पर रोक – परिसीमन व निर्वाचन संबंधी मामलों में

☑ पंचायतीराज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव – धारा 37

- 2010 से – अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल के शुरुआती 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता और अंतिम 1 वर्ष में भी।
- 1/3 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है।
- इसे 3/4 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।
- नोट – जिसके खिलाफ लाया जाता है
  - जिला प्रमुख/ उप जिला प्रमुख
  - प्रधान/उप प्रधान
  - सरपंच/ उपसरपंच

☑ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –

- राजस्थान में प्रथम बार पंचायतीराज चुनाव, 1960 में पंचायतीराज विभाग। (अब तक 11 बार)
- राजस्थान में प्रथम बार नगरीय निकाय चुनाव, 1960 में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। (अब तक 13 बार)
- राजस्थान में 11वें पंचायतीराज चुनाव अक्टूबर, 2020 में 21 जिलों में
- राजस्थान में 13वें नगरीय निकाय चुनाव फरवरी, 2021 में 91 नगरीय निकायों में।
- राजस्थान में जिला परिषद् का गठन – 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होंगे। प्रत्येक 1 लाख पर 2 वार्ड की वृद्धि।
- राजस्थान में पंचायत समिति का गठन – 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड होंगे। प्रत्येक 15 हजार पर 2 वार्ड की वृद्धि।
- नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु योग्यता का प्रावधान – नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 व 24
- नगरीय निकाय चुनाव में गोद दी गई संतान को भी गणना में शामिल करते है।

- नगरीय निकाय चुनाव हेतु प्रस्तावक – राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए 1 व निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 5
- नगरीय निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते है।
- एक व्यक्ति दो या दो से अधिक वार्डों से नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ सकता है।

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतीराज का विस्तार

(PESA Act, 1996 – Panchayati Raj Extension of Schedule Area)

- दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर – 1994
- राजस्थान में क्रियान्वयन – 30 सितम्बर, 1999
- राजस्थान के जिले – डूंगरपुर, चितौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद
- राजस्थान में पेसा नियम बनाए गए – 1999
- राजस्थान पेसा नियम, 2011 (2 नवम्बर, 2011 को लागू)

  नोट – इस नियम के तहत एक वर्ष में 4 बार ग्राम सभा आयोजित की जाती है।
  (प्रत्येक 3 माह के अन्तर पर)
- नियम की मुख्य विशेषताएँ –
  - ग्राम सभा को विशेषाधिकार
  - ग्राम सभी की संयुक्त बैठक का प्रावधान
  - शांति समिति का गठन

नोट – भारत में पेसा अधिनियम निम्न राज्यों में लागू है – राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश।

राजस्थान पंचायतीराज कानून, 1994 की महत्वपूर्ण धाराएँ

धारा	प्रावधान	धारा	प्रावधान
3	वार्ड सभा	28	प्रधान व उप प्रधान के चुनाव
7	वार्ड सभा के कार्य	29	जिला प्रमुख/उपजिला प्रमुख के चुनाव
8 A	ग्राम सभा	36	त्यागपत्र
8 E	ग्राम सभा के कार्य	37	अविश्वास प्रस्ताव
9	ग्राम पंचायत	38	निष्कासन
10	पंचायत समिति	48	गणपूर्ति
11	जिला परिषद्	50	पंचायतीराज संस्थाओं के कार्य
12	ग्राम पंचायत का गठन	79	खण्ड विकास अधिकारी
13	पंचायत समिति का गठन	82	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
14	जिला परिषद् का गठन	89	ग्राम विकास अधिकारी (2021 से)
15	आरक्षण	90	जिला संस्थापन समिति
17	कार्यकाल	94	पंचायतीराज संस्थाओं को भंग करने की शक्ति राज्य सरकार को
18 C	मतदान का अधिकार	117	न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक
19	योग्यता	118	राज्य वित्त आयोग
26	सरपंच के चुनाव	120	राज्य निर्वाचन आयोग
27	उप सरपंच के चुनाव	121	जिला आयोजन समिति

नोट –

- महत्वपूर्ण अध्याय –
  - अध्याय 2 – वार्ड सभा
  - अध्याय 2(A) –ग्राम सभा
  - अध्याय 3 – पंचायतीराज संस्थान
  - अध्याय 4 – पंचायतीराज संस्थाओं को लेकर राज्य सरकार की शक्तियाँ।

❖ **शपथ –**

	शपथ लेने वाले		**दिलवाने वाला अधिकारी**
1.	सरपंच/ उपसरपंच/वार्डपंच	–	पीठासीन अधिकारी
2.	प्रधान/उपप्रधान/पंचायत समिति सदस्य	–	उपखण्ड अधिकारी
3.	प्रमुख/उप जिला प्रमुख/जिला परिषद् सदस्य	–	जिला कलेक्टर

❖ **त्यागपत्र –**

	त्यागपत्र देने वाला		**स्वीकार करने वाला अधिकारी**
1.	सरपंच/वार्डपंच/उपसरपंच	–	खण्ड विकास अधिकारी
2.	उपप्रधान/पंचायत समिति सदस्य	–	प्रधान
3.	प्रधान/उप जिला प्रमुख/जिला परिषद् सदस्य	–	जिला प्रमुख
4.	जिला प्रमुख	–	संभागीय आयुक्त

❖ **73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान –**

1. अनिवार्य प्रावधान –
- ✓ ग्राम सभा का गठन।
- ✓ पंचायतीराज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था
- ✓ 5 वर्ष कार्यकाल निश्चित और विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव।
- ✓ महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 सीटें निर्धारित ।
- ✓ एससी/एसटी हेतु आरक्षण का प्रावधान।
- ✓ चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
- ✓ जिला परिषद् व पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा।
- ✓ राज्य वित्त आयोग
- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग
- ✓ पंजीकृत मतदाताओं हेतु मतदान का अधिकार

2. स्वैच्छिक/विवेकाधीन प्रावधान–
- ✓ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान।
- ✓ महिलाओं को 1/3 से ज्यादा आरक्षण
- ✓ पंचायतीराज संस्थाओं के वित्तीय स्त्रोत।
- ✓ लेखा परीक्षण
- ✓ सरपंच की निर्वाचन पद्धति।
- ✓ राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना।
- ✓ पंचायतीराज संस्थाओं में सांसद व विधायकों को प्रतिनिधित्व।
- ✓ 29 विषयों में से पंचायतीराज संस्थाओं के विषयों का हस्तांतरण।

नगरीय निकाय

- सर्वप्रथम 1687–88 ई. में मद्रास नगर निगम की स्थापना।
- 1726 ई. में कलकता, मुम्बई में नगर निगम की स्थापना।
- राजस्थान की प्रथम नगरपालिका – माउण्ट आबू, 1864 ई. में स्थापित।
- राजस्थान का प्रथम नगरपालिका कानून – 1951 ई.
- भारत में राजीव गाँधी सरकार द्वारा 65वें संविधान संशोधन,1989 द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास किये गये।
- जून 1993 में 74वें संविधान संशोधन,1992 द्वारा नगरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- भारत सरकार द्वारा इस एक्ट को लागू किया – 1 जून,1993
- राजस्थान सरकार द्वारा इस एक्ट को लागू किया – अगस्त,1994

☑ 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएँ –

- नया भाग – 9'A'
- शीर्षक – नगर पालिका
- अनुच्छेद – 243 'P' - 243 'ZG'
- नई अनुसूची – 12वीं (इसमें 18 विषय जोड़ें गए।)

अनुच्छेद–243 'P' – परिभाषा

- महानगरीय क्षेत्र – जहाँ जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो।
- नगर/कस्बा – न्यूनतम जनसंख्या 5 हजार।
  जनसंख्या घनत्व – 450/वर्ग किमी.
- 75 प्रतिशत पुरूष कार्मिक गैर कृषि कार्य में संलग्न हो।

अनुच्छेद–243 'Q'- इस अधिनियम में नगरीय संस्थाओं के तीन स्तर उल्लेखित है–

1. नगरपालका – 1 लाख से कम जनसंख्या
2. नगर परिषद् – 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या
3. नगर निगम – 5 लाख से अधिक जनसंख्या

नोट – नवीन नगरीय निकायों की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है।

अनुच्छेद–243 'R' - गठन/निर्माण

- तीनों स्तर पर पार्षद/सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।
- तीनों स्तर के राजनैतिक प्रमुख उस पद्धति द्वारा चुने जाएंगे, जो राज्य विधानमंडल निर्धारित करें।
- वर्तमान में सभी (महापौर, उपमहापौर, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है।

नोट – सांसद व विधायकों को नगरीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रधान किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में मनोनीत सदस्य (2021 के संशोधन द्वारा)
    - नगरपालिका = 6
    - नगरपरिषद् = 8
    - नगरनिगम = 12

अनुच्छेद–243 'S' - वार्ड समिति – 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर गठन।

अनुच्छेद–243 'T' - आरक्षण

अनुच्छेद–243 'U' - कार्यकाल

अनुच्छेद–243 'V' - योग्यताएँ

अनुच्छेद–243 'W' - कार्य

अनुच्छेद–243 'X' - वित्तीय स्रोत

अनुच्छेद–243 'Y' – राज्य वित्त आयोग

अनुच्छेद–243 'Z' - लेखा परीक्षण

अनुच्छेद–243 'ZA' – राज्य निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद–243 'ZB' – यह प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होंगे।

अनुच्छेद–243 'ZC' – यह प्रावधान कुछ निश्चित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

जिनका उल्लेख अनुच्छेद 244(1) में है।

अनुच्छेद–243 'ZD' - जिला आयोजना समिति

- कुल सदस्य = 25
- ग्रामीण = 16 सदस्य 80%
- शहरी = 4 सदस्य 20%
- पदेन सदस्य (3) = जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- 2 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनित।

नोट – न्यूनतम 4/5 सदस्य स्थानीय निकाय

अनुच्छेद–243 'ZE' – महानगरीय नियोजन समिति

- न्यूनतम 2/3 सदस्य स्थानीय निकायों से होंगे।

अनुच्छेद–243 'ZF' – वर्तमान विधियों व संस्थाओं का बना रहना।

अनुच्छेद–243 'ZG' – न्यायालय की अधिकारिता पर रोक।

☑ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य –

राजस्थान में नगरीय निकायों का ढाँचा –

बिन्दु	नगर निगम	नगर परिषद्	नगर पालिका
जनसंख्या	5 लाख से अधिक	1 से 5 लाख	1 लाख तक
अध्यक्ष	महापौर	सभापति	अध्यक्ष
प्रशासनिक प्रमुख	आयुक्त	आयुक्त	अधिशासी अधिकारी
सदस्य	पार्षद	पार्षद	पार्षद

☑ राजस्थान में नगर निगम –

- राजस्थान में 17 दिसम्बर, 1992 को राजस्थान सरकार अधिसूचना द्वारा जयपुर व जोधपुर में नगर निगम स्थापित किये गए।
- 23 जनवरी, 1993 को कोटा नगर निगम स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई।
- 2008 में बीकानेर तथा अजमेर नगर निगम बनाए गए।
- जयपुर व जोधपुर – 1992
- कोटा – 1993
- अजमेर व बीकानेर – 2008
- उदयपुर व भरतपुर – 2014
- 3 नए नगर निगम – जयपुर, जोधपुर व कोटा – 2019
- 11वाँ नगर निगम – 1 अलवर, 2023
- 12वाँ व 13वाँ नगर निगम – पाली व भीलवाड़ा – 2 सितम्बर, 2024

नोट – हाल ही में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपठित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 सितम्बर, 2024 को एक अधिसूचना द्वारा पाली, भीलवाड़ा नगर परिषद् को नगर निगम क्रमोन्नत किया गया।

☑ सांविधिक निकाय –

1. **छावनी मण्डल –**
   - छावनी मंडलों का गठन संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची की तीसरी प्रविष्टि में है।
   - छावनी मंडल कानून 1924 के अंतर्गत कार्य करता है।
   - इनकी स्थापना 2006 के नए कानून द्वारा की जाती है।
   - रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते है।
   - अध्यक्ष – कंमान्डिग ऑफिसर
   - कार्यकाल – 3 वर्ष
   - **सदस्य –**

- निर्वाचित – नागरिकों में से
- मनोनीत – सैन्य प्रशासन में से

छावनी बोर्ड का गठन निर्वाचित व मनोनित सदस्यों से मिलकर किया जाता है। उपाध्यक्ष असैनिक रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है।

- भारत में कुल छावनी मंडल – 61
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के योल छावनी मंडल को समाप्त कर दिया गया है।
- राजस्थान में छावनी मंडल – नसीराबाद (अजमेर)

2. **न्यास पत्तन –**
   - इसकी स्थापना संसद के एक कानून द्वारा की जाती है।
   - उद्देश्य – बंदरगाह क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना। (विकास कार्यों सुनिश्चित करना)
   - उदाहरण – सूरत (गुजरात)

3. **एकल उद्देश्य अभिकरण –** इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। जैसे –
   - जयपुर विकास प्राधिकरण (1982 का कानून)
   - जोधपुर विकास प्राधिकरण (2008 का कानून)
   - अजमेर विकास प्राधिकरण (2012 का कानून)

☑ **राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित –**

➢ **अधिसूचित क्षेत्र समिति –**
- इनकी स्थापना राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा करती है।
- इस समिति के सभी सदस्य मनोनीत होते है।
- उदाहरण – माउंट आबू, पुष्कर – 1993 में समाप्त कर दिया गया।
- 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में एरिया का गठन अनवार्य होगा।

लोकनीति

- नीति निर्माण लोक प्रशासन का सार है। नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन प्रधान क्रियाओं में से एक है। नीति का अर्थ यह निर्णय करना है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, और कहाँ किया जाए। **पीटर ओडेगार्ड के अनुसार**–'नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुड़वाँ बच्चे हैं जो एक–दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते।'
- इस प्रकार नीति–वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की प्रस्तावित रूपरेखा व क्रियाविधि है। नीतियाँ उद्देश्यों को निश्चत अर्थ एवं मूर्त रूप प्रदान करती हैं।
- **पॉल जे फ्रेडरिक के अनुसार** – "इस परिस्थिति में क्या करना है या क्या नहीं करना है, के संबंध में किए गये निर्णय ही नीतियाँ हैं।"

❖ लोक नीति की विशेषताएँ –

1. लोक नीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम है।
2. जनहित पर आधारित है।
3. नीति सकारात्मक या नकारात्मक होती है।
4. यह एक गतिशील प्रक्रिया है।
5. लोक नीति भविष्योन्मुख होती है।
6. लोक नीति दिश–निर्देश रेखांकित करती है।
7. लोक नीति परिणामोन्मुखी होती है और इसमें अधिक आधुनिक तकनीक के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
8. लोकनीति वैधानिक सत्ता के आवरण में निर्मित होती है।
9. नीति सरकार के उद्देश्यों तक पहुंचने का साधन है।
10. नीति संविधान, कानून, अध्यादेश विनियम, कार्यकारी आदेश अथवा न्यायिक निर्णय के रूप में हो सकती है।
11. लोकनीति देश के सामान्य कानून अर्थात् संविधान पर आधारित होती है। अतः इसमें वैधानिक शक्ति निहित होती है।
12. लोक नीति एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करती है।

❖ भारत में नीति–निर्माण के अंग –

1. संविधान
2. विधानमण्डल
3. मंत्रिमण्डल
4. नीति आयोग
5. लाक सेवाएँ
6. न्यायपालिका
7. मीडिया
8. दबाव समूह
9. राजनीतिक दल
10. अन्तराष्ट्रीय संस्थाएँ

❖ **लोकनीति निर्माण प्रक्रिया –**

1. समस्या की पहचान
2. मंत्रिमंण्डल द्वारा रूपरेखा निर्माण
3. विशेषज्ञ संस्था का गठन
4. ड्राफ्ट नीति का प्रकाशन
5. केबिनेट द्वारा संसद विधानमण्डल में पेश
6. सक्षम–अधिकारी/विधानमण्डल द्वारा स्वीकृति
7. अन्तिम रूप से तैयार नीति घोषित।

❖ **लोकनीति में बाधाएँ**

1. संसाधनों की अल्पता
2. पारम्परिक प्रशासनिक तंत्र का होना।
3. जनसहयोग की कमी।
4. नियमों, विनियमें व प्रक्रियाओं की जटिलताएँ।
5. अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप
6. राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार
7. लोकसेवकों में वचनबद्धता व जनता के प्रति संवेदनशीलता का अभाव।
8. समन्वय का अभाव
9. कई बार आदर्शात्मक एवं अयथार्थवादी नीतियों को निर्माण।
10. मुख्यालय से विरोधाभासी निर्द्रेशों का प्राप्त होना अर्थात् निर्द्रेशों की द्वैधता।
11. उद्देश्यों की अस्पष्टता।

❖ **लोकनीति के प्रकार –**

1. **मूलभूत या सारगत या बुनियादी नीतियाँः–** सम्पूर्ण समाज के सामान्य एवं सर्वांगीण कल्याग व विकास से संबंधित होती है, जैसे–शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि से संबंधित नीतियाँ।
2. **नियंत्रक नीतियाँ–** ऐसी नीतियाँ जो सरकार के नियंत्रक संबंधी कार्यों को प्रकट करती है। जैसे उद्योग,व्यापार, सुरक्षा उपाय।
3. **वितरण संबंधी नीतियाँ**–इन नीतियों का उद्देश्य पिछड़े तबकों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
4. **पुनः वितरक नीतियाँ–** रॉबिनहुड शैली में बनने वाली इन नीतियों के द्वारा अमीरों से टैक्स वसूलकर गराबों को राहत पहुँचायी जाती है। जैसे– भूमि सुधार नीति आदि।
5. **संघटक नीति–** ऐसी लोक नीतियाँ जो ज्ञान या नकनीकी विशेशज्ञ उपकरणों पर आधारित होती है ये नीतियाँ राष्ट्र की सुरक्षा, राज्यहित तथा व्यापक संदर्भो से युक्त होती है, संघटक नीतियाँ कहलाती है।
6. **क्षेत्रक नीति–** लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के अनुसार विषयवार या विशेषज्ञतानुसार जो नीतियाँ बनाती हैं, जो उन्हें क्षेत्रक नीतियाँ कहा जाता है। स्थूल रूप से लोक नीति के तीन क्षेत्र हैं–

1. **नियामकी नीति**	व्यापार,खनिज नीतियाँ
2. **आर्थिक नीति**	औद्योगिक नीति
3. **सामाजिक नीति**	महिला नीति, जनजाति नीति, जनसंख्या नीति।

❖ **नीति विश्लेषण के प्रमुख प्रतिमान –**

1. **सांस्थानिक प्रतिमान** – लोक नीति का सांस्थानिक प्रतिमान यह मानकर चलता है कि नीति निर्माण में संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अर्थात् कोई भी नीति तब तक लोक नीति नहीं कहलाती है जब तक कि उसके निर्माण तथा क्रियान्वयन में सरकारी संस्थाएँ संलग्न नहीं होती है।
2. **नव सांस्थानिक प्रतिमान** – यह मुख्यतः राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है।
3. **क्रीड़ा प्रतिमान** – मूलतः रक्षा नीति, विदेश नीति, अन्तरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों, युद्ध एवं शांति, परमाणु अस्त्रों तथा विधायिका में गठबंधनों इत्यादि के समय क्रीड़ा प्रतिमान प्रयुक्त होता है किन्तु लोक नीति में इस प्रतिमान का प्रयोग सीमित ही माना जाता है।
4. **वृद्धिपरक प्रतिमान** – राजनीति विज्ञानी चार्ल्स ई. लिण्डब्लोम ने इसकी व्याख्या की है।
5. **व्यवस्था प्रतिमान** – इसके प्रमुख डेविड ईस्टर्न है।
6. **तार्किक चयन प्रतिमान** – विन्सेण्ट ऑस्ट्रम, तुलोक निस्कनैन इसके समर्थक है।
7. **कूड़ादान प्रतिमान** – नीति निर्माण तथा निर्णयन का यह प्रतिमान माइकल डी. कोहन, जेम्स जी मार्च ने इसे विकसित किया।
8. **संगठित अराजकता प्रतिमान** – कूड़ादान प्रतिमान को विस्तार देते हुए **जॉन डब्ल्यू किंगडन** ने अपनी कृति में संगठित अराजकता प्रतिमान प्रस्तुत किया है।

विधिक अधिकार

- विधिक अधिकार वे अधिकार है जो विधि द्वारा संरक्षित है एवं संविधान व व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियम द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं।
- **भारत व राजस्थान में नागरिकों को प्रदान किये गये अधिकार निम्न है –**

✓ **संविधान द्वारा प्रदत्त–**

- सम्पत्ति का अधिकार – अनुच्छेद 300 'ए'
- मतदान का अधिकार – अनुच्छेद 326
- निः शुल्क विधिक सहायता – अनुच्छेद 39 'ए'

✓ **संसद द्वारा पारित–**

- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम,1971
- समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976
- दहेज प्रतिषध (वर–वधू भेंट–सूची) अधिनियम,1985
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 (2019 में संशोधन)
- प्रसवपूर्व निदान तकनिकी (विनियमन और दुरुप्रयोग निवारण) अधिनियम,1994
- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।)
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम,2005
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम,2005
- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम,2007
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2011
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम,2013
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार –भारतीय पेटेंट कानून, 1970
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम71961

✓ **राजस्थान सरकार द्वारा पारित अधिनियम –**

1. राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम – 2011
2. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम –2012

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2011

- राज्यपाल द्वारा अनुमति– 21 सितंबर, 2011
- राजस्थान में लागू– 14 नवम्बर, 2011
- वर्तमान में 27 विभाग की 287 सेवाएँ शामिल की है।
- **दण्ड के प्रावधान –**
  1. सेवा में विलम्ब पर प्रतिदिन 250 से अधिकतम 5,000 तक जुर्माने का प्रावधान।
  2. सेवा देने से मना करने पर प्रतिदिन 500 से अधिकतम 5,000 तक जुर्माने का प्रावधान।

प्रक्रियाँ –

- प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष 30 दिन में अपील की जा सकती है एवं प्रथम अपील अधिकारी को 21 दिन में निर्णय लेना होगा।
- द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष 60 दिन में अपील की जा सकती है।
- प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रियां संहिता 1908 के तहत शक्ति प्राप्त।

राजस्थान लोक सुनवाई अधिकार अधिनियम–2012

- राज्यपाल द्वारा अनुमति – 21 मई, 2012
- राजस्थान में क्रियान्वयन – 1 अगस्त, 2012
- क्रियान्वयनकर्ता विभाग –प्रशासनिक विभाग
- जुर्माने के प्रावधान – 500 से 5,000 तक।
- प्रथम अपील – प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिवस के भीतर अपील ।
- द्वितीय अपील – प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 के अंदर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती हैं।

नागरिक अधिकार पत्र

- नागरिक अधिकार पत्र वह दस्तावेज है जो नागरिकों को विभिन्न सूचना व अधिकार प्रदान करता है साथ ही लोक सेवकों की जवाबदेहीता भी सुनिश्चित करता है।

  नोट – यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है।

☑ नागरिक अधिकार पत्र के तत्व –

1. संगठन का उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टिकोण।
2. सेवाओं के नाम
3. कार्य विभाजन
4. सेवा या कार्य करने की समयावधि
5. शिकायत की प्रक्रिया

☑ नागरिक अधिकार पत्र का महत्व –

- लोकसेवकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है।
- जन जागरूकता में वृद्धि।
- लोक प्रशासन में पारदर्शिता में वृद्धि।
- भ्रष्टाचार में कमी।
- जन शिकायत निवारण का प्रभावी माध्यम।
- प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि।
- सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में जनसहभागिता में वृद्धि।

☑ नागरिक अधिकार पत्र का विकास –

- नागरिक अधिकार पत्र की शुरूआत 1991 में जॉन मेजर द्वारा ब्रिटेन से की गई।
- चार्टर मार्क स्कीम भी ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र से जुड़ी हुई थी।
- भारत में इसकी सर्वप्रथम माँग 'कॉमन कॉज' नामक NGO ने की। जिसके प्रमुख HD शौरी
- नागरिक अधिकार पत्र की शुरूआत पर सर्वप्रथम 1996 में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में चर्चा की गई। (थीम – नौसूत्री कार्य योजना 'सम्मेलन')
- 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस पर पुनः चर्चा की गई।
- मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल थे।

- भारत का प्रथम मंत्रालय जहाँ नागरिक अधिकार पत्र को लागू किया गया – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय – 1997
- राजस्थान सरकार का प्रथम विभाग जहाँ नागरिक अधिकार पत्र को लागू किया गया। – राजस्थान सरकार का खाद्य एवं नागरिक आपूति विभाग–1998 (सी.एम.–अशोक गहलोत)
- भारत सरकार द्वारा 2011 में नागरिक अधिकार पत्र विधेयक लाया गया। जो कि पास नहीं हो सका।